तृतीय माला, खंड 47, अंक 7 शुक्रवार, 12 नवम्बर, 1965/21 कार्तिक, 1887 (शक)
Third Series, Vol. XLVII, No. 7 Friday, November 12, 1965/Kartika 21, 1887 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 47 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLVII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 7—शुक्रवार, 12 नवम्बर, 1965/21 कार्तिक, 1887 (शक)

No. 7—Friday, November 12, 1965/*Kartika* 21, 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
180	आयात लाइसेंसों सम्बन्धी गिरोह	Import Licence Racket . .	531–533
181	विदेशी व्यापार	Foreign Trade	533–536
182	पाकिस्तान द्वारा भारतीयों की ओर भारत द्वारा पाकिस्तानियों की सम्पत्ति पर अधिकार	Property of Indians taken over by Pakistan and vice versa	537–540
183	एक्सरे फिल्मों का आयात	Import of X-Ray Films . .	540–541
184	"टिस्को" और "इस्को" द्वारा ऋण की अदायगी	Repayment of Loan by TI.S.CO and ISCO	542–545
185	औद्योगिक उत्पादन	Industrial Production .	545–548
186	पांचवां इस्पात कारखाना	Fifth Steel Plant	548–550

अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.			
2	सिख तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान जाने की अनुमति न देना	Permission refused to Sikh Pilgrims for going to Pakistan	550–552

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
187	छोटी लाइन का नया खण्ड	New Meter-Gauge Zone . .	552
188	आयात नीति	Import Policy . . .	553
189	कोयला धोने के कारखानों का स्थापित किया जाना	Setting up of Coal Washery	553
190	प्रतिरक्षा उत्पादन	Defence Production . .	554
191	घड़ियों का निर्माण	Manufacture of Watches . .	554–555
192	मैंगनीज अयस्क का उत्पादन तथा निर्यात	Production and Export of Manganese Ore	555

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

1—49 Lok Sabha/65

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
193	इस्पात का निर्यात	Export of Steel . . .	555-556
194	कपड़ा मिलों में कुप्रबन्ध	Mismanagement in Textile Mills .	556
195	विद्युत् चालित करघा जांच समिति	Powerloom Enquiry Committee .	556
196	कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण	Modernisation of Textile Industry	556-557
197	रेलवे लाइनों का बढ़ाया जाना	Extension of Railway Lines .	557
198	पाकिस्तान के साथ व्यापार	Trade with Pakistan . . .	557-558
199	सोवियत रूस को चाय और पटसन का निर्यात	Export of Tea and Jute to U.S.S.R.	558
200	पाकिस्तान की बमवारी द्वारा नष्ट हुए औद्योगिक एकक	Industrial Units Destroyed by Pakistani Bombing . .	559
201	वैगनों की मांग में कमी	Slump in Wagon Demand .	559
202	व्यापार बोर्ड	Board of Trade . .	559
203	प्रशुल्क वार्ता का कनैडी राउन्ड	Kennedy Round of Tariff Negotiation	560
204	ब्रिटन के साथ व्यापार	Trade with U. K. . . .	560
205	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्यात	Exports from Public Sector Undertakings	560-561
206	सेलम इस्पात कारखाने के सम्बन्ध में जापानी दल का प्रतिवेदन	Japanese Report on Salem Steel Plant	561
207	साफ न की गई ऊन का आयात	Import of Raw Wool .	561-562
208	लघु उद्योग	Small Scale Industries . .	562
209	स्कुटरों का निर्माण	Manufacture of Scooters .	562

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
442	तुगलकाबाद रेलवे यार्ड	Tugalakabad Railway Yard .	562-563
443	रामगंगा नदी पर रेलवे का पुल	Railway Bridge over the Ramganga	563
444	कानपुर स्टेशन यार्ड	Kanpur Station Yard . .	563-564
445	बाल बेयरिंगों का वितरण	Distribution of Ball Bearings .	564
446	सुलतानगंज और देवघर को मिलाने वाली रेलवे लाइन का निर्माण	Construcion of Railwayline linking Sultanganj-Deoghar	564-565
447	तम्बाकू का न बिका स्टाक	Unsold Stock of Tobacco . .	565
448	नारियल जटा के सामान का निर्यात	Export of Coir Goods . .	565-566
449	नारियल जटा के रेशे का उत्पादन	Production of Coir Yarn .	566
450	बीड़ियों का निर्यात	Export of Bidis . . .	566-567

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
452	रेलवे दुर्घटनाओं में हताहत रेलवे कर्मचारी	Railways Workers involved in Railway Accidents . .	567
454	बी० के० लाइट रेलवे	B. K. Light Railway . .	567
455	बी० के० लाइट रेलवे	B. K. Light Railway .	567
456	अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint . .	568
457	आयात तथा निर्यात संगठन के मुख्य नियंत्रक	Chief Controller of Imports and Exports Organisation . .	568-569
458	तकनीकी विकास का महा निदेशालय	Directorate General of Technical Development . . .	569
459	साइकिलों के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Bicycle Prices . .	
460	टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा क्षमता का विस्तार	Expansion of Capacity by TISCO	569
461	सिक्किम तांबा क्षेत्र	Sikkim Copper Belt . . .	570
462	मुगलसराय से आगे विद्युतीकरण व्यवस्था करना	Electrification beyond Mughal Sarai	570
463	टेलीविजन सेटों का आयात	Import of Television Sets . .	570
464	चाय अनुसन्धान कार्य	Tea Research Work . . .	570-571
465	रेलवे के माल डिब्बे संयोजन (असैम्बल) करने का कारखाना	Railway Wagon Assembling Plant	571
466	दिल्ली में अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी	All-India Industrial Exhibition in Delhi	571
467	उत्तर तथा पूर्वोत्तर रेलवे पर मुआवजे के दावों के मामले	Compensation Claims in N. & N. E. Railways	571-572
468	पूना-मिराज छोटी लाइन	Poona-Miraj Metre Gauge System	572
469	अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint . .	573
470	साइकिल उद्योग	Cycle Industry . .	573
471	"फ्लाइंग मेल" की दुर्घटना	Flying Mail Accident . .	573-574
472	विरार तथा साफाला स्टेशनों के बीच फ्लैग स्टेशन	Flag Station between Virar and Saphala Stations . . .	574
473	प्रद्रावक (स्मैल्टिंग) संयंत्र	Smelter Plant .	574
474	कच्चे माल का आयात	Import of Raw Materials . .	574-575
475	रेलवे आरक्षण	Railway Reservations . .	575
476	पंजाब में नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines in Punjab .	575
477	सीमेंट के कारखाने	Cement Factories . . .	576
478	कपड़े का उत्पादन	Textile Output . . .	576
479	रेलवे अधिकारी	Railway Officers . . .	576-577

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
480	होसपेट में हुबली तक बड़ी लाइन का विस्तार	Extension of B. G. Line from Hospet to Hubli	577
481	मध्य प्रदेश में कोयला निकालने के लिये पट्टा	Lease to raise Coal in M. P.	577
482	सहायक उद्योगों सम्बन्धी उप-समिति	Ancillary Industries Sub-Committee	578
483	कानपुर स्टेशन पर कारतूसों का पकड़ा जाना	Seizure of Cartridges at Kanpur Station	578–579
484	तीसरे दर्जे के डिब्बे तथा ब्रेक वेन	Third Class Bogies and Brake Vans	579
485	मेलात्तूर-बफेरोक रेलवे लाइन	Melattur-Feroke Railway Line	579
486	श्रीनगर स्थित केन्द्रीय रेशम के कीड़ों के अंडों के केन्द्र की इमारत	Building for the Central Silk Worm Seed Station Srinagar	579–580
487	पाकिस्तानी लोगों की भारत में भूमि	Lands owned by Pakistanis in India	580
488	नंगल में कागज का मिल	Paper Mill at Nangal	580–581
490	पाकिस्तानियों द्वारा रेल की पटरियों का उखाड़ा जाना	Demolition of Railway Tracks by Pakistanis	581
491	पंजाब में रेशम-कीट पालन उद्योग	Sericulture Industry in Punjab	581–582
492	कलकत्ता के पार्क सर्कस में स्टेशन	Station at Park Circus, Calcutta	582
493	वर्क्स एकाउन्टेन्ट, ऐग्जीक्यूटिव इंजीनीयर, यमूना पुल कार्यालय, उत्तर रेलवे	Works Accountant, X En. Yamuna Bridge office, N. Railway	582–583
494	"कास्ट एकाउन्टेंसी" का प्रशिक्षण	Training in Cost Accountancy	583
495	उत्तर रेलवे का लेखा विभाग	Northern Railways Accounts Department	583
496	भारतीय रेलों के ड्रैसर	Dressers of Indian Railways	584
497	गोहाटी से डिब्रूगढ़ तक रेलवे लाइन	Rail Route Gauhati to Dibrugarh	584
498	आसाम मेल को पटरी से उतारने का प्रयत्न	Attempt to Derail Assam Mail	584
499	दिल्ली मेल स्टेशन के पार्सल कर्मचारी	Parcel Staff of Delhi Main Station	585
500	हिन्दूमलकोट-श्रीगंगानगर रेलवे लाइन	Hindumalkot-Sriganganagar Railway Line	585
501	रेलवे के मजदूर संघ	Trade Unions on Railways	586
502	रेलवे कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देना	Extension of Pension Benefit to Rly. Employees	586
503	इंधनके भंडार	Fuel Deposits	586–587
504	"बायलर क्वालिटी प्लेट"	Boiler Quality Plates	587

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
505	सरोजिनी नगर नई दिल्ली रेलवे कालोनी	Sarojini Nagar New Delhi Railway Colony	587
506	उत्तर रेलवे के डिविजनल सुपरिन्टेंडेंट का कार्यालय	Divisional Superintendent's Office, Northern Railway . . .	588
507	हावड़ा-मद्रास मेल	Howrah-Madras Mail . .	588
508	विदेशी फर्मों के साथ सहयोग	Collaboration with Foreign firms	588–589
509	भिलाई में दुर्घटना	Accident at Bhilai . . .	589
510	हथकरघा वस्त्र निर्यात संवर्द्धन-परिषद्	Handloom Export Promotion Council	589
511	इस्पात कारखानों को कोयले का सम्भरण	Supply of Coal to Steel Plants .	590
512	कोयले का वर्षवार उत्पादन	Production of Coal . . .	590
513	टेलीविजन सेटों की बिक्री	Sale of T. V. Sets . . .	590–591
514	व्यापार आचार संहिता	Code on Trading Practices .	591
515	लोहना-रोड-झंझारपुर रेलवे लाइन	Lohna Road Jhanjharpur Railway Line	591–592
516	मोटर साइकिल बनाने के कारखाने	Motor-Cycle Factories . .	592
517	बंगलौर बंगारपेट्टै रेलगाड़ी	Banglore-Bangarapet Train .	592
518	दिल्ली में सीमेंट का दिया जाना	Allotment of Cement in Delhi .	592–593
519	बम्बई-कल्याण बड़ी लाइन के थाना स्टेशन पर गाड़ियों की टक्कर	Collision at Thana on Bombay Kalyan B. G. Line . .	593
520	मद्रास-विजयवाडा रेलवे लाइन का विद्युतीकरण	Electrification of Madras-Vijayawada Railway Line . .	593
521	ड्रम शीटों का आयात	Import of Drum Sheets	593–594
522	सीमेंट निगम	Cement Corporation . .	594
523	तिरूनेलवेली-कन्याकुमारी-त्रिवेंद्रम रेलवे लाइन	Tirunelveli-Kanyakumari-Trivandrum Railway Line . .	594–595
524	सीमावर्ती क्षेत्रों में रेलवे सेवायें	Railway Services in Border Areas	595

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना– / Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance—

(1)	भारी इंजीनियरी निगम रांची में छंटनी–	(i) Retrenchment in Heavy Engineering Corporation, Ranchi—	
	श्री प्र० कु० घोष	Shri P. K. Ghosh .	595
	श्री त्रि० ना० सिंह	Shri T. N. Singh	595–599

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
(2) रोडेशिया द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा—	(ii) Declaration of Independence by Rhodesia—	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	599
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh .	600-602
सभा पटल पर रखा गया पत्र	Paper Laid on the Table	602
सभा का कार्य	Business of the House . .	603-604
करारोपण विधियां (संशोधन तथा विविध उपबंध:) विधेयक—	Taxation Laws (Amendment and Miscellaneous Provisions) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider—	
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat	604-605
श्री मी० रु० मसानी	Shri M. R. Masani .	606-607
श्री दाजी	Shri Daji .	607-608
श्रीमती रेणुका राय	Shrimati Renuka Ray	609
श्री श० ना० चतुर्वेदी	Shri S. N. Chaturvedi	610
श्री सिंहासन सिंह	Shri Sinhasan Singh	610-611
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi . .	611
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पो सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
बहत्तरवां प्रतिवेदन	Seventy-second Report . .	611-613
भारत द्वारा राष्ट्रमण्डल से सम्बन्ध विच्छेद करने के बारे मे संकल्प—वाद-विवाद स्थगित किया गया	Resolution re : India Quitting the Commonwealth—*Debate adjourned*	613-616
पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न के अयात बारे मे संकल्प-	Resolution re : Imports of Foodgrains under PL 480—	
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee .	616-618 624-625
श्रीमती गायत्री देवी	Shrimati Gayatri Devi .	619-620
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain . .	621
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedi	621
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	622
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	622
श्री टे० सुब्रह्मण्यम्	Shri T. Subramanyam .	623
श्री चि० सुब्रह्मण्यम्	Shri C. Subramaniam .	623-624
अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा के बारे में	Re : Discussion On International Situation	620
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
इकतालीसवां प्रतिवेदन	Forty-first Report . . .	625

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 12 नवम्बर, 1965/21 कार्तिक, 1887 (शक)

Friday, November 12, 1965/Kartika 21, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आयात लाइसेंसों सम्बन्धी गिरोह

+

***180. श्री बासप्पा :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री किशन पटनायक :
श्री बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1965 के अन्तिम सप्ताह में बम्बई में आयात लाइसेंसों और कोटा प्रमाण-पत्रों से सम्बन्ध रखने वाले एक गिरोह का पता लगा था; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अपराधी गिरफ्तार किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख): माननीय सदस्य का आशय शायद उन कोरे आयात लाइसेन्स तथा कोटा सर्टिफिकेट के फारमों से है जो संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात, बम्बई के कार्यालय से खो गये थे। विभागीय जांच के आधार पर अगली कार्रवाई करने के लिये कागज पत्र केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दे दिये गये थे। इसके फलस्वरूप दस व्यक्तियों को गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया गया था। आगे जांच चल रही है और इस समय मामले का और अधिक ब्यौरा बताना जनहित की दृष्टि से ठीक नहीं होगा। किन्तु मामले से सम्बद्ध कुल राशि बहुत अधिक नहीं है।

श्री बासप्पा : क्या इन लाइसेंसों और कोटा प्रमाणपत्रों में जालसाज़ी की गई है और यदि हां, तो क्या विभाग के किसी अधिकारी का इस में हाथ है ?

श्री मनुभाई शाह : यह सारा मामला लाइसेंस फार्मों की चोरी का है जो नोटों की तरह हैं। सारा मामला ही जालसाजी है—इसमें केवल कागजों पर गलत हस्ताक्षर करना ही नहीं बल्कि कागजों को ही चुरा लेना शामिल है।

श्री बासप्पा : क्या ऐसा पता चला है कि आयात लाइसेंसों के गिरोह के सदस्यों का गतिविधियां सारे भारत में फैली हुई हैं ?

श्री मनुभाई शाह : मैं आंकड़े नहीं देना चाहता लेकिन राशी इतनी कम है कि वह गिरोह, आदि देने की बात नहीं है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या अब तक सरकार को इस बात का कोई साक्ष्य मिला है कि इन कोटा प्रमाणपत्रों और लाइसेंसों के आधार पर कुछ माल भी मंगा लिया गया था और यदि हां, तो क्या सरकार इन कागज-पत्रों में जालसाजी करने वाले व्यक्तियों की कार्य-पद्धति बतायेगी ?

श्री मनुभाई शाह : कुछ मामलों में माल प्राप्त हो गया है और प्रयोग भी कर लिया गया है; कुछ मामलों में माल जब्त कर लिया गया है। यह सब मुकदमे की बात हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं एक विशेष प्रश्न पूछ रहा हूं। श्रीमान्, आपने अनेक बार निर्णय दिया है कि वर्तमान स्थिति और मुकदमों के आधार के बारे में हमारे प्रश्न पूछने पर कोई रोक नहीं है।

श्री मनुभाई शाह : सारा मामला न्यायाधीन है। म इतना कह सकता हूं कि इसमें इन आयात लाइसेंसों के आधार पर प्राप्त हुआ, इनके अन्तर्गत जब्त किया गया कुछ माल और अप्रयुक्त आयात लाइसेंस शामिल हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि इन कोरे फार्मों के गायब होने का मार्च, 1964 में पता चला था और यदि हां, तो क्या कारण हैं कि इस मामले में अब कार्यवाही की गई है ?

श्री मनुभाई शाह : जब सीमाशुल्क अधिकारियों को पोत परिवहन कागजात पर कुछ हस्ताक्षरों के बारे में संदेह हुआ तब ही इस मामले का पता चला।

Shri K. N. Tiwary : May I know the type of import licences and quota certificates involved in this case?

Shri Manubhai Shah : There were diesel engines of nominal value, nutmeg and some spare parts.

Shri Ram Sewak Yadav : The Hon. Minister just now said that prosecutions have been launched for the use of forged licences. May I know the number of people against whom prosecutions have been launched and whether any government official is also involved in it and if so, his designation?

Shri Manubhai Shah : Action will be taken against all concerned. The entire matter is being investigated by the police. The amount is not significant enough to call it a racket. It is like any other theft and the case is proceeding.

Mr. Speaker : Wheher there is any government official amongst those arrested?

Shri Manubhai Shah : So for there is none but it is suspected.

Shri Madhu Limaye : May I know whether there is any indication of the existence of a wide-spread racket?

Shri Manubhai Shah : No, Sir. This is like any other ordinary case of theft.

Shri Yashpal Singh : May I know for how long this racket had been operating the number of people against whom warrants have been issued and number of those arrested?

Shri Manubhai Shah : The entire matter is *sub judice*. The complete details will be made available to the house on completion of the investigation.

श्री फिरोडिया : क्या इस मामले में किसी बैंक का भी हाथ है ?

श्री मनुभाई शाह : जी, नहीं।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार यह समझती है कि यह कोटा और लाइसेंस प्रणाली ही असाध्य बीमारी है और इस का इलाज इसको समाप्त करना ही है। यदि हां, तो क्या इस सारी प्रणाली पर पुनर्विचार किया जायेगा ?

श्री मनुभाई शाह : मैं तो ऐसा नहीं समझता।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : जब मंत्री महोदय यह कहते हैं कि ये आयात लाइसस फार्म नोटों के समान हैं तो उन पर कोई जांच क्यों नहीं रखी गई और इस का क्या कारण है कि चोरी लगभग एक वर्ष बाद पता लगा ?

श्री मनुभाई शाह : श्रीमान्, जब भली प्रकार ताले लगाये हुये खजाने से भी चोरी हो जाती है तो जो फार्मों बराबर प्रयोग किये जाते हैं, किताबें मेज़ पर पड़ी रहती है और कुछ आदमी कुछ फार्म फाड़कर ले जाते हैं, उनकी चोरी का उनके प्रयोग किये जाने पर ही पता चल सकता है।

श्री वारियर : मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में सम्बन्धित व्यक्ति सामान्य आयात लाइसेंसधारी हैं अथवा उनके जरिये काम करने वाले व्यक्ति ?

श्री मनुभाई शाह : 7 से 10 लाख तक आयात लाइसेंसधारीयों में से हम कैसे कह सकते हैं कोई विशेष लाइसेंसधारी चोर है। हम तो इतना कह सकते हैं कि जो थोड़े से संबंधित व्यक्ति हैं उन्हें दण्ड दिया जायगा।

Shri M. L. Dwivedi : Whether it is a fact that some licence holders sell away their licences; it so, the measures adopted by government to check this practice?

Shri Manubhai Shah : These import licences are non-transferable.

Shri Sarjoo Pandey : May I know the amount involved in this case?

Mr. Speaker : It is a small amount, which, perhaps, the hon. Minister does not want to disclose.

विदेशी व्यापार

+
*181. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती शारदा मुकर्जी : **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री प्र० र० चक्रवर्ती :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री शिव चरण गुप्त :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में आयात में वृद्धि और निर्यात में कोई वृद्धि न होने के कारण भारत की विदेशी व्यापार की स्थिति बिगड़ी है;

(ख) यदि हां, इससे व्यापार और भुगतान के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इसको सुधारने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5130/65।**]

Shri Prakash Vir Shastri : As stated in the last paragraph of the statement, I want to know the steps being taken to attract capital from Indians settled abroad so as to make available more foreign exchange to India?

Shri Manubhai Shah : For this very purpose we have announced a National Defence Remittances scheme under which Indians and non-Indians, wishing to bring foreign exchange from abroad, are entitled to use 60 per cent of it.

Shri Prakash Vir Shastri : I want to know whether with the implementation of Export incentive scheme Government have come to know that corruption is on the increase, if so, the measures adopted to check it?

Shri Manubhai Shah : There is some corruption in case of foreign exchange as in other fields. There is no reason to believe that there is large scale corruption in this field.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : In view of the fact that there is some flaw in our import and export policy, will Government reconsider it so as to remove the shortcomings?

Shri Manubhai Shah : As far as export policy is concerned export will increase if production increases. If production is less what can we export?

Shri Yashpal Singh : The exports this year have declined by Rs. 2 crores as compared to last year. May I know the steps being taken by Government to cover up this shortfall?

Shri Manubhai Shah : In the coming months when the agricultural crops would be avialable, we expect that this shortfall will be covered and the usual export yield would be restored.

श्री प्र० चं० बरुआ : गत वर्ष निर्यात से जो आय हुई थी उससे 425 करोड़ रु० अधिक आयात पर खर्च किये गये हैं। क्या यह मामला आयात प्रतिस्थापन समिति को भेजा गया था, यदि हां, तो उस समिति की क्या सिफारिशें हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मनुभाई शाह : देश में जिन चीजों का उत्पादन होता है या जिन चीजों का उत्पादन किया जा सकता है केवल उनके आयात में आयात प्रतिस्थापन समिति कटौती कर सकती है। परन्तु जब देश में लगभग 300 करोड़ रु० के मूल्य के खाद्यान्नों का आयात किया जाता है और प्रतिरक्षा की चीजों के अतिरिक्त तेल तथा दूसरी विभिन्न चीजों का भी आयात किया जाता है तो आयात प्रतिस्थापन समिति इन के आयात को रोक नहीं सकती।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या निर्यात के प्रत्याशित और वास्तविक आंकड़ों में विभिन्नता इस कारण से होती है कि देश के विभिन्न बन्दरगाहों से जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाता उन्हें ही निर्यात समझ लिया जाता है ?

श्री मनुभाई शाह : इन दोनों बातों में कोई सम्बन्ध नहीं है। माननीय सदस्य शायद रिजर्व बैंक और डी० जी० सी० आई की ओर से दिये गये आकड़ों का उल्लेख कर रहे हैं। यह फर्क बहुत ही मामूली है और इतना फर्क तो विश्व के प्रत्येक देश में होता है। यहां भी रिजर्व बैंक की ओर से दिये गये आंकड़े कभी 10 करोड़ रुपये के अधिक और कभी इतने ही कम होते हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : We are not gaining much from the sugar trade with other countries, may I know whether Government is considering to stop the trade of sugar with other countries. in view of the requirements of our own country?

Shri Manubhai Shah : To stop the sugar trade with other countries, would be a disservice to the nation. We will have to fill up the gap in foreign exchange earnings which will be left over by stopping the sugar trade.

Shri Rameshwar Tantia : May I know whether Government have received such complaints from exporters that they are facing difficulties from the side of Reserve Bank? As there is a need to give incentive to exports, may I know whether Government have discussed this matter with the officials of Reserve Bank?

Shri Manubhai Shah : Reserve Bank does not come in the picture as far as the question of incentive or assistance is concerned. This concerns only Government of India. Some difficulty is experienced in this connection because it takes sometime to get money from there. Government is making every efforts in this connection and proposals had also been put before the House many times. As far as Reserve Bank is concerned the people, salesman, commercial travellers, representatives etc. who go abroad feel some difficulty because Reserve Bank is a bit more careful in this regard. We have advised Reserve Bank to be more liberal in this regard.

श्रीमती सावित्री निगम : यह कहां तक ठीक है कि हमारी निर्यात की कमाई में जो कमीं हो रही है उस का एक कारण विश्व बाजार में कच्चे माल के मूल्यों का कम हो जाता है?

श्री मनुभाई शाह : माननीय महिला सदस्य ने जो कुछ कहा आमतौर पर ठीक है। इस बारे में चीनी का उदाहरण दिया जा सकता है। गत वर्ष चीनी 107 पाउण्ड (लगभग 1400 रुपये) प्रतिटन के हिसाब से बिक रही थी। आज विश्व में इस का मूल्य 250 रुपये है। यह इस हद तक नीचे गिर गई है। जबकि यह भी एक कारण है वास्तव उत्तर यह है कि निर्यात के लिये अधिक उत्पादन उपलब्ध किया जा रहा है।

श्रीमती रेणुका राय : क्या माननीय मन्त्री ने जांच करवाई है कि इस फर्क की किस हद तक जिम्मेवारी आयात की हकदारी के सम्बन्ध में कुछ कपटपूर्ण प्रक्रिया पर है और इस का वास्तविक उत्तरदायित्व किस पर है ?

श्री मनुभाई शाह : आयात की हकदारी के कम मूल्य और निर्यात को, उस से भी अधिक जितना हम ने तीन वर्षों में बढ़ाया है, बढाने की जरूरत में बहुत कम सम्बन्ध है। मैं ने विवरण में बताया है कि निर्यात को 600 करोड़ रु० से 800 करोड़ रु० तक या 850 करोड़ रु० तक बढ़ाना कोई मामूली काम नहीं है और हमारे निर्यातकों ने ऐसा किया है। जहां तक आयात की हकदारी के कुप्रयोग का प्रश्न है पिछले सात या आठ वर्षों से हम ने विस्तीर्ण अनुमान लगाये हैं और उन की भी जांच की है। पिछले सात या आठ वर्षों की कुल 5,000 करोड़ रु० से अधिक के निर्यात में से केवल 6 करोड़ 87 लाख रुपये की प्राप्ति नहीं हुई है जो कि किसी भी देश की तुलना में कम है।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि हाल ही के संकट के दौरान जो कि पाकिस्तान के आक्रमण से उत्पन्न हुआ था जहाजरानी के अस्त व्यस्त होने, माल के रोके जाने और देश में आय असुरक्षा के कारणों से निर्यात में गत वर्षों में सितम्बर की तुलना में अब और कमी हुई है। संकट के दौरान हमने कितना निर्यात किया है ?

श्री मनुभाई शाह : जब सितम्बर में झगड़ा आरम्भ हुआ तो हमें डर था कि माल को न लादने, जहाजों को रोक लिये जाने, बड़ी मात्रा में चाय और पटसन को पाकिस्तान द्वारा जब्त कर लिये जाने, बम गिराने तथा दूसरे विभिन्न कारणों से निर्यात में बहुत कमी हो जायेगी। परन्तु गोदी कर्मचारियों, जहाजरानी तथा बन्दरगाह के अधिकारियों तथा निर्यातकों के ओजस्व के कारण इस वर्ष सितम्बर में गत वर्ष की तुलना में लगभग उतनी ही निर्यात हुआ है अर्थात गत वर्ष 72 करोड़ 80 लाख की तुलना में इस वर्ष 70 करोड़ 80 लाख का निर्यात हुआ है।

Shri Raghunath Singh : After the ships being withheld by Pakistan, particularly those ships which were bringing tea from Assam, may I know whether the Government have made any arrangement for maintaining the export of tea from this country?

Shri Manubhai Shah : We can take only retaliatory steps for the cofiscated material. This year we have rich tea crop and there is no possibility that there will be any decrease in the export of tea. On the other hand I think there will be an increase in the export of tea by 2 to 3 crores of rupees. We suffered more in regard to Jute. We are importing 15 lakh bales. Ten lakh bales from Thailand and 5 lakh bales from other counitres because the export of Jute is increasing.

Shri Bishan Chander Seth : The Hon. Minister has stated in his report that unless the production is increased no such development can take place whereby more material is exported.

In view of decreasing production it is necessary that Government should give support, execute proper environments and tap all resumes. Government should consider this.

श्री मनुभाई शाह : कार्यवाही के लिये यह एक सुझाव है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : यह जानना देश के लिये बहुत अच्छा होगा कि पाकिस्तान द्वारा जब्त किये गये माल की हानि को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या प्रतिकारात्मक उपाय किये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य श्री राज बहादुर ने दिया था।

श्री हेम बरुआ : हम श्री मनुभाई शाह से इस का उत्तर चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री पें० वेंकटासुब्बय्या।

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या : मंत्रालय ने जो टिप्पण दिया है उस से हमें पता लगा है कि निर्यात में कमी कृषि पदार्थों के उत्पादन में कमी के कारण हुई है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार आयात और निर्यात को युक्तिसंगत बनाने पर विचार कर रही है, उदाहरण के तौर पर, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये रासायनिक खाद का अधिक आयात करना ?

श्री मनुभाई शाह : खाद का पहले से बहुत अधिक आयात किया जाता है।

पाकिस्तान द्वारा भारतीयों की और भारत द्वारा पाकिस्तानियों की सम्पत्ति पर अधिकार

*182. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष के परिणामस्वरूप पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की किस प्रकार की तथा कितनी चल एवं अचल सम्पत्ति अपने अधिकार में ले ली है; और

(ख) पाकिस्तान सरकार ने भारतीयों की किस प्रकार की तथा कितनी ऐसी सम्पत्ति पर कब्ज़ा कर लिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) भारत के शत्रु सम्पत्ति परि-रक्षक को आदेश दे दिया गया है कि वह समस्त अचल सम्पत्ति और कुछ किस्मों की चल सम्पत्ति को जो पाकिस्तानी नागरिकों की हो या उनके द्वारा धारित हो अथवा उनकी ओर से व्यवस्थित की जाती हो अपने अधिकार में ले ले। उनके द्वारा अभी तक इस प्रकार की अपने अधिकार में ली गयी सम्पत्ति का विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है। किन्तु इसकी बड़ी मात्रा को अभी अपने अधिकार में लेनें की प्रक्रिया जारी है।

विवरण

अचल

दस इमारतें (मूल्य का अनुमान अभी नहीं लगाया गया)।

चल

1. 4 जहाज जिनमें एक फ्लैट भी सम्मिलित है (मूल्य का अनुमान अभी नहीं लगाया गया)।
2. शेयर और सिक्युरिटी लगभग 7 लाख रु० मूल्य की।
3. प्रयोग की हुई 2 बसें और 4 कारें।
4. 15 वाणिज्यिक फर्में (इनको शुद्ध लेनदारी का हिसाब लगाया जा रहा है)।
5. रेल के 3 इंजन और रेल के 3 डिब्बे।

(ख) ज्ञात हुआ है कि भारत के 36 वाणिज्यिक संस्थान, जिनमें छः बैंक और छः बीमा कम्प-नियां सम्मिलित हैं, का नियन्त्रण पाकिस्तान सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया है। किन्तु इस सम्बन्ध में हमें अभी तक प्राप्त सूचना पूर्ण नहीं है। एक अधिसूचना प्रकाशित करके भारतीय नाग-रिकों से यह प्रार्थना की गयी है कि वे अपनी पाकिस्तान स्थित सम्पत्ति का ब्यौरा भारत के शत्रु सम्पत्ति परिरक्षक को दें, जिससे भारतीय नागरिकों की पाकिस्तान में पकड़ी गयी सम्पत्ति का आकलन किया जा सके। यह सूचना देने की अन्तिम तिथि 25 दिसम्बर, 1965 है।

श्री श्रीनारायण दास : यह देखते हुए कि पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त को साधारण रूप में काम करने की अनुमति नहीं है, सरकार को किन अन्य साधनों से पाकिस्तान में भारतीयों की सम्पत्ति के जब्त किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : हम ने कुछ दूसरे मित्र देशों के दूतावासों से इस बारे में प्रार्थना की थी। हमने वहां रहनें वाले भारतीयों से भी प्रार्थना की थी कि वे इस की रिपोर्ट सीधी हमें भेजें।

श्री श्रीनारायण दास : युद्ध-विराम को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि लोगों को सम्पत्ति वापस देने का प्रश्न भारत या पाकिस्तान के विचाराधीन है, यदि हां तो इसकी क्या स्थिति है ?

श्री मनुभाई शाह : वह स्थिति अभी नहीं आई है ।

Shri D. N. Tiwary : May I know the difference in the value of the material of Indian Traders and Indian Government confiscated by Pakistan and of that confiscated by India?

श्री सें० वें० रामस्वामी : मैं केवल पाकिस्तान द्वारा अधिकार में ली गई जायदाद की सूची बता सकता हूं परन्तु मैं उन के मूल्य का अनुमान नहीं लगा सकता क्योंकि जब तक पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय अपनी सम्पत्ति का विवरण शत्रु सम्पत्ति परिरक्षक को न बतायें तब तक उन का मूल्य नहीं लगाया जा सकता ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : वह जानते हैं कि कितनी वाणिज्यिक वस्तुओं तथा दूसरी वस्तुओं पर पाकिस्तान ने अधिकार किया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह सूचना विवरण में दी गई है ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : वह सूचना भारत द्वारा अधिकार में लिये गये माल की है पाकिस्तान द्वारा अधिकार में लिये गये माल की नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : No information has been received from there as yet. The information has been called for from there and unless it comes it cannot be furnished.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार को मालूम है कि जिन भारतीयों की सम्पत्ति को पाकिस्तान सरकार ने अपने अधिकार में लिया है उनकी सलाह के बिना वह उनकी सम्पत्ति का अपने प्रयोजनों के लिये प्रयोग कर रही है और उन भारतीयों के विरुद्ध इस देश में भी कार्यवाही की गई है ?

श्री मनुभाई शाह : इस शत्रुता के काल में हम ने ठीक यही प्रतिकारात्मक कार्यवाही की है । पाकिस्तान में भारतीयों की सब सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया गया है और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा पाकिस्तान सरकार उन का अपने प्रयोजनों के लिये कुप्रयोग कर रही है । वैसे ही हम ने भी सब पाकिस्तानियों की सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया है और उस का मूल्य लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हम उस का कुप्रयोग नहीं कर रहे हैं ।

श्री मनुभाई शाह : हम उसका कुप्रयोग नहीं कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : 'वैसे ही' में दोनों बातें आ सकती हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं जानना चाहता हूं कि जिन भारतीयों की सम्पत्ति पर पाकिस्तान द्वारा अधिकार कर लिया गया है क्या उन के विरुद्ध यहां कार्यवाही की गई है ? उनकी सम्पत्ति का प्रयोग पाकिस्तान ने उन की सलाह से नहीं किया था, फिर भी उन भारतीयों के विरुद्ध इस देश में कार्यवाही की गई हैं ।

श्री मनुभाई शाह : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य की जानकारी गलत है । इसके लिये हम ने किसी भारतीय के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है ।

Shri Prakash Vir Shastri : I want to know that if the Government could not get the information regarding the number of Indians whose properties were taken over by the Government of Pakistan or Pakistani nationals had they received information regarding the value of property of Indians in Pakistan?

Shri Manubhai Shah : That is what I have already told. We have received the list of all properties. It is very difficult to evaluate them even during the peace time. Now, where we have no dealings with them it is very difficult to get the information. We have requested them to give us the list and valuation of the property left over by the Indians till 25th December.

श्री श० ना० चतुर्वेदी : मैं जानना चाहता हूं कि जब कि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध कीसी स्थिति में नहीं हैं तो पाकिस्तान द्वारा सम्पत्ति को जब्त करने की कार्यवाही कहां तक उचित है और क्या हमारी कार्यवाही केवल प्रतिकारात्मक है या इस को हम ने ही आरम्भ किया है।

श्री सं० वे० रामस्वामी : इस में कोई औचित्य नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार के पास कोई ऐसी सूचना है कि पाकिस्तान द्वारा जब्त किये गये वाणिज्यक संस्थानों में लायलपूर स्थित भारतीय की कपड़े की एक मिल भी है जिसके प्रबन्धकों ने जब्ती से बचने के लिये पाकिस्तान की युद्ध निधि में दान दिया था ?

श्री मनुभाई शाह : उस मिल को भी पाकिस्तान सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है। परन्तु हमारा व्यक्ति दल के अलावा कुछ नही कर सकता कि हमारे पास रिपोर्ट कर दे।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि उस मिल के प्रबन्धको ने पाकिस्तान की युद्ध निधि में दान दिया था इस लिये वह जब्ती से बच गई है।

श्री मनुभाई शाह : उन्होंने प्रत्यक्षत: ऐसा नहीं किया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास ऐसी जानकारी है ?

श्री मनुभाई शाह : हमारे पास जानकारी है। हमने जांच की थी। समाचार पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ था।

श्री शिवाजीराव रा० देशमुख : पाकिस्तान के भूमिगत रेलवे के उपकरणों का, जिनपर हमने अधिकार किया है, अनुमानित मूल्य क्या है और क्या इन उपकरणों को भारतीय रेलवे को ये दिया गया है ? समाचार पत्रों में ऐसे समाचार प्रकाशित हुए हैं कि हमने एक जहाज़ भर भूमिगत रेलवे उपकरणों पर कब्जा किया है। हम जानना चाहते हैं कि उस का अनुमानित मूल्य क्या है और उस सम्पत्ति का क्या किया गया है।

श्री मनुभाई शाह : मुझे यह जानकारी माननीय सदस्य से ही प्राप्त हुई है।

Shri Rameshwara Nand : May I know the number of wagons confiscated by Pakistan out of the wagons which were sent there before this conflict.

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : I had told earlier that, two railway trains were detained by them alongwith their crews. Their trains and crews ....

Mr. Speaker : Swamiji has asked about the railway wagons confiscated by them?

Dr. Ram Subhag Singh : I will give the figures of the wagons afterward But, I have laid the statement on the Table of the House.

Shri Rameshwara Nand : My question has not been replied.

Mr. Speaker : You please sit down.

Shri Rameshwara Nand : You just listen to my request Sir. I have been writing to the hon. minister for years that thousands of our wagons are there in Pakistan and Pakistani agents with the consent of railways, employees here are sending these wagons to Pakistan. I was assured that the matter would be looked into but so far nothing has been done.

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the number of railway coaches and air craft captured by us?

Dr. Ram Subhag Singh : This question does not arise out of it. They have confiscated electric engines or railway equipment despatched to India *via* Wagha and Karachi and some of their goods are left with us also. The railway coaches or wagons of coal or engine which left for Pakistan on 6th September were not allowed to come back and we also did not allow the railway coaches etc. to go back on our side on that day. On 7th September nothing was allowed to move.

Shri Onkar Lal Berwa : We are not the looser.

Dr. Ram Subhag Singh : Perhaps we are not a looser.

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आक्रमण के दौरान पाकिस्तान में हजारों भारतीय राष्ट्रिकों को पकड़कर नजरबन्दी शिबिरों में बन्द कर दिया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई इन लोगों की सम्पत्ति के बारे में क्या सरकार ने कोई पूछ-ताछ की है अथवा क्या कराची में हमारे मित्र देश के किसी दूतावास ने हमें इस बारे में कोई सूचना दी है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री मनुभाई शाह : इस समय हमारे पास पूरे आंकड़े नहीं है। हमें जो भी जानकारी थी वह सभा को दे दी गई है। हमने एक अधि सूचना भी जारी की है जिसके द्वारा हमने इस देश के प्रत्येक राष्ट्रिक से पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई सम्पत्ति के बारे में हमें 24 दिसम्बर, 1965 से सूचना देने के लिये कहा गया है।

एक्स रे फिल्मों का आयात

*183. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक्स रे फिल्मों के संबंध में आयात नीति में संशोधन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो नई नीति की मुख्य रूपरेखा क्या है और पुरानी नीति की तुलना में इसमें क्या विभिन्नता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल, 1964 से मार्च, 1965 तक की अवधि में पुराने आयातकों को दिया गया 75 प्रतिशत का कोटा चालू लाइसेंस अवधि में घटा कर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। चालू अवधि के लिये जारी किये गये कोटा लाइसेंस को, उनका मूल्य 5,000 रु० से अधिक होने पर भी पूरी तौर पर उपयोग करने की अब अनुमति दे दी गई है, जबकि पिछली लाइसेंस अवधि की दोनों छमाहियों में इनके 50 प्रतिशत का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : कोटा कम करने के बाद इस देश में एक्स रे फिल्म की कुल मांग को किस प्रकार पूरा करने का विचार है तथा देश में विशेष रूपसे अच्छी किस्म को एक्स रे फिल्म बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

श्री मनुभाई शाह : हम इस बात को समझते हैं कि अस्पतालों के लिए एक्स रे फिल्म अत्यावश्यक हैं। इसलिए जब भी स्वास्थ्य मंत्रालय अथवा संबंधित चिकित्सा संस्था हमें लिखती हैं हम तदर्थ रूप से पूव जर्मनी से उन्हें कोटा दे देते हैं, जिनके साथ हमने व्यवस्था कर रखी है। जहां तक दैनिक आवश्यकता का प्रश्न है मैं नहीं समझता कि इस समय किसी संस्था को कठिनाई हो रही है। मैं माननीय सदस्यों के सुझावों का स्वागत करूंगा तथा भरसक प्रयत्न करेंगे यदि उनके निर्वाचन क्षेत्र अथवा राज्य में किसी संस्था को इस सम्बन्ध में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबन्ध है मुझे यह कहना है कि एक्स रे फिल्म की आवश्यकता इतनी कम है कि अभी एक कारखाना स्थापित करना उचित नहीं होगा लेकिन उदकमंडलम् में कच्ची फिल्म तैयार करने के लिए स्थापित किये गये कारखाने में एक्स रे फिल्म भी तैयार की जायेगी।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने देश में एक्स रे फिल्मों का उत्पादन करने के उद्देश्य से देश में निर्यात क्षमता का कोई सर्वेक्षण किया है और यदि नहीं, तो क्या देश में इसका उत्पादन करने के लिए कोई सर्वेक्षण करने का सरकार का विचार है?

श्री मनुभाई शाह : देश में मांग इतनी है कि एक्स रे फिल्म का, जिसका हम आयात कर रहे हैं, निर्यात करने के उद्देश्य से किसी ऐसी परियोजना की बात सोचने का अभी समय नहीं आया है। अनेक अन्य प्राथमिकता परियोजनायें आरम्भ की जानी है जिन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

श्रीमती सावित्री निगम : मैं जानना चाहती हूं कि क्या रुपयों में भुगतान स्वीकार करने वाले देशों से एक्स रे फिल्म लेने का कोई प्रयास किया गया है और क्या यह सच है कि हमारी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए जिसके कारण यह कटौती करनी पड़ी है, कुछ देशों ने पेशकश की है?

श्री मनुभाई शाह : वास्तव में रुपया भी उतना ही मूल्यवान है जितनी कि विदेशी मुद्रा—पौंड, स्टर्लिंग अथवा डॉलर। इसलिए हमें अपनी क्षमता को सभी साधनों से केवल अत्यावश्यक वस्तुओं का आयात करने के लिए बचानी है तथा जहां तक हम एक्स रे फिल्म का आयात अत्यावश्यक समझते हैं हम उसका आयात करते हैं। इसके अतिरिक्त इसका कारण पूर्व यूरोपीय देशों की असमर्थता नहीं है बल्कि हमारी अपनी संसाधन समस्या है।

श्री वारियर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने राज्यों से उनकी आवश्यकता तथा इस संकट काल में सभी राज्यों और अस्पतालों को साम्यिक वितरण करने के लिये कोई कार्यवाही की है?

श्री मनुभाई शाह : हमने ऐसा भी करके देखा है। मांग अत्यधिक है और उसे पूरा नहीं किया जा सकता है। हम केवल वास्तविक आवश्यकता होने पर उसे पूरा कर सकते हैं।

2—49 Lok Sabha/65.

"टिस्को" और "इस्को" द्वारा ऋण की अदायगी

+

*184. श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री वारियर :
श्री दाजी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बृजराज सिंह :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिस्कों और इस्कों के साथ उनको दिये गये ऋण और उनके ब्याज की अदायगी के संबंध में कोई नया समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) टिस्को और इस्को के साथ किये जाने वाले नये समझौतों की शर्तों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और शीघ्र ही औपचारिक समझौते हो जाने की संभावना है ।

(ख) संशोधित समझौतों के अधीन भारत सरकार और कम्पनियां यह स्वीकार करेंगी कि जहां तक पूर्व समझोतों के उपबन्धों का इस्कों को 10.18 करोड़ रुपये और टिस्कों को 10 करोड़ रुपये के विशेष अग्रिम धन से सम्बन्ध है उनका अधिलंघन कर दिया जाए । लगभग आधी रकम इस्को 5.18 करोड़ रुपये और टिस्को 5 करोड़ रुपये तत्काल जमा कर देगी । वास्तव में इस्को ने 5.18 करोड़ रुपये पहले ही जमा कर दिये हैं । मूलधन की बकाया रकम प्रावस्था भाजित अवधि में अदा की जायगी—अदायगी 31 मार्च, 1972 तक पूरी की जायगी । बकाया मूलधन पर 1 अप्रैल, 1965 से लेकर अर्द्ध वार्षिक किस्तों में ब्याज लिया जायगा । जहांतक 1 जुलाई, 1958 से 31 मार्च, 1965 तक की अवधि के लिए पिछले ब्याज का संबन्ध है सरकार यह स्वीकार करेगी कि वह 1 जुलाई, 1958 से 31 मार्च, 1961 तक की अवधि के लिए ब्याज की अदायगी पर जोर नहीं देगी तदुपरान्त 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1965 तक इस अवधि में समय समय पर प्रचलित बैंक की दर से साधारण ब्याज लिया जाएगा । इस रकम की अदायगी भी प्रावस्था-भाजित अवधि में की जायगी । अदायगी अर्द्ध वार्षिक किस्तों में 31 मार्च, 1972 तक पूरी की जायगी ।

Shri Madhu Limaye : In view of the fact that due to lack of funds we have to curtail vital Government schemes such as irrigation schemes, food programme etc., I want to know why these concessions have been granted under the new agreements instead of taking strict action for realising the loan?

Shri P. C. Sethi : The loan is being realised. As I stated in the main reply, they are depositing almost immediately half of the loan amount and as regards the other half amount, it would be repaid in full in instalments by 31st March, 1972. We are also charging interest from them. Interest will be charged w. e. f. Ist April, 1965 on the outstanding principal amount to be repaid in half yearly instalments. As regards the payment of interest for the period Ist July, 1958 to 31st March, 1965, Government have agreed not to claim interest for the period Ist July, 1958 to 31st March, 1961. In fact this facility has been granted as the company started production only in 1961 and since then they could get any return.

Shri Madhu Limaye : May I know whether this facility has been given in consideration of acceptance of fresh liability by these companies so as to assist the Government in their defence efforts after the newly increased defence responsibility as a result of the developments in August-September?

Shri P. C. Sethi : Whatever production they can do in the defence field, they are already doing. This has nothing to do with its expansion.

Shri Yashpal Singh : May I know the penalty imposed on them so far? After all what are the reasons for granting these liberal concessions to them when they delay the instalments by four years?

Shri P. C. Sethi : There is no question of granting concessions. If in future they miss any instalment government reserve the right to make changes in equity, etc.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह ऋण 10 या 12 वर्ष पहले दिये गये थे, क्या सरकार नये करारों में इस आशय का कोई खण्ड रख रही है कि यदि इन करारों के बाद भविष्य में चूक करेंगे तो सरकार समवाय अधिनियम के अन्तर्गत बकाया राशि को सामान्य अंश पूंजी में परिवर्तित करने के लिए कार्यवाही करेगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : वे 50 प्रतिशत राशि तुरन्त दे रहे हैं। यदि चूक हुई तो सरकार कार्यवाही कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या करारों में कोई उपबन्ध रखा जा रहा है।

श्री संजीव रेड्डी : जब सरकार को ऐसी राशि को सामान्य अंश पूंजी में बदलने का अधिकार प्राप्त है तो फिर करार में कोई शर्त करने की क्या आवश्यकता है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के सुचारू रूप से काम करते रहने की दृष्टि से क्या सरकार ने इन कम्पनियों को दिये गये अग्रिम धन के बदले में उनके शेयर लेने की कोई योजना बनाई है ?

श्री संजीव रेड्डी : जी, नहीं।

Shri K. N. Tiwary : May I know whether TISCO and IISCO have applied for new loans for expansion and if so, the amount thereof?

Shri P. C. Sethi : Full details have not been given. They are also negotiating with the World Bank. It will come to us when their project report is finalised.

श्री वारियर : 1958 से 1961 तक की अवधि के लिए ब्याज के भुगतान पर जोर नहीं देने के क्या कारण हैं ?

श्री संजीव रेड्डी : इस ऋण का इतिहास दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। भुगतान के लिए अनेक शर्तें रहीं हैं। इसलिए वित्त मंत्री तथा इस्पात मंत्रालय के सचिव ने बातचीत की थी। हमने यह सोचा कि और 10-12 वर्ष तक विलम्ब करने की अपेक्षा समझौता कर लेना चाहिए। यदि हमें उनसे इसकी वसूली करनी है तो उसके बदलने में उन्हें कुछ रिआयत देनी ही पड़ेगी। चूंकि हमने इस्पात की कुछ वस्तुओं पर से नियंत्रण हटा लिया है अब ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the conditions under which action has been taken or discussions held?

Shri P. C. Sethi : There was difficulty in the realisation of the loan as at the time of advancing the loan it was termed as a special advance and there was a condition that a special element will be provided in the retention price for the repayment of loan and interest thereon.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the conditions for the loans granted to the TISCO IISCO, the conditions violated by them and action taken therefor ?

Shri P. C. Sethi : Mr. Speaker, Sir, I had just now given all these details. The basic condition was that a special element will be provided in the retention price for repayment of this loan and interest thereon in addition to their retention price. Since the question of retention price was referred to the Tariff Commission, which made certain recommendations in 1962 and the Government did not accept them, the difficulty arose in the payment and realisation of the loan. Other questions do not arise.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What were the conditions?

Shri P. C. Sethi : There was no other condition.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस ऋण और ब्याज को वसूल करने के लिए सरकार को पूर्ण शक्ति प्राप्त थी क्योंकि हमने रिटेंशन प्राइस बढ़ाने की अनेक बार अनुमति दी है और साथ ही डेढ़ वर्ष पहले सरकार को हमने इस ऋण को सामान्य अंश पूंजी में परिवर्तित करने की शक्ति भी प्रदान की है, तो क्या सरकार कोई कार्यवाही न करने और विलम्ब के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक आयोग बनाने के लिए सहमत होगी ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। सरकार ने इस प्रश्न पर सावधानी से विचार किया है तथा मंत्रिमण्डल ने ऋण वसूल करने का निर्णय किया है। आखिरकार हमने प्रशुल्क आयोग की सिफारिश स्वीकार तो की नहीं थी। प्रशुल्क आयोग ने मार्च, 1962 में 8 रु० प्रति टन विशष अंश रखने की सिफारिश की थी। सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसने सोचा कि उन्हें यह देना शायद वांछनीय न हो। खंड में यह व्यवस्था है कि प्रशुल्क आयोग से परामर्श करना होगा और जो भी सिफारिश की जाये वह विशेष अंश देना होगा और उस विशेष अंश में से हम ऋण और ब्याज वसूल कर सकते है। इस प्रकार की जटिलतायें को इसलिए हम इसे लागू नहीं कर सके।

श्री अ० प्र० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि इस कम्पनी को लाभ हो रहा है या घाटा और यदि लाभ हो रहा है तो उसे यह विशेष रिआयत देने का क्या कारण हैं ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं समझता हूं कि उन्हें काफी लाभ हो रहा है। उस समय की स्थिति के बारे में मुझे नहीं मालूम।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच नहीं है कि ऋण को समान्य पूंजी में परिवर्तित करने का विधान पारित करते समय हम में से कुछ लोगों ने इन कम्पनियों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए इसका विरोध किया था? क्या सरकार यह बतायेगी कि उसने इस प्रकार विधान क्यों बनाया और फिर उसका प्रयोग नहीं किया?

श्री संजीव रेड्डी : सरकार को शक्ति प्राप्त है लेकिन प्रत्येक अवसर पर उसका प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। संसद् ने सरकार को शक्ति प्रदान की है। सरकार ने सब पहलूओं पर विचार किया और इस निर्णय पर पहुंची की इस मामले में कार्यवाही करना आवश्यक नही है। यह कहना ठीक नहीं कि किसी विशेष बात को अकेले ध्यान में रखकर हम विधान बनाते हैं। यह शक्ति सरकार को भूतकाल के लिए ही नहीं बल्की भविष्य के लिए भी प्रदान की गई है। मैं उस समय नही था। मुझे नहीं मालूम है कि यदि यह केवल उसके लिए था।

श्री सिंहासन सिंह : ये कम्पनियां कुल कितनी पूंजी से आरम्भ की गई थी और सरकार ने कितना ऋण दिया था तथा दोनों का अनुपात क्या है ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं 'टिस्को' और 'इस्को' का सारा इतिहास नहीं बता सकता। ऋण की राशि पहले ही बता दी गई है। 10 करोड रुपये 'टिस्को' को, 10.18 करोड़ रुपये 'इस्को' को।

औद्योगिक उत्पादन

\+
***185. श्री वारियर :** **डा० सरोजिनी महिषी :**
श्री दाजी : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्तिय वर्ष के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वार्ध में औद्योगिक उत्पादन कैसा रहा है;

(ख) गत दो छमाहियों की तुलना में इस वर्ष की पहली छमाही में औद्योगिक उत्पादन में में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और यदि उत्पादन में कमी हुई है तो उसका क्या कारण है; और

(ग) इन आंकड़ों को देखते हुए चालू वर्ष में औद्योगिक विकास में किस दर से वृद्धि होने की संभावना है और तीसरी पंचवर्षीय योजना का औद्योगिक विकास का लक्ष्य कहां तक पूरा होने की सम्भावना है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) : एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5131/65।**]

श्री वारियर : विवरण में यह कहा गया है कि खाद्य पदार्थ उद्योगों, सूती कपडा, लोहा और इस्पात मूल उद्योगों, पीतल तथा विद्युत् मशीन उद्योगों में अप्रैल/जूलाई, 1965 में अक्तूबर, 1964/ जनवरी, 1965 की तुलना में कम हुआ और जिसका कारण आयात किये जाने वालों कच्चे माल की कमी बताया गया है। इस कच्चे माल के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : इस समय स्थिति में कोई अधिक सुधार नहीं हुआ है और जब तक हमे विदेशी सहायता मिलने का विश्वास नहीं हो जाता यह कहना कठिन होगा कि स्थिति क्या होगी।

श्री वारियर : आज के समाचार पत्रों में यह समाचार दिया गया है कि कच्चे माल की स्थिति बहुत खराब है और प्रायः सभी उद्योग बन्द होने वाले हैं। इस संकट का सामना करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : यह सच है कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष के बाद कच्चे माल के आयात की स्थिति कठिन हो गई है और यही बात समाचार पत्रों में कही गयी है। जहां तक कच्चे माल और पुर्जों का सम्बन्ध है पुराने सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत सामान्य रूप से मिलने वाला सामान हमें नहीं मिल रहा है।

डा० सरोजिनी महिषी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों का प्रतिरक्षा उत्पादन के लिए उपयोग करना है मैं जानना चाहती हूं कि क्या असैनिक आवश्यकता के औद्योगिक उत्पादन में कोई कमी की गई और यदि हां, तो कितनी ?

श्री त्रि० ना० सिंह : कच्चे माल और पुर्जों के न मिलने के कारण साधारण रूप से उत्पादन धीमा कर दिया गया है लेकिन प्रतिरक्षा के लिए क्षमता का उपयोग किया जाना इसका कारण नहीं है क्योंकि प्रतिरक्षा की अपनी व्यवस्था है और वे उन उद्योगों का उपयोग कर रहे हैं जो उन्हें कच्चा माल प्रदान कर सकते हैं और उनके लिए माल तैयार कर सकते हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : इस अवधि में कच्चे माल की कितनी कमी होने की संभावना है और यह कहां तक आयात प्रतिस्थापन कार्यवाही से पूरी हो जायेगी ?

श्री त्रि० ना० सिंह : इस बात का अनुमान लगाना बहुत कठिन है कि इन विभिन्न देशों का का रवैया क्या रहेगा। हम अपनी ओर से यह मान कर चलने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें इन देशों से कुछभी न मिले।

श्रीमती अकम्मा देवी : औद्योगिक उत्पादन में आत्म-निर्भर बनने के लिए तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें सभी संसाधन उपलब्ध है मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार वर्तमान प्रयासों को तेज करेगी ?

श्री त्रि० ना० सिंह : यह सच है और यह कहते हुए मुझे प्रसन्नता होती है कि आयात प्रतिस्थापना और देशी माल के उपयोग में भारतीय उद्योगों से हमें यथासंभव सहयोग प्राप्त हो रहा है।

Shri Rameshwar Tantia : Whether it is a fact that industrial growth during the first four months of the year has been rather slow as compared to that in the previous three months and whether it is a fact that among other things it was due to the credit squeeze resorted to by the Reserve Bank of India; if so, whether Government are discussing this matter with the Reserve Bank or Finance Ministry?

Shri T. N. Singh : Credit squeeze had been there sometime before these three months. In view of the inflationary tendency credit squeeze appeared necessary. Inflationary process does effect the industrial production but it is temporary.

Shri Sarjoo Pandey : The Hon. Minister just now stated that many factories are going to close down for lack of raw materials. May I know the steps being taken by Government to keep these units in operation ?

Shri T. N. Singh : When the emergency was declared we freezed non-ferrous metals and strategic metals. Now we are gradually releasing them to the industries and they have started functioning with it. But this had to be resorted to during emergency.

श्री रंगा : सरकार देश के उद्योगपतियों के प्रयासों को तेज करने के लिये क्या विशेष कार्यवाही कर रही है ताकि वे अपने उद्योगों में प्रयोग होने वाले कच्चे माल को उन देशों से आयात कर सकें जो अब भी हमें सहयोग देना चाहते हैं अपने माल के निर्यात के इच्छुक हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : ठीक यही किया जा रहा है। भारत में ही उस सामग्री के बदल के लिये भी प्रयास किये जा रहे हैं और इन के अतिरिक्त हम उन देशों से माल लेने के प्रयास कर रहे हैं जहां रुपये में भुगतान होता है और जहां से हम कुछ माल ले सकते हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : विवरण में उल्लिखित आंकड़ों के होते हुए भी यह मालूम होता है कि सरकार वार्षिक वृद्धि की 11 प्रतिशत के स्थान पर जिस का तीसरा पांच वर्षीय योजना बनाते समय अनुमान लगाया गया था, 7 प्रतिशत की दर से संतुष्ट है। क्या सरकार ने इस 7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की दर को स्वीकार कर लिया है या इसको 11 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिये कुछ कर रही है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं नहीं मानता कि सरकार उत्पादन की नीची दर से सन्तुष्ट है। स्थिति हमारे सामने है और उस स्थिति को ठीक ही बताना चाहिए और चालू वर्ष की स्थिति को मैंने ठीक ही बताया है।

श्री सेझियान : विवरण के प्रथम कंडिका में यह बताया गया है कि :

"इन आंकड़ों से एसा मालूम होता है कि गत वर्ष की अपेक्षा सभी औद्योगिक वर्गों में, ऊनी कपड़े के अलावा, उत्पादन में वृद्धि हुई है। खाद्य पदार्थों का निर्माण करने वाले उद्योगों आदि के उत्पादन में तो 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है"

परन्तु तीसरी कंडिका में यह बताया गया है कि :

"खाद्य निर्माण उद्योगों आदि में अप्रैल-जुलाई, 1965 की अवधि में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जो कमी हुई है वह भी उल्लेखनीय है।"

मैं जानना चाहता हूं कि वृद्धि हुई है या कमी ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मैंने प्रश्न काल से कुछ समय पहले उत्तर को ठीक कर दिया है। तीसरी कंडिका में "गत वर्ष की इसी अवधि' के स्थान पर वास्तव में 'अक्तूबर 1964 से जनवरी 1965' के शब्द होने चाहिए थे, मैंने उत्तर ठीक कर दिया है।

श्री पें० वेंकटासुबय्या : क्या यह सच है कि छोटे पैमाने के उद्योगों में कच्चे माल को बांटने के मामले में उनसे उचित व्यवहार नहीं हो रहा है और यह कि औद्योगिक उत्पादन में कमी का एक यह भी कारण है और यदि हां तो सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ताकि लघु उद्योगों को कच्चे माल की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सके।

श्री त्रि० ना० सिंह : यह सच है कि लघु उद्योगों को कच्चे माल के अभाव के कारण कठिनाई हो रही हैं और हम इसे महसूस करते हैं परन्तु वर्तमान स्थिति में कुछ प्रत्यक्ष कठिनाइयां हैं और हमारी कठिनाईयों में जो और अधिक वृद्धि हो रही है उसका कारण है कि उनके लिए कोई लाइसेंस प्रणाली नहीं है और इन उद्योगों की संख्या में इतनी जल्दी वृद्धि हो रही है जिससे हम इन उद्योगों की कच्चे माल की आवश्यकताओं को उतनी जल्दी नहीं जान पाते है।

Shri Kashi Ram Gupta : Will the Hon. Minister be pleased to state that whether there has been a heavy reduction in the production of electricity in the hydroelectric projects such as a Chambal in Rajasthan, Bhakhra Nangal and projects in Madras and to what extent the industries have been affected by this reduction and in what way government is proposing to make up this shortage?

Shri T. N. Singh : The problem regarding shortage of electricity had arisen only this year in Rajasthan because of less rains. Even otherwise, the availability of electricity was little less there and its effects were being felt. We are trying to cope with the situation but it is very difficult to produce more electricity without water. We are trying to instal diesel sets there.

Shri Rameshwara Nand : The Prime Minister has just now raised slogan 'Jai Kisan'. But, Kisan ki Jai' can only be there if water is made available to him. Whenever we ask for the tube wells, department dealing with electricity says that they do not have power and transformers. May I know what efforts are being made in this regard so that we can become self sufficient. May I know whether Government are taking any immediate steps to increase the production of essential goods required for the generation of electricity?

Shri T. N. Singh : As far as the question regarding availability of electricity is concerned, we are trying our best to make it available to the farmers. But due to the lesser rains, hydroelectric projects could not produce the required quantity of electricity. We can not help it.

श्री शिवनंजप्पा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस प्रश्न से पता चलता है कि सरकार ने पांचवे इस्पात कारखाने को विशाखापटनम में लगाने का पहले ही निर्णय कर लिया है। वर्तमान रूप में प्रश्न किसी प्रकार भी अनुमन्य नही है।

अध्यक्ष महोदय : यह मन्त्रालय ही बता सकता है।

Fifth Steel Plant

+

***186. Shri Madhu Limaye :**	**Shri Gokaran Prasad :**
Shri Bagri :	**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Basappa :	**Shri Heda :**
Shri Ram Sewak Yadav :	**Shri Wadiwa :**
Shri Vishwa Nath Pandey :	**Shri T. Subrahmanyam :**
Shri P. C. Borooah :	**Shri J. P. Jyotishi :**
Shri Yashpal Singh :	**Shrimati Minimata :**
Shri Parashar :	**Shri Gokulananda Mohanty :**
Shri R. S. Pandey :	**Shri Daji :**
Shri Rajeshwar Patel :	**Shri Dinen Bhattacharya :**
Dr. Chandrabhan Singh :	**Shri Bade :**
Shri Chandak :	**Shri A. S. Saigal :**
Shri Onkar Lal Berwa :	**Shri Shiva Dutta Upadhyaya :**
Shri Brij Raj Singh :	**Shri U. M. Trivedi :**

Will the Minister of **Steel** and **Mines** be pleased to state :

(a) the progress made towards the setting up of India's Fifth Steel Plant at Vishakhapatnam;

(b) when the work is likely to start; and

(c) the total expenditure likely to be incurred including the details regarding foreign financial and technical collaboration?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : पांचवें इस्पात कारखाने के स्थान-निर्धारण के बारे में ब्रिटिश अमेरिकन स्टील वर्क्स फार इंडिया कंसार्टियम की सिफारिशों पर अभी सरकार विचार कर रही है। विदेशी वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग के ब्यौरे इत्यादि पर स्थान-निर्धारण पर निर्णय किये जाने के पश्चात विचार किया जाएगा।

Shri Madhu Limaye : After this conflict between India and Pakistan, the Western nations who had promised to give us economic aid had put us in such a situation by stopping that aid that our independence defence, and foreign policy was in danger. I would like to know that while establishing the Fifth Steel Plant, government will give emphasis on self-reliance so that we may not have to depend on foreign aid.

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : सरकार इस प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। हम इस के लिए अधिक पुर्जों को भारत में ही बनाने पर विचार कर रहे हैं। परन्तु यह प्रश्न तो स्थान का निर्णय हो जाने के बाद ही उत्पन्न होगा। इस पर मंत्रि-मण्डल विचार कर रहा है। मुझे खेद है कि अन्तिम निर्णय लेने में अभी एक दो मास लग जायेंगे।

Shri Madhu Limaye : If no decision has yet been taken regarding the location, may I know whether the Government has considered the suggestion for locating the Fifth Steel Plant in Orissa or Bihar where coal and iron will be available nearby and so there will be less expenditure and in the present situation it is essential to save money.

श्री संजीव रेड्डी : जहां कोयला प्राप्त होता है उस क्षेत्र में पहले ही पांच इस्पात कारखाने हैं जैसे टिस्को, ईस्को, दुर्गापुर, बोकारो जो कि बन रहा है और दुर्गापुर मिश्रित इस्पात कारखाना सरकार को इस प्रश्न पर निर्णय लेना होगा कि क्या सभी कारखाने एक ही क्षेत्र में लगाये जाये। भिलाई में एक कारखाना स्थापित करके पहले ही इस बात पर निर्णय लिया जा चुका है जो कि कोयला क्षेत्र से दूर है और वह कारखाना काम कर रहा है। इस लिये यह निर्णय तो नीति से सम्बन्धित हैं।

Shri Madhu Limaye : I do not agree with the principle of decentralisation but I am raising this question because it is essential to save money in this period of crises.

श्री० संजीव रेड्डी : मैंने इस का उत्तर पहले ही दे दिया है।

श्री बासप्पा : जबकि निकट भविष्य में विशाखापटनम से इस्पात के निर्यात की सम्भावना नहीं है क्योंकि कि देश में ही इस्पात की मांग अधिक है और इस लिये भी कि आंग्ल-अमरिकी सार्थ संघ इसकी जितनी लागत बताई थी उससे बहुत अधिक इस पर पूंजीगत लागत आयेगी जिस में विशाखापटनम के इस भाग का विकास भी शामिल है, योजना आयोग ने इस यह निष्कर्ष निकाला है कि इसको विशाखापटनम की बजाय किसी और स्थान पर लगाया जाय। क्या सरकार इस मतभेद को दूर करने के लिये शीघ्र ही कोई निर्णय करेगी ?

श्री संजीव रेड्डी : न केवल विशाखापटनम अपितु योजना आयोग भी कोयला के क्षेत्र के बाहर किसी भी क्षेत्र को उचित नहीं मानता। मेरे मित्र को यह जानकर निराशा होगी कि होस्पेट तो विशाखापटनम से भी बहुत दूर है।

Shri Ram Sevak Yadav : No decision has yet been taken about the Location of the Plant. In view of the fact that Belladila is a backward area in Madhya Pradesh and iron ore is available there and also that Vishakapatnam is an insecure place in war days may I know whether this Plant will be established at a place near Belladila in Madhya Pradesh?

Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri P. C. Sethi) : Mr. Speaker, cabinet will take a decision after taking into consideration all the factors.

Shri Vishwanath Pandey : May I know whether one or more places are being considered for the Plant which will be established and that this is causing delay in taking the decision?

Shri P. C. Sethi : As far as the question regarding the selection of place is concerned it is before the cabinet alongwith the report of the Anglo American Consertion Cabinet will take a decision after taking into consideration all these things.

श्री प्र० चं० ब्रुआ : आंग्ल-अमरीकी सार्थ-संघ ने इस पर कितनी लागत का अनुमान बताया है और सरकार को यह कि हद तक स्वीकार है?

श्री संजीव रेड्डी : इस स्थिति में यह प्रश्न नही होता।

Shri Yashpal Singh : As it does not appear approriate that all steel plants are established in a single state and that no such plant has yet been established in U. P., may I know whether Government will consider U. P. as the better place than any other for the establishment of present plant?

Shri P. C. Sethi : U. P. is not being considered at present.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister must be knowing that the land has been acquired near Belladila in Madhya Pradesh and a big building has been constructed with huge amount. May I know the reasons why Government is not considering to establish the plant there? Already huge expenditure has been incurred there in this regard.

Shri P. C. Sethi : The land which has been acquired is meant for Belladila Iron Ore Project.

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

Permission refused to Sikh pilgrims for going to Pakistan

+
S. N. Q. 2. **Shri Gulshan :**
Shri Buta Singh :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have refused permission to 1,000 Sikh pilgrims to go to Pakistan this year to celebrate the birth anniversary of Guru Nanak at Nankana Sahib (Pakistan); and

(b) if so, the reasons therefor?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : 9 नवंबर 1965 को श्री गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव के अवसर पर 1000 सिख तीर्थयात्रियों को पश्चिम पाकिस्तान में गुरुद्वारा ननकाना साहब जाने की अनुमति देने के संबंध में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रार्थना, पंजाब सरकार के ज़रिये प्राप्त हुई थी। इस प्रार्थना में 300 ऐसे व्यक्ति सम्मिलित थे जिन्हें पांच अन्य दलों में वितरित किया गया था। इस पर आवश्यक कार्रवाई की गई और उसे 3 सितंबर 1965 को कराची में हमारे हाई कमीशन के पास भेज दिया गया।

6 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच सारी संचार-व्यवस्था कट गई और इस प्रार्थना पर आगे कार्रवाई करना संभव नहीं हो सका। इसके अलावा, भारत-पाक सीमा बंद कर दी गई और पाकिस्तान में रहनेवाले भारतीय बंदी किए जाने लगे। भारत और पाकिस्तान के बीच आना-जाना बंद हो जाने से तीर्थयात्री दल का पाकिस्तान जाना संभव नहीं था। निरंतर रहनेवाली इस दशा में तीर्थयात्रा का सवाल ही नहीं था और इस तरह तीर्थयात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकी।

Shri Gulshan : The Government of Pakistan granted permission to Sikhs for visiting Nankana Sahab but the Government of India did not allow them to go. Is it because the Government of India doubts the loyalty of the Sikhs?

Shri Swaran Singh : Who can doubt their loyalty where we have got patriot like the hon. Member? Even to think of this thing is to being down one's self confidence. There is no comparison to bravery of sikhs with which they have faced the aggression of Pakistan. It will be the greatest weakness on our part to show such feelings. We should even not think on these lines. When the armies are facing each other and firing is going on, there is no arrangement of traffic how can we send the people? The decision taken thereon was justified.

Shri Buta Singh : The day from which the hon. Home Minister announced the formation of the Consultative Committee the Punjabi Suba issue the Pro-Hindu papers have stated writing daily against sikh leaders and our selves on the lines stated by Shri Gulshan. In the circumstances the question raised by Shri Gulshan Singh is justified. May I know the slackness shown by the Government is the outcome of the propaganda made by the papers or the Government had taken the decision at its own accord?

Mr. Speaker : He wants to know whether the slackness shown by the Government was the outcome of this propaganda or the Government had taken the decision at its own accord?

Shri Swaran Singh : Only political parties can reply to this propaganda. No other practical decision was possible except one which the Government had taken. It would not have been justified to send the people there when nobody is allowed to come bak from there.

श्री हेम बरुआ : क्या वास्तव में पाकिस्तान सरकार ने सीमा बिलकुल बन्द कर दी थी और वह नहीं चाहती थी कि इस समय यानी पाकिस्तान की यात्रा करें या हमारी सरकार ने पाकिस्तान से और कराची में अपने उच्चायुक्त से, कोई सूचना प्राप्त किये बिना यात्रियों को पाकिस्तान न भेजने का निर्णय ले लिया था ?

श्री स्वर्ण सिंह : जैसा कि सब जानते हैं कि जहां तक सीमा का सम्बन्ध है दोनों देशों के बीच संचार व्यवस्था बहुत कम थी। कुछ माननीय सदस्य वास्तव में स्वयं सीमा पर गये थे और देख आये हैं कि वहां कोई संचार व्यवस्था नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में क्योंकि दूसरी ओर जाने की वहां कोई व्यवस्था नहीं थी इस लिये यह निर्णय लेना पड़ा था।

Shri Rameshwara Nand : Mr. Speaker, everybody knows that under these circumstances visit to enemy country is not possible. May I know that the people who have put this question do not believe it.

Shri Swaran Singh : They are sitting near to you. You can ask this question to them.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने पाकिस्तान द्वारा रेडियो पर बार-बार दोहराई जाने वाले इस प्रस्ताव पर ध्यान दिया है कि वह सिखों को गुरू नानक देव के जन्मदिवस पर गुरूद्वारा ननकाना साहब की यात्रा करने की आज्ञा देने को तैयार हैं और वह यातायात की भी सब सुविधायें देने को तैयार हैं बशर्ते कि भारत सरकार भी ऐसा करने को तैयार हो ? यदि हां, तो इस प्रस्ताव से लाभ क्यों नहीं उठाया गया ?

श्री स्वर्ण सिंह : पाकिस्तान रेडियो ने कई प्रलोभकारी वक्तव्यों का प्रसारण किया है और मैं माननीय सदस्य, इस सभा और देश वासियों से प्रार्थना करूंगा कि वे उन पर ध्यान न दें।

श्री कपूर सिंह : मुझे सूचना चाहिये सलाह नहीं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या वास्तव में पाकिस्तान सरकार ने कोई पत्र भेजा था कि वह विशेष परिस्थितियों में सिखों को ननकाना साहब की यात्रा करने के लिये आज्ञा देने को तैयार है क्योंकि मैं चाहता हूं कि देश में इस बारे में कोई गलतफहमीं न हो और विशेष कर हम ने पुस्तकों में पढ़ा है कि प्रथम विश्व युद्ध में दोनों ओर की सेनाओं ने कुछ समय के लिये युद्ध बन्द करके क्रिसमस दिवस मनाया था ? इस बात को स्पष्ट करके कहना चाहिये कि क्या सरकार ने यात्रियों के पाकिस्तान जाने में कोई अड़चन डाली थी ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस प्रकार की पाकिस्तान से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी कि वह तीर्थ यात्रा की आज्ञा देने को तैयार है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

छोटी लाइन का नया खण्ड

*187. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटी लाइन का नया खण्ड बनाने के प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : एक अलग से मीटर गेज क्षेत्रीय रेलवे बनाने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

आयात नीति

*188. श्री यशपाल सिंह : श्री पाराशर :
श्री म० ला० द्विवेदी : श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के संदर्भ में आयात नीति पर पुनर्विचार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे आयात कार्यक्रम का निरन्तर निरीक्षण होता रहता है और यह निश्चित किये रहने के लिये पूरी सावधानी रखी जाती है कि हमारी रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी होती रहें।

कोयला धोने के कारखानों का स्थापित किया जाना

*189. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री क० ना० तिवारी : श्री हिम्मतसिंहका :
डा० रानेन सेन : श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के अन्त तक कोक-कोयला धोने की क्षमता को बढ़ाने का क्या कार्यक्रम है तथा कोयला धोने के कितने कारखाने स्थापित किये जायेंगे;

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में कोयला धोने का एक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या नये कारखाने स्थापित करने और पुराने पुर्जों को बदलने के लिए कोयला धोने की पर्याप्त मशीनें आदि मंगाने के लिए व्यवस्था कर ली गई है; और

(घ) विस्तार कार्य के लिए कितना विदेशी सहयोग प्राप्त किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) चौथी योजना में धातुकार्मिक उद्योगों की धुले हुए कोयले की आवश्यकताओं का अनुमान लगभग 20 मिलियन मीटरी टन लगाया गया है। इस आवश्यकता के समकक्ष, वर्तमान क्षमता तथा तीसरी योजना धावनशाला परियोजनाएं 14.47 मिलियन मीटरी टन हैं। चौथी योजना में नई धावनशालाएं स्थापित करके 3.38 मिलियन मीटरी टन की और योजना है। और क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि 2.0 मिलियन मीटरी टन धावित कोयले की कमी पूरी हो सके।

(ख) इस विषय के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ग) और (घ) : भविष्य में सभी धावनशालाओं के प्लांट भारत में बनाने का विचार है। इस प्रयोजन के लिए निजी क्षेत्र की 4 फर्म व सरकारी क्षेत्र में एक समवाय को लाइसेंस दिए गए हैं।

Defence Production

*190. Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Parashar :
Shri S. N. Chaturvedi :
Shri D. C. Sharma :
Shri Madhu Limaye :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Bagri :
Shri P. R. Chakraverti :
Shri P. C. Borooah :
Shri Yashpal Singh :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Himatsingka :
Shri Heda :
Dr. Sarojini Mahishi :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Brij Raj Singh :
Shri Gokaran Prasad :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri M. Malaichami :
Shri Kajrolkar :
Shri M. Rampure :
Shri Mohammed Koya :
Shri Gulshan :
Shri Vasudevan Nair :
Shri Warior :
Shri Ram Harkh Yadav :

Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state :

(a) the names of Industries in the public and private sector which can be utilised for defence production work;

(b) the arrangements being made for engaging the said Industries in defence production work;

(c) whether any scheme to increase defence production has been prepared in consultation with the Ministry of Defence;

(d) if so, the particulars thereof?

The Minister of Supply and Technical Development in the Ministry of Industry and Supply (Shri K. Raghu Ramaiah) : (a) The names of industries in the public and private sector which are capable of undertaking Defence Production work are too numerous to be listed. It would also be desirable, in the interests of security not to list the industrial units engaged in Defence Production.

(b) to (d). The Department of Supply and Technical Development has been in close and continuous touch with the Defence Services and other essential indentors so as to as certain and identify demands in respect of Defence stores covering a minimum period of time. After such identification, the Department of Supply and Technical Development locates the units with the required manufacturing capacity. Samples and drawings are also supplied to such industrial units as well as technical advice during the process of manufacture and also at the time of inspection. The Department also provides them, where necessary, with essential and timely supplies of raw materials and components in adequate quantity. In addition, suitable incentives are provided to such units which are successful in developing new Defence items.

In the discharge of these functions, the Directorate General of Supplies and Disposals and the Directorate General of Technical Development have been assisting the industry in creating new facilities and adapting existing ones to supply highly technical products, especially items of which they have had no previous experience.

घड़ियों का निर्माण

*191. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री किशन पटनायक :
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण मंत्री** 27 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 247 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में घड़ियां बनाने के संबंध में स्विटजरलैंड और रूस के सहयोग संबंधी प्रस्तावों पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : इन प्रस्तावों पर अभी विचार किया जा रहा है ।

मैंगनीज अयस्क का उत्पादन तथा निर्यात

*192. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैंगनीज अयस्क का उत्पादन इतना नहीं हो रहा है कि उसके निर्यात के लिये विदेशों से प्राप्त आर्डरों को पूरा किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) 1965-66 में कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : नीचे किस्म के मैंगनीज़ अयस्क के विषय में कोई खास कठिनाई नहीं हो रही है परंतु ऊंची किस्म के अयस्क की मांगें पूरी करने में कठिनाई हो रही है क्योंकि स्थानीय लौह मैंगनीज़ उद्योग और निर्यात दोनों के लिए ही इस की मांग बढ़ गई है। मैंगनीज़ अयस्क समिति ने हाल में ही उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक विभिन्न उपाय सुझाये हैं और खनिज अयस्क निर्यात सलाहकार समिति अब तक उसकी सिफारिशों पर सोच-विचार कर रही है। सुझाये गये उपायों में अधिक पट्टे दिये जाने तथा मशीनीकरण, परिष्करण और मिश्रण के लिए सहायता देना भी शामिल है ।

(ग) 1965-66 में निर्यात के लिए किये गये कुल परिणाम का योग लगभग 17 लाख मी० टन है ।

इस्पात का निर्यात

*193. **श्री विद्याचरण शुक्ल** :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री पाराशर :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री चाण्डक :
श्री ज़्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्रीमती मिनीमाता :
श्री दाजी :
श्री वाडीवा :
श्री बड़े :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से इस्पात का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस्पात का निर्यात किन-किन देशों को किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : जी, हां। 1965-66 के वर्ष के लिए 3,00,000 टन इस्पात का निर्यात करने का लक्ष्य निश्चित किया गया है। छड़, डंडे, ढांचे और भारी रेल की पट्टरी का, जो अपेक्षाकृत सुगमता से उपलब्ध हैं, सीधा रोक विक्रय करने की अनुमति है।

(ग) निर्यात पहले की भांति, मुख्यतः प्राप्त होने वाले मूल्य पर निर्भर, अधिकांश रूप से दक्षिण-पूर्वी एशिया, मिडल ईस्ट, अफरीका और यूरोप के कुछ देशों को किया जाएगा।

कपड़ा मिलों में कुप्रबन्ध

*194. **श्री रामेश्वर टांटिया :**

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कपड़ा मिलों में कुप्रबन्ध तथा अपव्यय के समाचार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी बातों को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय मजदूर संघ ने धमकी दी है कि वे इस मामले में सीधी कार्रवाई करेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) और (ख) : कुछ मिलों से कुछ कुप्रबन्ध अथवा स्टाक इकट्ठे हो जाने अथवा अन्य कठिनाईयों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इन सब मामलों में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 में दी गई शर्तों के अनुसार शीघ्र कार्रवाई कर दी गई है। फिलहाल आठ मिलों की जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ग) राष्ट्रीय मज़दूर संघ द्वारा सीधी कार्रवाई करने की किसी धमकी के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है।

विद्युत् चालित करघा जांच समिति

*195. **डा० सरोजिनी महिषी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में बनी विद्युत चालित करघा जांच समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) विद्युत चालित करघा जांच समिति की सिफारिशें अब भी सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण

*196. **श्री हेडा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री 27 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 253 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बनी हुई मशीनों के द्वारा कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण किस सीमा तक पूरा किया जा चुका है; और

(ख) कपड़ा बनाने की मशीनों का निर्माण करने वाले कारखानों को आधुनिकतम ढंग का बनाये रखने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सं० वें० रामस्वामी) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों की अवधि में, देशी तकुओं द्वारा 117 लाख तकुओं का तथा आयातित तकुओं द्वारा 24,576 तकुओं का पुनःस्थापन किया गया है। इसी प्रकार से 21,900 करघे, देश में बने करघों द्वारा और 800 करघे आयातित स्वचालित करघों द्वारा पुनःस्थापित किये गये।

(ख) टैक्स्टाइल मशीनें निर्माण करने वाले संयंत्र, अभी हाल ही में बनाये जाने के कारण आधुनिकतम ढंग के ही हैं। यद्यपि देशी मशीनों की खराबियों सम्बन्धी कुछ शिकायतें कभी-कभी आती हैं। इन्हें ठीक किया जा रहा है।

रेलवे लाइनों का बढ़ाया जाना

***197. श्री विश्वनाथ राय :**
श्री कृ० चं० शर्मा :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री समनानी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तान के आक्रमण तथा चीन के अवैध अतिक्रमण से उत्पन्न हुई युद्ध की सी स्थिति की दृष्टि से प्रतिरक्षा कार्यों के लिए सीमाओं की ओर रेलवे लाइनों को बढ़ाने के बारे में कोई कार्रवाई की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : सामरिक महत्व के कारणों से आवश्यक रेलवे लाइनों को बढाने की योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायगी। प्रतिरक्षा मंत्रालय के सलाह मशविरे से इस मामले पर तुरन्त विचार किया जा रहा है।

पाकिस्तान के साथ व्यापार

***198. श्री हरि विष्णु कामत :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर 1962 में हमारे देश पर चीन के आक्रमण के पश्चात् भारत द्वारा पाकिस्तान को भेजे गये कोयले, इस्पात तथा अन्य सामान के मूल्य की अदायगी के बारे में पाकिस्तान सरकार पर काफी धन बकाया है,

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा पाकिस्तान को भेजी गई प्रत्येक वस्तु के संबंध में पृथक पृथक आंकड़े क्या है, और

(ग) बकाया राशि वसूल करने के लिया क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : इस समय ऐसे तीन बड़े करार हैं जिनके अन्तर्गत पाकिस्तान के साथ हाल के वर्षों में व्यापार किया गया है : 1960 का रुपया भुगतान करार जुलाई 1964 का ताजे फल करार और जुलाई 1964 तथा जनवरी 1965 के दो चावल करार। पहले करार के अन्तर्गत पाकिस्तान को हुआ निर्यात वहां से हुए आयात की अपेक्षा लगभग 125 लाख रु० अधिक रहा परन्तु अन्य करारों के अन्तर्गत पाकिस्तान से हुआ आयात वहां को हुए निर्यात की अपेक्षा 121 लाख रु० अधिक रहा है। अक्तूबर 1962 में हुए चीनी आक्रमण के समय से पाकिस्तान के नाम पड़ी बकाया राशि में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। परंतु पाकिस्तान के साथ हाल में ही लड़ाई शुरू हो जाने और उसके फलस्वरूप नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान की परिसंपत्ति अवरोधित हो जाने के

कारण कुछ निर्यातकों का भुगतान बकाया पड़ गया है। सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें रुपया भुगतान करार तथा चावल करारों के अन्तर्गत, किये गये विभिन्न वस्तुओं के निर्यात और उनके अन्तर्गत किये गये आयातों के कुल मूल्य दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०–5132/65।**]

सोवियत रूस को चाय और पटसन का निर्यात

*199. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ में भारतीय चाय तथा पटसन की बड़ी मांग है;

(ख) यदि हां, तो क्रमशः 1962-63, 1963-64 और 1964-65 में उस देश को कितनी मात्रा में चाय तथा पटसन का निर्यात किया गया; और

(ग) सोवियत संघ और पूर्व यूरोप के अन्य देशों को हमारी चाय और पटसन का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) 1962-63, 1963-64, तथा 1964-65 में सोवियत संघ को निर्यात की गई चाय तथा जूट की मात्रा निम्न प्रकार है :—

मात्रा ('000 टनों में)

वस्तु		1962-63	1963-64	1964-65
(क) पटसन	(क) टाट	29.9	56.3	83.8
	(ख) बोरा	1.1	15.0	21.4
	(ग) अन्य	—	—	—
	योग	31.0	71.3	105.2

मात्रा ('000 कि० ग्राम में)

	1962-63	1963-64	1964-65
(ख) चाय	14,044	16,285	24,246

(ग) सोवियत संघ तथा अन्य पूर्वी यूरोपियन देशों के साथ भारतीय व्यापार का विनिमय व्यापार तथा भुगतान करारों के दायरे में सन्तुलित आधार पर होता है। प्रत्येक देश के साथ व्यापार करार का पुनर्विलोकन करते समय प्रत्येक वर्ष के संवर्द्धित निर्यातों के लिए भी व्यवस्था कर दी जाती है जिसकी स्थिति उपर्युक्त उद्धृत आंकड़ों में प्रतिबिम्बित होती है।

Industrial Units Destroyed by Pakistani Bombing

***200. Shri Madhu Limaye :**
Shri Gulshan :
Shri Himatsingka :
Shri Rameshwar Tantia :
Shrimati Maimoona Sultan :

Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 20,463 industrial units in Punjab were destroyed by Pakistani bombing; and

(b) if so, the scheme being formulated by Government to rehabilitate those units?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) and (b). In the conditions prevailing at the present juncture, it will not be in the Public interest to disclose these details.

वैगनों की मांग में कमी

***201. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में वैगनों की मांग में कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) अप्रयुक्त वैगनों को सर्वोत्तम रूप में किस प्रकार प्रयोग करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) और (ख) : जी नहीं; केवल बात यह है कि मांग में कुछ गिरावट आयी है, जो सामयिक है।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

व्यापार बोर्ड

***202. श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में 30 अक्टूबर, 1965 को व्यापार बोर्ड की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो कार्य-सूची में क्या विषय थे; और

(ग) बैठक में क्या निर्णय किये गये ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : 30 अक्टूबर, 1965 को हुई व्यापार बोर्ड की बैठक में जो बहस तथा निर्णय हुए उन्हें संक्षेप में बैठक के बाद प्रकाशित की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में दिया गया है, जिसकी एक प्रति (अंग्रेजी में) सदन की मेज पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5133/65।**]

प्रशुल्क वार्ता का केनेडी राउन्ड

*203. **श्री काजरोलकर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनेवा में प्रशुल्क वार्ता के पुनः आरंभ हुए केनेडी राउन्ड में भारत ने प्रशुल्क तथा व्यापार सामान्य करार के महानिदेशक को औद्योगिक वस्तुओं पर प्रशुल्क रियायतें देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या यह सच है कि ब्रिटेन द्वारा दिए गए वर्तमान अधिमानों को कम कर देने के कारण भारत को नुकसान हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां । भारत ने प्रस्ताव का एक विवरण प्रस्तुत किया है जिसमें केनेडी राउन्ड वार्ता में उसके योगदान का उल्लेख किया गया है ।

(ख) वार्ता अभी चल रही है ।

(ग) भारत के निर्यातों को प्रशुल्क मुक्त प्रवेश और ब्रिटेन के टैरिफ़ की विभिन्न श्रेणियों के विषय में प्राथमिकता के गारंटीयुक्त सीमान्त प्राप्त हैं । ब्रिटन ने अपने अत्याधिक अनुकूल राष्ट्र की टैरिफ दर में 50 प्र० श० कमी करने का प्रस्ताव किया है और जूट तथा सूती वस्त्रों जैसी वस्तुओं को अपवाद कर दिया है । इसलिए भारत को अब तक जो प्राथमिकतापूर्ण सीमान्त प्राप्त था उसमें कमी हो जायगी । वास्तव में इस के फलस्वरूप भारत को ब्रिटन के बाजार में जो व्यापार सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त थी वे समाप्त हो जायंगी ।

(घ) इन प्राथमिकताओं में होने वाली कमी को भारत केवल उसी दशा में स्वीकार करना चाहता है जब कि इन वार्ताओं में भाग लेने वाले अन्य विकसित देश अच्छी रियायतें अथवा ऐसी ही सुविधाएं देकर उसकी काफी क्षतिपूर्ति कर दें ।

ब्रिटेन के साथ व्यापार

*204. **श्री रामपुर :**

श्री कनकसवै :

श्री मुहम्मद कोया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष में ब्रिटेन के साथ व्यापार कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो किन वस्तुओं के व्यापार में कमी हुई है; और

(ग) इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : अप्रैल से अगस्त, 1965 को छोटीसी अवधि में ब्रिटेन को हुए निर्यात का निर्धारण अभी से नहीं किया जा सकता । इसके बारे में अभी तो अन्तिम रूप से ठीक आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हुए हैं ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्यात

*205. **श्री कृ० चं० पन्त :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्यात बढ़ाये जाने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के सब उपक्रमों पर लागू होने वाली नीति तैयार कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : सरकार की यह स्वीकृत नीति है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादों का यथासम्भव अधिकतम सीमा तक निर्यात करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करने चाहिए । इस नीति का अनुसरण करते हुए सरकारी क्षेत्र के सम्बद्ध उपक्रमों के लिए हिदायतें जारी कर दी गई हैं । सम्बद्ध प्रशासकीय मंत्रालयों तथा इस मंत्रालय में भी ऐसे उपक्रमों के साथ निर्यात की सम्भावनाओं और अन्य सम्बद्ध समस्याओं पर बातचीत कर ली है ।

इन में से कुछ उपक्रमों ने निर्यात बढ़ाने के लिए विदेशी बाजारों का सर्वेक्षण और अन्य उपाय पहले से ही आरम्भ कर रखे हैं । आशा है कि यह सार्वजनिक उपक्रम निर्यात द्वारा देश के लिए अधिकतम विदेशी मुद्रा कमाने में यथा समय अपना पूरा योग प्रदान करेंगे । निर्यातकों के लिए सामान्य रूप से इस समय जो निर्यात सहायता और निर्यात सुविधाएं प्राप्त हैं वे सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को भी उपलब्ध हैं । इस लिए इन उपक्रमों को सहायता देने के लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है ।

सेलम इस्पात कारखाने के सम्बन्ध में जापानी दल का प्रतिवेदन

***206. श्री मुथिया :**

श्री धर्मलिंगम :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री 3 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 397 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी दल ने सेलम इस्पात कारखाने के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने मिश्रित इस्पात और विशेष इस्पात के लिये सेलम इस्पात कारखाना स्थापित करने का निर्णय कर का लिया है; और

(घ) क्या कारखाना चौथी पंचवर्षीय योजनाकाल में स्थापित किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : मद्रास राज्य में नैवेली सेलम क्षेत्र में चौथी योजना अवधि में निम्न कोटि के मिश्रित इस्पात का एक कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर जापानी सर्वेक्षण दल के प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात आगे विचार किया जायेगा ।

साफ न की गई ऊन का आयात

***207. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साफ न की गई ऊन के आयात से सम्बन्धित नीति में संशोधन किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो नई नीति की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और पुरानी नीति की तुलना में इसमें क्या परिवर्तन किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) : कच्ची ऊन के आयात की मूल नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अक्तूबर 1965 से सितम्बर 1966 तक की अवधि में कच्ची ऊन के आयात के लिए विदेशी विनिमय का आवंटन घटा कर 2 करोड़ रु० कर दिया है। चूंकि इस आवंटन से रक्षा की पर्याप्त आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी है इस लिए यह निश्चय किया गया है कि कच्ची ऊन के सभी आयातों को भारतीय ऊनी मिलों के संघ द्वारा कराया जाय जिससे ऊन प्रतियोगितापूर्ण मूल्यों पर प्राप्त हो सके और रक्षा कार्यों के लिए उपयुक्त वर्ग तथा किस्म की ऊन एक अभिकरण द्वारा उपलब्ध की जा सके। यह प्रबन्ध वर्तमान संकट काल के कारण करना पड़ा है।

Small-scale Industries

*208. **Shri Bagri :**

Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are not giving any incentive to the small-scale industries on account of foreign exchange shortage; and

(b) if so, when the foreign exchange shortage is likely to be met and the steps being taken in regard thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) and (b). In common with units in the large and medium scale sectors, small scale units are also facing difficulties in getting foreign exchange for raw materials. Subject to this, the small scale units continue to enjoy all the facilities that have been available to them hitherto.

स्कूटरों का निर्माण

*209. **श्री हेडा :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 27 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 258 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूटरों तथा आटो-साइकिलों के निर्माण के लिये लाइसेंस प्राप्ति के हेतु कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए है; जिनके निर्माण पर विदेशी मुद्रा खर्च नहीं होती; और

(ख) क्या उन आवेदन-पत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : जितने भी आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं उनमें या तो पुंजीगत उपकरणों या पुर्जों अथवा कच्चे माल या दोनों के लिये कुछ न कुछ विदेशी मुद्रा का प्रश्न अन्तर्निहित है। ऐसे आवेदन-पत्रों की संख्या बहुत कम है जिनकी पुर्जों और कच्चे माल के रूप में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता बहुत कम हो। आवेदन-पत्रों की विदेशी मुद्रा संबंधी कम से कम आवश्यकता के प्रस्तावों पर पूरी तरह विचार किया जा रहा है तथा उनकी विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं में और अधिक कटौती करने की सम्भावनाओं का भी पता लगाया जा रहा है।

तुगलकाबाद रेलवे यार्ड

442. **श्री राम हरख यादव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तुगलकाबाद रेलवे यार्ड के विकास के लिए योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर अनुमानित व्यय कितना होगा; और

(घ) क्या इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप नई दिल्ली स्टेशन पर भीड़ भाड़ कम हो जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : तुगलकाबाद मार्शलिंग यार्ड के विकास के लिए एक योजना पर विचार किया जा रहा है। जो 'मास्टर प्लान' विचाराधीन है उसमें ये काम शामिल है :—अतिरिक्त वर्गीकरण और आदान लाइनों की व्यवस्था, दिल्ली क्षेत्र और मध्य रेलवे को जाने वाली गाड़ियों के लिए अलग-अलग प्रस्थान यार्डों की व्यवस्था, आगत और निर्गामी सामान्य माल, कोयला और खनिज यातायात को संभालने के लिए एक दूसरे यार्ड की व्यवस्था और कोयले के ब्लाक रेकों के लिए आदान एवं प्रस्थान यार्ड की व्यवस्था। स्वभावतया यातायात में होने वाली उत्तरोत्तर वृद्धि के अनुरूप ही इस योजना को कई चरणों में अमल में लाया जायेगा।

(ग) यह योजना बिलकुल निर्माणात्मक अवस्था में है और इसके बारे में अनुमान या योजना को विभिन्न चरणों में रखने के ब्योरे अभी तैयार नहीं है। इसलिए अभी किसी प्रकार का यह संकेत देना बहुत असामयिक होगा कि इस पूरी योजना पर कितनी लागत आयेगी और इसे कितने चरणों में पूरा किया जायेगा।

(घ) इस योजना को अमल में लाने पर माल यार्ड का जो काम इस समय नई दिल्ली में किया जाता है उसे तुगलकाबाद को स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। इससे नई दिल्ली यार्ड की क्षमता बढ़ने की संभावना है, जिसे यात्री-यातायात की अतिरिक्त सुविधाओं के विकास पर लगाने का विचार है।

रामगंगा नदी पर रेलवे का पुल

443. **श्री राम हरख यादव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरादाबाद के निकट रामगंगा नदी पर नया रेलवे पुल बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रयोग के लिये कब तक तैयार हो जायेगा;

(ग) इस के निर्माण पर कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) वर्तमान पुल का किस प्रकार उपयोग किया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) यदि गर्डरों के लिए इस्पात मिल गया तो यह पुल जून, 1968 के अंत तक तैयार हो जायेगा।

(ग) 1,30,11,056 रुपये।

(घ) मौजूदा पुल का इस्तेमाल मीटर लाइन के यातायात के लिए किया जायेगा।

कानपुर स्टेशन यार्ड

444. **श्री राम हरख यादव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर के जुही स्टेशन यार्ड के विस्तार तथा विकास की योजना अन्तिम रूप में तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना में निम्नलिखित काम शामिल है :—

(1) वर्तमान सार्टिंग ग्रिड को प्रस्थान यार्ड में बदलना जिसमें 2250 फीट लम्बी 4 लाइनें होंगी। प्रस्थान यार्ड दोनों सिरों पर मुख्य लाइन से मिलाया जायेगा ताकि टुंडला, और इलाहाबाद और लखनऊ की ओर अप और डाउन वर्क ट्रेनें रवाना की जा सकें।

(2) सेकशनल वर्क ट्रेन तैयार करने के लिए मरम्मत लाइनों के पास नये स्थान पर ग्रिड यार्ड की व्यवस्था।

(3) सार्टिंग ग्रिड के लिए नये हम्प की व्यवस्था।

(4) वर्गीकरण यार्ड की वर्तमान शंटिंग ग्रीवा को दिल्ली की ओर बढ़ाकर 2250 फीट करना और इसे यानान्तरण लाइन से मिलाना।

(ग) जून, 1967 तक।

बाल बेयरिंगों का वितरण

445. श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकीय व्यापार निगम की सहायता से बाल एण्ड रोलर बेयरिंग डिस्ट्रिब्यूटर्स एसोसिएशन द्वारा आयात किये गये बाल बेयरिंगों के वितरण के बारे में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों का स्वरूप क्या है; और

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : बाल बेयरिंगों का आयात अधिकतर राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता है। इनके वितरण की व्यवस्था, व्यापारियों/पुराने आयातकों की संस्थाओं द्वारा की जाती है। जब कभी आयात और वितरण के सम्बन्ध में शिकायतें आती हैं, तो उनकी ध्यानपूर्वक जांच और उचित कार्रवाई की जाती है। आयात होने वाले कुछ विशिष्ट वर्गों, कुछ वस्तुओं की अप्राप्यता आदि के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं।

प्राप्त हुई शिकायतों में से एक, कुछ वास्तविक उपयोक्ताओं की थीं, जिनका प्रतिनिधित्व एक फर्म द्वारा किया गया। यह दी बाल एण्ड रोलर बेयरिंग एसोसियेशन लि० से उनकी आवश्यकता पूर्ति में होने वाली कठिनाई के सम्बन्ध में थी। इस विशिष्ट शिकायत की भी जांच की गयी और इस पर उचित कार्रवाई की गयी थी।

Construction of Railway line linking Sultanganj-Deoghar

446. Shri Bagri :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that lakhs of people visit Sultanganj-Deoghar in Sravana and on the occasion of Magh Purnima;

(b) whether Government have conducted any survey of this route with a view to constructing a railway line there; and

(c) if so, the outcome thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) Yes.

(b) No survey for a rail link between Sultanganj and Deogarh has been carried out so far.

(c) Does not arise.

तम्बाकू का न बिका स्टाक

447. **श्री कोल्ला वेंकैय्या :** क्या वाणिज्य मंत्री 17 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2346 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न किस्मों के धुआं रहित वरजीनिया तम्बाकू के न बिके स्टाक को राजकीय व्यापार निगम के माध्यम से अथवा सीधी बिक्री के द्वारा अथवा वस्तु विनियम के आधार पर बेचने के लिये अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : एक विवरण नीचे दिया जाता है :—

विवरण

राज्य व्यापार निगम द्वारा खरीदी गई धुआं रहित वरजीनिया तम्बाकू का परिमाण	सीधी बिक्री का परिमाण	वस्तु विनियम के आधार पर हुई बिक्री का परिमाण	राज्य व्यापार निगम के स्टाक में शेष परिमाण
37,958 गांठ	11,998 गांठ	9,150 गांठ	16,810 गांठ

नारियल जटा के सामान का निर्यात

448. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन पत्तन पर, बुलगेरिया और चेकोस्लोवाकिया जैसे पूर्वी यूरोपीय देशों को नारियल जटा के सामान के निर्यात पर 'वस्तुत: प्रतिबन्ध' लगा दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस प्रतिबन्ध के कारण नारियल जटा उद्योग को अत्यन्त कठिनाई अनुभव हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या उपाय करने का विचार किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) बुलगेरिया के विषय में कोई रोक नहीं बल्कि कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये थे। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि नारियल की जटा की खरीद उन कोटों से अधिक न हो जाय जिनका दोनों देशों के बीच करार हुआ है। फिर भी निर्यातकों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इनमें ढील दे दी गई थी और पहले से प्राप्त साख-पत्रों की पुष्टि युक्त सभी वर्तमान संविदाओं को माल भेजने की अनुमति दे दी गई थी।

(ख) ऊपर (क) में बताई गई कारवाई यह सुनिश्चित करने के लिये की गई थी कि नारियल जटा की सुतली का इतने अधिक परिमाण में निर्यात न कर दिया जाय कि उसके कारण निर्मित माल को हानि पहुंचे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नारियल जटा के रेशे का उत्पादन

449. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े नारियल जटा उत्पादन केन्द्रों चेराई और पारूर मे नारियल जटा के रेशे के उत्पादन में प्रायः गतिरोध आ गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्टाक जमा हो जाने के कारण नारियल जटा सहकारी समितियों ने अपना कारोबार प्रायः बन्द कर दिया है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इसका कुप्रभाव लाखों परिवारों पर पड़ा है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) और (ख) : जी, नहीं।

(ग) और (घ) : चेराई और पारूर में उत्पादित नारियल जटा का कोई निर्यात बाजार नहीं है, परन्तु यह अधिकतर देश में ही उपभोग किया जाता है। लड़ाई आरम्भ होने के पश्चात् परिवहन-सुविधाओं सम्बन्धी लगे प्रतिबन्ध के कारण, कुछ स्टाक इकट्ठा हो गया है। इसका कुछ सीमा में, नारियल जटा सहकारी समितियों पर प्रभाव पड़ा है। अभी हाल ही में सहायता देने के लिये केरल राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रु० के एक विशिष्ट ऋण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बीड़ियों का निर्यात

450. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हमारे देश में निर्मित बीड़ियों की अमरीका और ब्रिटेन में काफी मांग होने की संभावना है, क्योंकि वहां पर सिगरेट पीने के विरुद्ध डाक्टरी मत का लोगों पर बढ़ा प्रभाव हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने बीड़ियों के निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) अमरीका और ब्रिटेन में सिगरेट पीने के विरुद्ध डाक्टरी मत के बारे में सरकार को पता है और इसके सम्बन्ध में होने वाले रुख पर ध्यान रखा जा रहा है, जिससे कि इन देशों में भारतीय बीड़ियों को चलाया जा सके।

(ख) भारतीय बीड़ी अमरीका भेजने सम्बन्धी एक प्रारम्भिक विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन, सरकार के लिये अभिप्रेरणा गवेषण संस्थान, न्यूयार्क द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिवेदन में दिये गये सुझाव के अनुसार, भारतीय बीड़ियों की जांच इस समय एक स्वीकृति प्राप्त अमरीकी संस्था द्वारा यह प्रमाणित करवाने के लिये की जा रही है कि ये कैन्सर उत्पन्न करने वाले तत्वों से मुक्त हैं।

राज्य व्यापार निगम भी अमरीका तथा अन्य देशों में बीड़ियों के लिये बाजारों की खोज कर रहा है, जिससे कि बीड़ी निर्माताओं को सहयोग से सहायता पहुंचाई जाये।

Railway workers involved in Railway accidents

452. Shri Priya Gupta : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of railway workers killed and injured in the Railway accidents during the past one year; and

(b) the number of families of workers who have been given compensation by Government and the amount thereof?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the table of the Lok Sabha.

बी० के० लाइट रेलवे

454. डा० सारादीश राय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1966 से बी० के० लाइट रेलवे के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने का निर्णय करने के साथ साथ सरकार ने कोई ऐसा आश्वासन भी दिया है कि इस रेलवे के सब नियमित कर्मचारियों को सेवा में लगाया जायेगा और उनकी सेवा की शर्तें यथावत रहेंगी; और

(ख) यदि हां, तो दिये गये आश्वासन का ब्यौरा क्या है?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

बी० के० लाइट रेलवे

455. डा० सारादीश राय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बी० के० लाइट रेलवे के प्रबन्धकों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने बी० के० लाइट रेलवे के प्रबन्ध को सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिये जाने के परिणामस्वरूप केवल ए० के० रेलवे सेक्सन को ही चलाने में अपनी असमर्थता प्रकट की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एक ही तिथि से अर्थात् 1 अप्रैल, 1965 से दोनों ही रेलों के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

अखबारी कागज का आयात

456. **श्री राम हरख यादव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखबारी कागज की आयात-नीति उदार कर दी है और चालू वर्ष के लिये उसकी शर्तें जल रेखा वाले अखबारी कागज पर भी लागू की हैं; और

(ख) यदि हां, तो रियायत का विवरण तथा शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) अखबारी कागज के आयात के लिए जारी किए गए लाइसेंस अब जल रेखा वाले कागज के आयात के लिए भी वैध माने जायेंगे, बशर्ते इस में लकड़ी के यान्त्रिक गूदे की मात्रा तन्तुओं की मात्रा से 70 प्रतिशत से कम न हो और इसका बजन 50 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से कम न हो।

आयात तथा निर्यात संगठन के मुख्य नियंत्रक

457. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयात-निर्यात संगठन के मुख्य नियंत्रक के सम्बन्ध में नियुक्त किये गये अध्ययन दल का प्रतिवेदन मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) अध्ययन दल ने प्रतिवेदन का भाग 18-3-65 को प्रस्तुत किया था और भाग 2 की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) और (ग) : उस सरकारी संकल्प की एक प्रति, जिसमें अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के भाग 1 में की गयी प्रमुख सिफारिशें और सरकार द्वारा किये गये तत्सम्बन्धी निर्णय, दिये गये हैं, सदन की मेज पर 5 अप्रैल, 1965 को रखी गयी है। इनमें सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों पर अमल करने के लिये की गयी कार्रवाई का उल्लेख विवरण में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये, संख्या एल० टी० 5134/65।]**

तकनीकी विकास महा निदेशालय

458. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तकनीकी विकास के महा निदेशालय के सम्बन्ध में नियुक्त किये गये अध्ययन दल का पूरा प्रतिवेदन मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में संभरण तथा तकनीकी विकास मंत्री (श्री रघुरामय्या) : (क) अध्ययन दल के प्रतिवेदन का भाग 1 मिल गया है।

(ख) संक्षिप्त सिफारिशें प्रतिवेदन के अध्याय 10 में दी गई हैं और प्रतिवेदन की एक प्रति 10 सितम्बर, 1965 को सभा के पटल पर रख दी गई थी।

(ग) प्रतिवेदन के भाग 1 में की गई 109 सिफारिशों में से 70 सिफारिशों को, इन में से कुछ को अल्प रूपान्तर के साथ सरकार ने स्वीकार कर लिया है। संकल्प की एक प्रति, जिसमें 70 सिफारिशों पर सरकार के निर्णय संचालित किये गये हैं, सभा के पटल पर शीघ्र ही रख दी जायेंगी। 39 सिफारिशें विचाराधीन हैं।

Rise in Bicycle prices

459. Shri Kishan Pattnayak :
Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been a substantial increase in the prices of bicycles during the last one year; and

(b) if so, the measures being adopted to check the rise in these prices?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry & Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) No, Sir. There has been an increase of the order of about 3% in the retail prices of bicycles.

(b) Does not arise.

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा क्षमता का विस्तार

460. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
डा० सरोजिनी महिषी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा क गे कि :

(क) क्या टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी अपनी क्षमता को बढ़ा कर 40 लाख टन तक करने के लिये सहमत हो गई है;

(ख) क्या यह विस्तार करने के संबंध में उसने सरकार से कुछ आश्वासन मांगे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या आश्वासन मांगे गये हैं; और

(घ) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (घ) : टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड की इस्पात पिण्ड की क्षमता को बढ़ाकर 4 मिलियन टन करने की शक्यता पर विचार किया जा रहा है। इस संदर्भ में कम्पनी ने सरकार से आवेदन किया है कि विस्तार के प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए यह आवश्यक है कि पर्याप्त पूंजी--विदेशी और देशी--तथा परिवहन और शक्ति आदि सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिएं। इन बातों पर विस्तार के लिए प्रायोजना प्रतिवेदन एवं शक्यता अध्ययन प्राप्त होने पर निर्णय किया जायगा। प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

सिक्किम तांबा क्षेत्र

461. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम तांबा क्षेत्र में सोना और चांदी मिलने के निश्चित संकेत मिले हैं ;

(ख) क्या इन बहुमूल्य धातुओं के खनन की संभावना का पता लगाने के लिए कोई जांच पड़ताल की गई है और क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार सहायता प्रदान कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, महोदय । सिक्किम की भौटांग और दिक्चू खानों के खनिजायन में सोना और चांदी के अनुरेख पाए गए हैं ।

(ख) और (ग) : 1961 में भारतीय भौमिकी विभाग द्वारा तांबा, सीसा और जस्ता संबंधी विस्तृत अन्वेषण किए जाने के बाद भारतीय खान ब्यूरो ने सिक्किम के भौटांग और दिक्चू क्षेत्र के तांबे के संचयों का अन्वेषात्मक कार्य किया है ।

सिक्किम के भौटांग और दूसरे स्थानों में तांबा, सीसा और जस्ता आदि दूसरे धातुओं के निक्षेपों के विकास के लिए सिक्किम दरबार की घोषणा से सिक्किम माईनिंग कारपोरेशन की स्थापना हुई है । कारपोरेशन के 51 प्रतिशत भाग सिक्किम दरबार के हैं और 49 प्रतिशत भारत सरकार के ।

सरकार ने सिक्किम माईनिंग कारपोरेशन को खानों के विकास के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की है ।

मुगलसराय से आगे विद्युतीकरण व्यवस्था करना

462. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगलसराय से आगे विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस स्थान तक ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : बिजलीकरण का काम मुगलसराय से आगे इलाहाबाद (सूबेदार गंज) तक पूरा हो चुका है और इलाहाबाद (सूबेदार गंज)—कानपुर खण्ड पर यह काम हो रहा है ।

टेलीविजन सेटों का आयात

463. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 27 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 240 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक स्त्रोत से इस बीच कितने टैलीविजन सेटों का आयात किया गया; और

(ख) इस वर्ष कुल कितने सेटों का आयात किया जायगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) 1,000 सेट जापान से आयात किये गये हैं ।

(ख) इस वर्ष राज्य व्यापार निगम व्दारा हंगरी से 2,000 सेट आयात किये जाने की आशा है ।

चाय अनुसन्धान कार्य

464. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 17 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2394 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25 अगस्त, 1965 के "हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड" में "शासकीय विलम्ब का चाय अनुसन्धान-कार्य पर बुरा असर पड़ता है" (आफिशियल डिले अफैक्ट्स टी रिसर्च वर्क) शोर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार में लगाये गये आरोपों की जांच का क्या परिणाम निकला है; और

(ख) चाय अनुसन्धान कार्य आगे बढ़ता रहे इस उद्देश्य के निमित्त उक्त परिणाम को दृष्टिगत रखते हुए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) आरोपों की ध्यानपूर्वक जांच कर ली गयी है और पता चला है कि आयात लाइसेंसो के बारे में शासकीय विलम्ब की शिकायतें न्यायसंगत नहीं हैं। पता चला है कि लाइसेंसों के लिए आये अधिकतर आवेदन पत्रों में कुछ ऐसी विशिष्ट बातें नहीं दी गई थीं जो उनकी जांच करने के लिये आवश्यक थीं और इन्हें फिर से मंगवाना पड़ा था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे के माल डिब्बे संयोजन (असैम्बल) करने का कारखाना

465. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 17 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2357 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी यूरोपीय पत्तन में रेलवे के माल डिब्बे संयोजन करने का एक कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है; और

(ख) प्रस्तावित कारखाने पर आने वाली लागत, कारखाने की क्षमता तथा अन्य ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : मामला अब भी विचाराधीन है।

दिल्ली में अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी

466. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पिछली औद्योगिक प्रदर्शनी कब हुई थी; और

(ख) क्या सरकार दिल्ली में अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी आयोजित करने का विचार कर रही है ताकि सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के आरम्भ होने के बाद जो सफलतायें उन्हें मिली हैं उनका प्रदर्शन कर सकें ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में पिछली औद्योगिक प्रदर्शनी 1961 में हुई थी जिसका नाम "भारतीय औद्योगिक मेला 1961" था। इसका आयोजन फेडरेशन आफ इण्डियन चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने किया था। सरकार की यह योजना है कि दिल्ली में एक अखिल भारतीय स्थायी औद्योगिक प्रदर्शनी स्थापित की जाय। परन्तु देश में आपातकाल होने तथा दिल्ली में प्रदर्शनी स्थल उपलब्ध न होने के कारण यह काम रुका पड़ा है। सरकार ने हाल में ही मद्रास में एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मेला करने के लिए स्वीकृति दे दी है। जिसमें भारत के समस्त उद्योगों को अपनी सफलताओं का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। इस प्रदर्शनी का समय 22 जनवरी, से 28 फरवरी 1967 तक रखा गया है और अखिल भारतीय निर्माता संघ इस का आयोजन कर रहा है।

उत्तर तथा पूर्वोत्तर रेलवे पर मुआवजे के दावों के मामले

467. **श्री राम हरख यादव :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर तथा पूर्वोत्तर रेलवे पर पृथक पृथक 1964-65 में सरकार के विरुद्ध मुआवजे के दावों के मामले कितने रजिस्टर्ड हुए हैं;

(ख) 1964–65 में इन दोनों रेलवे में सरकार को पृथक पृथक कितना मुआवजा देना पड़ा;

(ग) क्या दोनों रेलों पर मुआवजे के दावों के मामले पहले वर्षों की तुलना में बढ़ गये हैं; और

(घ) मुआवजा दावों के रूप में सरकार को हुई हानि के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क)

	उत्तर रेलवे	85,690
	पुर्वोत्तर रेलवे .	30,271
(ख)	उत्तर रेलवे .	Rs. 81,92,503
	पूर्वोत्तर रेलवे .	Rs. 30,87,115

(ग) पूर्वोत्तर रेलवे पर 1964–65 में 1962–63 और 1963–64 की अपेक्षा पंजीकृत दावों की संख्या और दिये गये मुआवजे की रकम दोनों ही अधिक थीं जब कि उत्तर रेलवे पर दिये गये मुआवजे की रकम पिछले दो वर्षों की अपेक्षा अधिक थी लेकिन पंजीकृत दावों की संख्या 1962–63 की अपेक्षा कम और 1963-64 की अपेक्षा अधिक थी।

(घ) स्वभावतया रेल यातायात में कुछ जोखिम रहता है। सभी उचित सावधानी के बावजूद कभी कभी परेषण गलत जगह भेज दिये जाते हैं, गलत सुपुर्दगी हो जाती है, मार्ग में खो जाते हैं, चुरा लिये जाते है, क्षतिग्रस्त हो जाते है या विलम्बित हो जाते है, जिनके कारण उनमें खराबी आ जाती है। उनमें आग लगने या अन्य दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है। इन सब की वजह से मुआवजे के लिए दावे दायर किये जाते हैं।

इस समय कठिन परिस्थितियों में रेलें पूरी क्षमता से कार्य कर रही हैं जिससे जोखिम बढ़ गया है। 1 जनवरी, 1962 से सार्वजनिक वाहक दायिता की मान्यता का भी ज़ोर दावों के बिलों पर पड़ रहा है। दावों की संख्या में बढ़ती अंशत: ढोये गये यातायात की मात्रा में बढ़ती के कारण हुई जब कि देय मुआवजे की रकम बढ़ते रहने के लिए चीजों की बढ़ती हुई कीमतें उत्तरदायी हैं।

दावों की संख्या कम करने के लिये रेलें दावा निवारण संगठन के द्वारा लगातार कार्रवाई करके तथा रेल सुरक्षा दल के जरिये पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाकर सभी तरह के उपाय बरत रही है।

पूना-मिरज छोटी लाइन

468. **श्री मधु लिमये :**

श्री बागड़ी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने पूना-मिरज छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के साथ यह स्वीकार कर लिया है कि रेलवे लाइन को पहले स्थान से हटा कर ऐसे बिछाया जाये कि वह सतारा नगर के निकट से जाये; और

(ख) यदि हां, तो पटरी की लम्बाई कितने मील और बढ़ जायेगी तथा इस परियोजना पर कितना व्यय होगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) रेल पटरी की लम्बाई लगभग 8.5 कि० मी० बढ़ जायगी और लगभग 1 करोड़ रुपये अधिक खर्च होंगे।

अखबारी कागज का आयात

469. श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नागपुर के मराठी दैनिक समाचार-पत्र 'सुदर्शन' के सम्पादक से शिकायत प्राप्त हुई है कि इस बात के बावजूद भी कि 1962–63 में आयात किये गये अखबारी कागज का बीमा और भाड़ा सहित मूल्य (भारतीय बन्दरगाह) केवल 60 पौण्ड प्रति मीट्रिक टन था परन्तु मुख्य नियंत्रक ने उसे दिये गये एक्सचेंज कंट्रोल लाइसेंस में यह दर आई० ई० टी० सी० विनियमों का उल्लंघन करके 802.80 रुपए प्रति टन के बजाय 825 रुपए प्रति मीट्रिक टन बताया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) अखबारी कागज सामान्यत: कुल वजन के आधार पर दिया जाता है जबकि लाइसेंस शुद्ध वजन के आधार पर दिये जाते हैं, अतएव यह आवश्यक था कि घड़े के लिये प्रबन्ध किया जाय। 1962-63 की अवधि में अखबारी कागज के लिये आयात लाईसेंस, बीमा और भाड़ा सहित मूल्य 60 पौंड प्रति मीट्रिक टन की दर से दिये गये जिसमें 3 प्रतिशत अतिरिक्त (लगभग) लाइसेन्स मूल्यों में जमा किया गया, जिससे कि घड़ा इत्यादि कों पूरा किया जा सके । इसमें आई०ई०टी०सी० विनियमों का उल्लंघन नहीं होता है । अत: सरकार द्वारा कोई कारवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Cycle Industry

470. Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state :

(a) whether certain cycle parts are being imported by the cycle industry;

(b) if so, the names of the parts and their proportion to the parts produced in the country;

(c) whether cycle factories have been permitted to manufacture auto-cycles ; and

(d) if so, when their production is likely to commence?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) and (c). No, Sir.

(b) and (d). Do not arise.

Flying Mail Accident

471. Shri Bagri :
Shri Madhu Limaye :
Shri Bhanu Prakash Singh :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 244 on the 27th August, 1965 and state:

(a) whether the report of the judicial enquiry into the Flying Mail accident has been received;

4—49 Lok Sabha/65

(b) if so, the main points of the report; and

(c) the action being taken by Government thereon?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). The Additional Commissioner of Railway Safety, Lucknow, held a statutory enquiry into the accident to this train at Sandal Kalan station on 12-5-1965. He has not finalised his report as yet.

विरार तथा साफाला स्टेशनों के बीच फ्लैग स्टेशन

472. **श्री यशपाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री पश्चिम रेलवे पर विरार तथा साफाला स्टेशनों के बीच फ्लैग स्टेशन बनाने के बारे में 24 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2789 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल्ट स्टेशन कब से चालू हो जायेगा तथा किन किन गाड़ियों के लिये ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : विरार और साफाला स्टेशनों के बीच यात्री यातायात के लिए वैतरना ब्लाक हट खोलने की मंजूरी सितम्बर, 1965 में दी गयी थी। इस काम के लिए योजनाएं और अनुमान तैयार किये जा रहे हैं। आशा की जाती है कि अप्रैल, 1966 तक यह स्टेशन चालू हो जायेगा। लेकिन इस काम की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि श्रमदान की तत्परता से उपलब्ध होता हैं।

इस स्टेशन पर 45 डाउन/46 अप बम्बई-बड़ौदा और 39 डाउन/40 अप बम्बई-अहमदाबाद सवारी गाडियों को ठहराने का विचार हैं।

प्रद्रावक (स्मैल्टिंग) संयंत्र

473. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस पर निर्णय करने के लिये एक समिति नियुक्त की है कि प्रस्तावित प्रद्रावक, जो सौराष्ट्र को बाक्साईट पर आधारित होगा, गुजरात में स्थापित होना चाहिये अथवा केरल में;

(ख) सरकार ने इस प्रश्न को पुनः किन कारणों से उठाया है; और

(ग) क्या जे० के० ग्रुप ने गुजरात प्रस्तावित प्रद्रावक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी हां।

Import of Raw Materials

474. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :
Shri Parashar :
Shri S. N. Chaturvedi :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the decision taken regarding the grant of import licences to the Industrialists for the import of raw materials on the basis of import policy announced for the current financial year; and

(b) the number of applications received and the nature of cut being made?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) and (b). The question of allocating the monetary ceilings for licensing of raw materials to actual users in various sectors and to concerned sponsoring/licensing authorities on the basis of current import policy has not yet been finalised and the cuts to be imposed have also not been decided so far, as these would depend upon the ceilings allocated.

Railway Reservations

475. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that generally passengers are told that seats are not available in the third class sleeper coaches, but by giving bribe to the Railway employees, such seats are immediately reserved;

(b) the efforts being made by the Railways to root out corruption of this nature; and

(c) whether any proposal to introduce more sleeper coaches on some routes is under consideration and if so, the routes on which and the trains to which these will be attached and the time likely to be taken in this behalf?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No, Sir. There have, however, been complaints to this effect in some cases.

(b) and (c). A statement is laid on the Table of the House. [**Placed in the Libary. See No. LT 5135/65.**]

पंजाब में नई रेलवे लाइनें

476. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई लाइनें लगाने की, विशेषतया पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के सीमा क्षेत्रों में आवश्यकता का पुनः अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो नई लाइनों को कब तक बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या सरकार ने चण्डीगढ़ को लुधियाना से और चण्डीगढ़ को बरास्ता रोपड़ होशियारपुर से मिलाने की वांछनीयता पर विचार किया है?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : चौथी योजना में नयी लाइनों के प्रस्तावों को योजना आयोग और अन्य संबंधित सरकारी विभागों के सहयोग से अभी अन्तिम रूप देना बाकी है ।

(ग) जगाधरी-चण्डीगढ़-रोपड़ और लुधियाना को मिलाने वाली एक बड़ी रेलवे लाइन के लिए 1957 में यातायात सर्वेक्षण किया गया था जिससे पता चला कि यह परियोजना बहुत अलाभप्रद रहेगी । चण्डीगढ़ और होशियारपुर के बीच एक रेलवे लाइन के लिए अभी तक कोई जांच नहीं की गयी है । वर्तमान विषम आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस लाइन को अग्रता नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस पर बहुत अधिक लागत आयेगी ।

सीमेंट के कारखाने

477. **श्री ब० कु० दास :** क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री 24 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 814 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के कितने सीमेन्ट कारखानों को 1964-65 के उत्पादन से अधिक उत्पादन करने पर अधिक विकास छूट तथा उत्पादन-शुल्क छूट दी गई है; और

(ख) क्या वे अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : चूंकि उच्च विकास छूट तथा अतिरिक्त उत्पादन पर उत्पादन-शुल्क में छूट इसी वर्ष से प्रारम्भ की गई है, अतः यह चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में ही मालूम हो सकेगा कि कौन कौन से सीमेंट कारखाने इन्हें पाने के अधिकारी होंगे ।

कपड़े का उत्पादन

478. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कपड़े के उत्पादन में कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सँ० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग) : जी नहीं।

रेलवे अधिकारी

479. **श्री अ० प्र० शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलों में पर्सोनल अफसर, ए० जी० ओ०, डी० पी० ओ०, डिप्टी चीफ और चीफ पर्सोनल अफसर तथा रेलवे बोर्ड में डिप्टी डाइरेक्टर, ज्यायंट डाइरेक्टर, डाइरेक्टर संस्थापन, ऐडिशनल मेम्बर (स्टाफ) तथा मेम्बर (स्टाफ) की कुल संख्या पृथक-पृथक कितनी है; और

(ख) उनमें से प्रत्येक वर्ग में से कितने अधिकारियों ने (झोनवार) संस्थापन नियमों तथा कर्मचारी प्रबन्ध पाठ्यक्रमों की विभागीय-परीक्षा पास करी है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेल-प्रशासनों में

मुख्य कार्मिक अधिकारी	8
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी	7
मण्डल कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी . .	101
सहायक कार्मिक अधिकारी	202

रेल बोर्ड में

सदस्य (कर्मचारी वर्ग)	1
अपर सदस्य (कर्मचारी वर्ग)	1

निदेशक (सिब्बन्दी) . . .	1
सलाहकार (श्रम और कल्याण)	1
संयुक्त निर्देशक (सिब्बन्दी)	2
उप निदेशक (सिब्बन्दी)	6

(ख) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

होसपेट से हुबली तक बड़ी लाइन का विस्तार

480. **श्री बासप्पा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने होसपेट से हुबली तक बड़ी लाइन का विस्तार करने के लिये प्रार्थना की है;

(ख) क्या तीसरी योजना अवधि के समाप्त होने से पहले ही इस लाइन को आरम्भ करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं ।

(ग) रेलों की तीसरी योजना के निर्माण-कार्यों में यह शामिल नहीं है। चौथी योजना में रेलवे लाइनों के आमान में परिवर्तन से सम्बन्धित योजनाओं को योजना आयोग और अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों के सहयोग से अभी अंतिम रूप देना बाकी है।

मध्य प्रदेश में कोयला निकालने के लिये पट्टा

481. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री पाराशर :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री चाण्डक :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री दाजी :
श्री वाडीवा :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री बड़े :
श्री शिवदत्त उपाध्याय :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राजकीय खनन निगम ने कोकिंग और नान-कोकिंग कोयला निकालने के लिये पट्टा लेने के लिये आवेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो आवेदन-पत्र का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : मध्य प्रदेश सरकार की तहसील सोहागपूर के बकाही और बकाहो ग्रामों के 2438.95 एकड़ पर कोयले के पट्टे को मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन को देने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ है।

सहायक उद्योगों सम्बन्धी उप-समिति

482. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** **श्री दाजी :**
डा० चन्द्रभान सिंह : **श्री वाडीवा :**
श्री पाराशर : **श्री रा० स० तिवारी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री बड़े :**
श्री चाण्डक : **श्री शिवदत्त उपाध्याय :**
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी : **श्री उ० मू० त्रिवेदी :**

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 10 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1906 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के लिये सहायक उद्योगों सम्बन्धी प्रस्तावित उप-समिति बनाई जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उप-समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और उसके निर्देश-पद क्या हैं; और

(ग) उप-समिति अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेगी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : सरकार ने मध्य प्रदेश में निम्नलिखित निर्देश पदों पर सहायक उद्योग संबंधी उप-समिति की स्थापना करने के लिये स्वीकृति दे दी है :

(1) उन हिस्सों, पुर्जों तथा सहायक पुर्जों की सूचियां तैयार करना जिनकी रक्षा प्रयत्नों से सीधे संबंधित बड़े उद्योगों को आवश्यकता होती है ;

(2) उन हिस्सों, पुर्जों तथा सहायक पूर्जों की सूचियां तैयार करना जिनकी आवश्यकता अन्य बड़े उद्योगों को पड़ती है; और

(3) लघु क्षेत्र के लिये निर्धारित की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन के बारे में सूझाव देना जिससे बड़े और लघु उद्योग के लिये प्रस्तावित सामान्य उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार उनका भी उत्पादन किया जा सके ।

उप-समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा शीघ्र ही कर दी जायगी ।

(ग) उप-समिति से कहा जायगा कि वह अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत कर दे ।

कानपुर स्टेशन पर कारतूसों का पकड़ा जाना

483. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :** **श्री कपूर सिंह :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 अक्तूबर, 1965 को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने 1000 कारतूस पकड़े थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार अवैध रुप से गोला-बारूद ले जाने के लिये जिम्मेदार लोगों के पकड़ने के लिए क्या कोई कार्रवाई की गयी है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) पुलिस इस मामले की छान-बीन कर रही है और उसने इस सम्बन्ध में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है ।

तीसरे दर्जे के डिब्बे तथा ब्रेक वैन

484. **डा० सरोजिनी महिषी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय तीसरे दर्जे के डिब्बों तथा ब्रेक वैनों की बहुत अधिक कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति को ठीक करने के लिए क्या पग उठाये गये हैं ।

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) यातायात की वर्तमान सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तीसरे दर्जे के सवारी डिब्बों तथा लगेज और ब्रेकयान सहित तीसरे दर्जे के सवारी डिब्बों की कोई कमी नहीं है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) प्रत्याशित यातायात की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रति वर्ष अधिक सवारी डिब्बों के निर्माण का कार्यक्रम बनाया जाता है ।

मेलात्तूर-फेरोक रेलवे लाइन

485. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेलात्तूर-फेरोक रेलवे लाइन बनाने के बारे में कोई प्रारम्भिग सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर "नहीं" है, तो उसके क्या कारण है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) इस लाइन को रेलवे की तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया था । धन और साधनों के सीमित होने के कारण इस लाइन के निर्माण-कार्य को निकट भविष्य में हाथ में लेने की भी संभावना नहीं है । यदि कोई सर्वेक्षण इस समय कराया जाय और इसके तुरन्त बाद निर्माण-कार्य हाथ में नहीं लिया जाय, तो यह सर्वेक्षण पुराना पड़ जायेगा । अतः अभी इस लाइन के सर्वेक्षण पर खर्च करना ठीक नहीं है ।

श्रीनगर स्थित केन्द्रीय रेशम के कीड़ों के अंडों के केन्द्र की इमारत

486. **श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीनगर स्थित केन्द्रीय रेशम के कीड़ों के अण्डों के केन्द्र की इमारत का निर्माण-कार्य 1963 में आरम्भ किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस इमारत का निर्माण-कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) : श्रीनगर के केन्द्रीय रेशम कीड़ों के बीज केन्द्र की इमारत के तकनीकी और प्रशासकीय कार्य तथा कर्मचारियों के 30 क्वार्टरों के निर्माण के लिये अनुमानित 10,08,800 रु० लागत की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति मई 1962 में दी गई थी और कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया था। (1) निर्माण-कार्य का नाम (2) प्रारम्भ की तिथि (3) अब तक हुआ व्यय तथा (4) निर्माण की वर्तमान अवस्था को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5136/65।**]

(ग) निर्माण कार्य समाप्त होने के मुख्य कारण ये हैं :—

(1) सामग्री, जैसे कि पक्की लकड़ी नहीं मिली जिसके कारण डिजाइनों में सुधार करने पड़े और इसके फलस्वरूप दरों में संशोधन किये गये ; और

(2) जिन ठेकेदारों को निर्माण-कार्य सौंपा गया था उनके द्वारा असहयोग तथा विलम्ब किया जाना।

पाकिस्तानी लोगों की भारत में भूमि

487. **श्री दलजीत सिंह :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है कि अभी तक भारत में कितनी भूमि पर ऐसे लोगों का स्वामित्व है जो पाकिस्तान के स्थायी नागरिक हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ पाकिस्तानी नागरिक जो भारत से पाकिस्तान चले गये थे, अब भी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में कुछ भूमि के मालिक हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग) : अधिसूचना संख्या 12/2/65-ई-प्रापर्टी, दिनांक 10 सितम्बर, 1965 के अन्तर्गत, पाकिस्तानी नागरिकों की अथवा उनके द्वारा व्यवस्थित समस्त अचल सम्पत्ति, शत्रु सम्पत्ति परिरक्षक के अधिकार में चली गई है। इस श्रेणी में आने वाली सम्पत्ती की सूची राज्य सरकारों की सहायता से तैयार की जा रही है अभी पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यदि यह पाया गया कि पाकिस्तानी नागरिक अब भी, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में किसी भूमि के स्वामी हैं तो उसे उपरोक्त अधिसूचना के अनुसरण में परिरक्षक के अधिकार में कर दिया जायेगा।

नंगल में कागज का मिल

488. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स अबीतिबी पावर एण्ड पेपर कम्पनी, कनाडा के सहयोग से पंजाब में नंगल में एक कागज की मिल लगाने के लिये मैसर्स श्री गोपाल पेपर मिल्स को लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) कागज मिल में उत्पादन कब आरम्भ हो जायेगा ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : नंगल में 200 मीट्रिक टन प्रतिदिन अखबारी कागज बनाने वाले एक संयंत्र की स्थापना करने के लिये मेसर्स श्री गोपाल पेपर मिल्स को 31 जनवरी, 1961 को एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया था। अनुज्ञप्तिधारी से विदेशी सहयोग संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होने की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) चूंकि कच्चे माल के संभरण तथा विदेशी सहयोग की शर्तों के बारे में अभी अन्तिम रूप से निर्णय किया जाने को है, अत: यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता कि मिल में उत्पादन कब से शुरू होगा। फिर भी सामान्य रूप से सारी प्रारम्भिक कार्रवाई पूरी हो जाने के पश्चात् इस आकार के संयंत्र में उत्पादन शुरू होने में 3–4 वर्षों का समय लगता है, इसलिये अनुमान है कि इस एकक में नियमित रूप से उत्पादन सम्भवत: चौथी योजना के अन्त तक ही शुरू किया जा सकेगा।

पाकिस्तानियों द्वारा रेल की पटरियों का उखाड़ा जाना

490. **श्री यशपाल सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी या पूर्व पाकिस्तान में भारतीय सीमा के निकट पाकिस्तानी सेनाओं को रेल की पटरियों को उखाड़ते देखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

पंजाब में रेशम-कीट पालन उद्योग

491. **श्री हेमराज :** क्या वाणिज्य मंत्री 27 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 878 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के पहाडी जिलों में रेशम-कीट पालन उद्योग के विकास के लिये व्यापक योजना बनाने के हेतु पंजाब में भेजे गये केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अधिकारी ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिवेदन की मुख्य बातें ये हैं :—

(1) राज्य के ऐसे पहाड़ी और अर्द्ध-पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां कि रेशम कीट पालन का विकास करने की सम्भावनाएं हैं, 12 संयुक्त विकास केन्द्रों की स्थापना करना। इन प्रस्तावित केन्द्रों का कार्य निर्धारण इस प्रकार है :—

(1) एक शहतूत बागान, काफी एकड़ों में लगाना जहां से पौधों का उत्पादन और वितरण किया जाये।

(2) लगभग 60 औंस चाकी रेशम कीट बीजों का पालन करना और उन्हें सुरक्षित रूप में तथा ठीक समय पर रेशम कीट पालकों को वितरित करना।

(3) स्वास्थ्यप्रद परिस्थितियों और पूर्ण प्रविधि के अन्तर्गत विभागीय कीट पालन का संचालन करना।

(4) कोकूनों की फसल सफलतापूर्वक उगाने के लिये क्षेत्र के पालकों को आवश्यक निर्देश देना।

(5) स्टिफ़लिंग और बाजार सुविधाएं प्रदान करना।

चतुर्थ आयोजनावधि में केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने इन केन्द्रों की स्थापना के लिये अपनी स्वीकृति लगभग 22.80 लाख रु० की अनुमानित लागत के लिये दे दी है।

(2) राज्य के वर्तमान बीज संगठन का पुनर्गठन इन प्रकार किया जाये जिससे कि चतुर्थ आयोजनावधि के अन्त तक 7500 औंस निरोग बीज का उत्पादन किया जा सके।

(3) राज्य की विभागीय संस्थाओं की प्रविधिक क्षमताओं में सुधार किया जाये।

कलकत्ता के पार्क सर्कस में स्टेशन

492. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे ने कलकत्ता के पार्क सर्कस में एक नया स्टेशन आरंभ किया है ;

(ख) यदि हां, तो इससे सियालदाह टर्मिनस पर सर्वाधिक आवागमन वाले समय पर होने वाली यातायात की भीड़ में कितनी कमी हुई है ; और

(ग) क्या यह सच है कि नये स्टेशन पर पीने के पानी शौचालय तथा अमानती सामान घर (क्लौक रूम) आदि किसी भी सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) पार्क सर्कस स्टेशन हाल ही में 1–10–1965 से खोला गया है। अभी इस स्टेशन से बहुत अधिक यात्री नहीं चढ़ते उतरते हैं। इसलिये अभी से यह अनुमान लगाना बिलकुल असामयिक होगा कि इससे सियालदाह स्टेशन पर अत्यधिक व्यस्त समय के यातायात में किस हद तक राहत मिलेगी।

(ग) पार्क सर्कस स्टेशन पर जिन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है और जिनकी व्यवस्था करने का विचार है, वह इस प्रकार है :—

(1) रोशनी (प्लेटफार्म पर बिजली की 9 बत्तियां)।
(तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय में बिजली की 4 बत्तियां)।

(2) बेंच (प्लेटफार्म पर 6 बेंचें)
(तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय में 6 बेंचें)।

(3) बिजली के पंखे (तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय में 3)।

(4) नलकूप (प्लेटफार्म पर 1)।

(5) पानी की ट्राली (तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय में 1)।

(6) पानी की बाल्टियां (2)।

(7) शीशे के गिलास (3)।

(8) डिपर (1)।

(9) मिट्टी का घड़ा और उसका स्टैंड (1)।

(10) पेशाबघर और शौचालय (बन रहा है)।

(11) प्लेटफार्म-शेड (बन रहा है)।

(12) स्टेशन घड़ी (1)।

वर्क्स एकाउन्टेन्ट, ऐग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यमुना पुल कार्यालय, उत्तर रेलवे

493. **श्री बूटा सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त और सितम्बर, 1965 में रेलवे बोर्ड के सतर्कता निदेशालय को ऐग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यमुना पुल, उत्तर रेलवे के कार्यालय के वर्क्स एकाउन्टेन्ट के विरूद्ध कदाचार अनियमितताओं तथा धोखाधड़ी के कुछ और मामलों का पता चला है और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले में जो प्रारंभिक छान-बीन की गई उससे पता चला कि लगाये गये आरोपों में सचाई न थी ।

"कास्ट एकाउन्टेंसी" का प्रशिक्षण

494. **श्री बूटा सिंह :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी 1962 से 31 अगस्त 1965 की अवधि में उत्तर रेलवे के कितने वरिष्ठ लेखापालों को:सरकारी खर्च पर 'कास्ट एकाउंटेन्सी' का प्रशिक्षण दिया गया है ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने 1964 में ये आदेश जारी किये थे कि ऐसे प्रशिक्षित, कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग उनको वर्कशाप लेखापालन कार्यालयों में लगाकर किया जाना चाहिये ; और

(ग) कितने मामलों में उपर्युक्त आदेशों का उत्तर रेलवे ने पालन नहीं किया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) अप्रैल, 1962 में (न कि 1964 में) बोर्ड ने यह आदेश जारी किया था कि 'कास्ट एकाउन्टेन्सी' में प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों को यथासंभव कारखानों के लागत लेखा संघटनों को सुदृढ़ बनाने के काम पर लगाया जाये ।

(ग) केवल एक वरिष्ठ लेखापाल (जो 1-1-1962 से पहले प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे) के मामले में। इन्हें प्रधान कार्यालय के निरीक्षण विभाग में ही रहने दिया गया है क्योंकि उनकी ड्यूटी में कारखाना लेखा कार्यालयों के निरीक्षण का काम भी शामिल हैं।

उत्तर रेलवे का लेखा विभाग

495. **श्री बूटा सिंह :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेलवे मंत्री 26 फरवरी, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 430 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन कनिष्ठ लेखापालों, वरिष्ठ लेखापालों तथा लेखा अधिकारियों को, जिन्होंने रेलवे बोर्ड में 5 वर्ष की प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी कर ली है, उत्तर रेलवे में वापस भेजने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय प्रस्ताव की क्या स्थिति है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : रेलवे बोर्ड में लेखा अफसरों और वरिष्ठ तथा कनिष्ठ लेखापालों के पद सावधिक पद हैं। इनका कार्यकाल तीन से पांच वर्ष तक का है। सामान्य नियमों के अनुसार प्रत्येक मामले में कार्यकाल को प्रशासनिक हित में बढाया जा सकता है। जो वर्तमान कर्मचारी अपना सामान्य कार्यकाल समाप्त कर चुके ह उनकी जगह प्रशासनिक सुविधा और आवश्यकता को देखते हुए दूसरे कर्मचारियों की एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रखा जा रहा है।

भारतीय रेलों के ड्रैसर

496. **श्री बूटा सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय को भारतीय रेलवे (चिकित्सा विभाग) के ड्रैसरों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिस में प्रार्थना की गई है कि उनके पदनाम को बदल दिया जाये और उनके वेतन-क्रमों में संशोधन किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) यह निश्चय किया गया है कि वर्तमान आदेशों को संशोधित करने का औचित्य नहीं है। ये आदेश जगन्नाथ दास वेतन आयोग की विशिष्ट सिफारिशों पर आधारित हैं ।

गोहाटी से डिब्रूगढ़ तक रेलवे लाइन

497. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि गोहाटी से डिब्रूगढ़ तक दूसरी रेलवे लाइन बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : असम-सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में जखलाबंधा से खुमटई तक एक रेलवे लाइन बनाने और उखाड़ी गयी मोरानहाट-खोवांग लाइन को फिर से चालू कर उसे डिब्रूगढ़ तक बढ़ाने की सिफारिश की थी । यदि ये प्रस्ताव मान लिये जायें, तो इस समय लमडिन्ग, फरकटिंग और तिनसुखिया के रास्ते जो रेलवे लाइन है उसके अलावा डिब्रूगढ़ से गोहाटी तक एक वैकल्पिक रेल-सम्पर्क बन जाय । चूंकि नयी लाइनों के निर्माण के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में धन और साधन सीमित हैं और सामरिक तथा विकास योजनाओं के लिये अपेक्षित कई अन्य परियोजनाओं का काम हाथ में लेना पड़ा, इसलिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सका । नयी लाइनों के लिए चौथी योजना में जो रकम उपलब्ध होगी, वह तीसरी योजना में निर्धारित रकम से भी कम होगी । इसलिये चौथी योजना में भी इन प्रस्तावों पर विचार किये जाने का आसार कम ही हैं ।

आसाम मेल को पटरी से उतारने का प्रयत्न

498. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री बसुमतारी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के पुलियाजान स्टेशन के निकट आसाम मेल को 16 सितम्बर, 1965 को पटरी से उतारने का प्रयत्न किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या गाड़ी को पटरी से उतारने के लिये किये गये प्रयत्न से सम्बन्धित परिस्थितियों की जांच पूरी हो चुकी है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) तिनसुखिया की सरकारी रेलवे पुलिस ने इस मामले में तुरन्त छान-बीन की थी । उसके विचार में यह कोई तोड़-फोड़ का प्रयास नहीं था । फिर भी इस मामले की जांच अभी हो रही है ।

दिल्ली मेन स्टेशन के पार्सल कर्मचारी

499. **श्री गुलशन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली मेन स्टेशन के कुछ पार्सल कर्मचारियों ने 1964–65 में अन्तर-डिवीजन स्थानान्तरण के लिये आवेदन पत्र दिये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनके आवेदन पत्रों के अब तक न निपटाये जाने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) एक को छोड़कर सभी प्रार्थनाएं मान ली गयी है और उन पर अमल किया जा चुका है । एक मामला बकाये में इसलिये पड़ा है कि जिस डिवीजन में स्थानान्तरण के लिये प्रार्थना की गयी है वहां कोई खाली जगह नहीं है ।

Hindumalkot-Sriganganagar Railway Line

500. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) when the work on the construction of the proposed railway line between Hindumalkot and Sriganganagar would commence;

(b) the expenditure likely to be involved in the project;

(c) whether the Rajasthan Government have also assured some help in the form of cash or labour; and

(d) if so, the total cash contribution made by that Government so far in this behalf ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) The project was sanctioned on the definite understanding that the earthwork for formation would be executed through shramdan. Instead the State Government have now proposed to do this through their Public Works Department. Inauguration ceremony for this earthwork, to be done by the State Government was held on 2nd October, 1965. Thereafter, no work has been done so far. Planning of the remaining works depends on the progress of this earthwork.

(b) The cost of the project was estimated at about Rs.101 lakhs in 1960. It is expected that this cost may now go upto Rs. 115 lakhs, due to increase in cost of labour and materials in the intervening period.

(c) and (d). The undertaking of the work was itself conditional on the promise of the Rajasthan Government to organise Shramdan for earthwork and also for skilled and unskilled labour necessary for construction of station buildings, quarters and platforms. At an intermediate stage, finding it difficult to organise shramdan, the State Government suggested acceptance of cash contribution. Of the assumed equivalent cash contribution of about Rs. 12·5 lakhs, the State Government was unable to collect more than Rs. 1·5 lakhs as contribution from the beneficiary parties. They have now finally offered to execute the earthwork through their Public Works Department.

रेलवे में मजदूर संघ

501. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** **श्री गोकरन प्रसाद :**
श्री बृजराज सिंह : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने विभिन्न रेलवे जोनों के मान्यता प्राप्त मजदूर संघों अथवा संघानों की सदन संख्या का सत्यापन कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जोन के मजदूर संघों या संघानों मे कितने कितने सदस्य हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर "नहीं" हो तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) : सूचना मंगाई जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

रेलवे कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देना

502. **श्री बृजराज सिंह :** **श्री गोकरन प्रसाद :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम वेतन आयोगने सभी रेलवे कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने की सिफारिश की थी ;

(ख) क्या 1950 में सरकारनें इन सिफारिशों को स्वीकार किया था तथा संसद् ने इनका अनुमोदन किया था ;

(ग) क्या रेलों ने 1957 में पेंशन योजना आरम्भ की थी ; और

(घ) सरकार का विचार उन रेलवे कर्मचारियों को लाभ देने के लिये क्या कार्यवाही करने का है, जो 1950 से 1957 के बीच सेवा-निवृत्त हुए और इस प्रकार उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल सका ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं। 1947 के केन्द्रीय वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि भविष्य में भर्ती होने वाले रेल कर्मचारियों के लिये पेंशन प्रणाली लागू की जा सकती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां। एक स्वतंत्र निश्चय के रूप में।

(घ) सवाल नहीं उठता। ये कर्मचारी अंशदायी निर्वाह निधि प्रणाली द्वारा शासित होते थे जिसके अनुसार उन्हें सेवा-निवृत्ति देय लाभ दिये गये थे।

इंधन के भंडार

503. **श्री दे० द० पुरी** : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रूसी भूवैज्ञानिक तथा खनिज वैज्ञानिक डा० जी० पोसपेलोव के इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि कोयले के ज्ञात भंडार मानव जाति के लिये 500 वर्ष के लिये पर्याप्त रहेंगे तथा तेल के भंडार और सो वर्ष भी नहीं चलेंगे ;

(ख) क्या इस कारण जहां तक भारत का सम्बन्ध है कोयले और तेल के उपभोग के युक्तिकरण के लिये कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) हां, महोदय ।

(ख) नहीं, महोदय ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

"बायलर क्वालिटी प्लेट"

504. **श्री दे० द० पुरी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड भारत में उपभोक्ताओं की बायलर क्वालिटी प्लेट सप्लाई करने के लिये बार-बार विज्ञापन करता रहा है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि इस के बावजूद भी आर्डर बुक कराने वाले ग्राहकों को अभी तक ये प्लेटें नहीं दी गयी हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने कुछ उत्पादन क्षमता बायलर क्वालिटी प्लेटों के निर्माण के लिये नियत कर दी है तथा इन प्लेटों का उत्पादन कब तक पूर्ण रूप से वाणिज्यिक पैमाने पर आरम्भ होने की आशा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) बायलर क्वालिटी प्लेटों के तीन विज्ञापन दिये गये थे और ये विज्ञापन 27 फरवरी से 12 अप्रैल, 1965 की अवधि में दिये गये थे ।

(ख) बुक किये गये आर्डरों पर अग्रता और प्राथमिकता के अनुसार पर्याप्त संभरण किया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के बायलर क्वालिटी प्लेट और नौ-निर्माण प्लेट दोनों के 25,000 टन प्रतिमास के लक्षित उत्पादन में से 50 प्रतिशत के लगभग बायलर क्वालिटी के होने की संभावना है । बायलर क्वालिटी प्लेटों की सप्लाई अप्रैल, 1961 में शुरू की गई थी । अप्रैल से सितम्बर, 1965 तक छः महीनों में 6,603 टन बायलर क्वालिटी प्लेटों का सम्भरण किया गया और लगभग 8,000 टन बायलर क्वालिटी गर्म क्वायल ट्यूब निर्माताओं को भेजे गये ।

सरोजिनी नगर नई दिल्ली रेलवे कालोनी

505. **श्री गुलशन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरोजिनी नगर रेलवे कालोनी के क्वार्टरों में अनधिकृत रूप से अतिरिक्त रसोईघर आदि बनवा लिये है; और

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे प्रशासन ने इस बात का पता लगाने के लिय कोई कार्यवाही की है कि अनधिकृत निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामान कहां से प्राप्त हुआ है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इन अनधिकृत संरचनाओं के निर्माण पर लगे सामान उसी प्रकार के सामान हैं जो स्थानीय बाजारों में उपलब्ध हैं, जैसे पुरानी चद्दरें, तिरपालें, सिरकियां आदि ।

उत्तर रेलवे के डिविजनल सुपरिन्टेंडेंट का कार्यालय

506. **श्री गुलशन :** क्या रेलवे मंत्री नई दिल्ली स्थित उत्तर रेलवे के डिवीजनल सुपरिटेंडेंट के कार्यालय की वाणिज्य शाखा के एक कर्मचारी की गिरफ्तारी से सम्बन्धित 19 फरवरी, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 91 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस शाखा का हेड क्लर्क भी इस मामले में जिम्मेदार पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

हावड़ा-मद्रास मेल

507. **श्री गोकुलानन्द महन्ती :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा-मद्रास मेल में डीज़ल इंजन लगाने और उसके परिणामस्वरूप उसकी गति तेज हो जाने से समय की कितनी बचत हुई है;

(ख) क्या समय में हुई बचत को देखते हुए सरकार ने मेलगाड़ी का कुछ और महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहराने के सम्बन्ध में विचार किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 1—10—1965 से 3 अप/4 डाउन हावड़ा-मद्रास डाक गाड़ियों में उनके पूरे चालन-क्षेत्र में डीज़ल इंजन लगाये जाते हैं जिसके फलस्वरूप उनकी चाल बढ़ जानेसे हावड़ा-मद्रास दिशा में 3 घंटे 41 मिनट और मद्रास-हावड़ा दिशा में 4 घंटे 25 मिनट कम समय लगता है।

(ख) और (ग) : इन गाड़ियों का अतिरिक्त ठहराव नहीं रखा गया है, क्योंकि यातायात की दृष्टि से जिन स्टेशनों पर इनका ठहराना उचित न हो वहां इन्हें ठहराने से डीज़ल इंजन लगाकर इन गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने की दिशा में किया जाने वाला प्रयास विफल हो जायगा।

विदेशी फर्मों के साथ सहयोग

508. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे विदेशी व्यापारियों को जो भारतीय राष्ट्रजनों से सहयोग करार करने के इच्छुक हैं 9 जनवरी, 1965 से आज तक की अवधि में कोई आशय-पत्र जारी किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित विदेशी व्यापारी कौन-कौन हैं; और

(ग) उनसे किस क्षेत्र में सहयोग मांगा गया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : विदेशी पार्टियों का ब्योरा और सहयोग के प्रस्तावित क्षेत्र नीचे बताये गये हैं :—

(1) मध्यवर्ती पदार्थों एवं गैर-स्टराइडों का निर्माण करने के लिये मेसर्स आर्गनान लेबोरेटरीज लि०, लन्दन के श्री जे० आर० जोयसी।

(2) विभिन्न किस्मों की औद्योगिक भट्टियों का निर्माण करने के लिये मेसर्स स्टीन एट-किन्सन स्टोर्डी लि०, यु० के० ।

(3) सभी किस्मों के द्रवचालित (हाइड्रालिक) उपकरणों का निर्माण करने के लिये मेसर्स वाल्टर-हंगर इन्टरनेशनल जी० एम० बी० एच० पश्चिमी जर्मनी ।

(4) मशीनी औजार की सहायक वस्तुओं का निर्माण करने के लिये भारतीय उद्भव के एक ब्रिटिश राष्ट्रिक श्री ए० जे० चाण्डे ।

Accident at Bhilai

509. Shri Onkar Lal Berwa: Shri Yashpal Singh: Shri Brij Raj Singh: Shri Priya Gupta: Shri Gokaran Prasad: Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of **Steel** and **Mines** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an accident took place on the night of the 19th October, 1965 at Bhilai Steel Plant and as a result thereof 3 workers were killed and 10 injured;

(b) if so, the causes of the accident; and

(c) the amount of compensation paid to the bereaved families and the steps taken to avoid the recurrence of such accidents in future?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy) : (a) Yes, Sir. Besides the 3 workers, one more died later.

(b) & (c). An Enquiry Committee has already been appointed to look into the causes of accident. The Report of the Committee is expected to be available very shortly and thereafter remedial measures will be taken to avoid recurrence. Compensation at the rate of Rs. 7,000 to each of the four bereaved families has been paid.

हथकरघा वस्त्र निर्यात संवर्धन-परिषद्

510. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश से कोई अभ्यावेदन मिला है कि हथकरघा वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद में उसका भी प्रतिनिधि होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो यह अभ्यावेदन किससे मिला है;

(ग) ऐसे प्रतिनिधित्व के लिए क्या कारण बताये गये हैं; और

(घ) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) दी आन्ध्र हैण्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, विजयवाड़ा ।

(ग) समिति ने बताया है वह एक शिखाग्र निकाय है और राज्य के सब से बड़े निर्यातकों में से एक है ।

(घ) अभ्यावेदन विचाराधीन है ।

इस्पात कारखानों को कोयले का सम्भरण

511. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री 3 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 393 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा रूरकेला इस्पात कारखाने के लिये कोंकिंग कोयले का नियमित और पर्याप्त संभरण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा राउरकेला इस्पात कारखाने के लिए कोंकिंग कोयले का नियमित और पर्याप्त संभरण सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाये गये हैं और पहले की अपेक्षा अब स्थिति बहुत अच्छी है।

इसकों को सितम्बर और अक्तूबर में अधिक कोयला भेजा गया और 30 अक्तूबर 1965 को उनका स्टाक 1,67,400 टन तक पहुंच गया जो उनको 288 दिन की खपत के लिए पर्याप्त था। इसके मुकाबले में 1 जुलाई 1965 को उनके पास 10 दिन के लिए पर्याप्त 65,000 टन का स्टाक था।

जुलाई और अगस्त 1965 को 29,500 टन की औसत के मुकाबले में सितम्बर और अक्तूबर 1965 के महीनों में राउरकेला इस्पात कारखाने में कोंकिंग कोयले की साप्ताहिक आवक 30,900 टन के लगभग थी।

इस समस्या का दीर्घकालीन हल निकालने की दृष्टि से राउरकेला इस्पात कारखाने के विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक संचयन सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

कोयले का वर्षवार उत्पादन

512. **श्री स० चं० सामन्त :**

श्री सुबोध हंसदा :

श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के पहले चार वर्षों में क्षेत्रवार प्रत्येक किस्म के कोयले का कितना-कितना उत्पादन हुआ और अन्तिम वर्ष में वार्षिक लक्ष्यों की अपेक्षा कितना उत्पादन होने का अनुमान है; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में श्रेणीवार, वर्षवार और क्षेत्रवार कोयले के उत्पादन के लिये क्या अन्तिम लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) प्राप्त सूचना विवरण में संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5137/65।**]

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कोयला-उत्पादन के लक्ष्य के विवरण को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

टेलीविजन सेटों की बिक्री

513. **श्री म० रं० कृष्ण :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी, हंगेरी तथा अन्य देशों से आयात किये गये टेलीविजन सेट राजकीय व्यापार निगम के माध्यम से बेचे गये हैं, और

(ख) यदि हां, तो इन में से कितने टेलिविजन सेट क्रमशः शिक्षण संस्थाओं तथा गैर-सरकारी लोगों को बेचे गये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

व्यापार आचार संहिता

514. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माताओं तथा निर्यातकों के बीच व्यापार आचार संहिता सम्बन्धी समिति ने कोई संहिता तैयार कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो संहिता की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) संहिता की मुख्य बातें प्रतिवेदन के अनुबन्ध (ख) में दी गई हैं। प्रतिवेदन की एक प्रति (अंग्रेजी में) सदन को मेज पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 5138/65।]

(ग) सरकार समिति की सिफारिशों का सामान्यतः स्वागत करती है। व्यापार बोर्ड की जो अगली बैठक 27 दिसम्बर, 1965 को होने वाली है उसमें इन पर विचार हो चुकने के बाद सिफारिशों पर अन्तिम निश्चय किये जायेंगे।

Lohna Road—Jhanjharpur Railway Line

515. **Shri Yogendra Jha** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that railway lines between Lohna Road and Jhanjharpur on Darbhanga-Nirmali Railway line of the North Eastern Railway get damaged during rainy season every year and train service remains suspended;

(b) if so, the period for which trains could not run during the last three years and the amount of loss suffered by the Railways in repairing the line and in revenue due to the suspension of passenger and goods traffic; and

(c) the steps taken in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) & (b). The railway line between Lohna Road and Jhanjharpur was damaged due to floods of river Kamla Bolan during the rainy seasons of 1963, 1964 and 1965 and the train services remained suspended temporarily for 1 day, 14 days and 34 days respectively. The cost of repairs was about Rs. 2,000., Rs. 1·76 lakhs and Rs. 4·72 lakhs, and the loss in revenue was approximately Rs. 6,000, Rs. 1 lakh and Rs. 2 lakhs respectively for the years 1963, 1964 and 1965.

(c) Between Jhanjharpur and Lohna Road Stations a new bridge with 16 spans of 40 ft. each to allow maximum expected discharge of river Kamla Bolan consequent on the construction of Marginal Embankments from Jaynagar to the bridge site as intimated by Bihar Irrigation Department is under construction and expected to be completed before 1966 monsoon. In view of the proposed Barrage

scheme and extension of the bund into Nepal territory, the discharge under this bridge is likely to be increased and the question of extension of the bridge is under examination by the Central Water & Power Commission.

Motor-Cycle Factories

516. **Shri Yogendra Jha** : Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state :

(a) whether it has been decided to set up five motor-cycle factories in various parts of the country; and

(b) whether one such factory is proposed to be set up in Bihar?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry & Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) and (b). At present there are three firms manufacturing motor-cycles under licences granted some years ago. They are M/s. Ideal Jawa (India) Pvt. Ltd., Mysore, M/s. Enfield India Ltd., Madras and M/s. Escorts Ltd., New Delhi, with their factories at Mysore, Madras and Faridabad (Punjab) respectively. There is no proposal to license any other unit for the manufacture of motor-cycles either in Bihar or elsewhere.

बंगलौर बंगारपेट्टे रेलगाड़ी

517. **श्री काजरोलकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर बंगारपेट्टे गाड़ी से जो सिटी स्टेशन से 17-10-65 को 7.30 बजे प्रातः चली थी, यात्रा करने वाले यात्री (दक्षिण रेलवे) अवतिहल्ली (दक्षिण रेलवे) में फंसे पड़े रहे थे;

(ख) क्या इस रेलगाड़ी की ओर जिसे दोपहर बाद 3.30 बजे बंगारपेट्टे पहुंचना था शाम को काफी देर तक ध्यान नहीं दिया गया;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) किन परिस्थितियों के कारण यात्रियों की यात्रा की कोई व्यवस्था नहीं की गई ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ) : 17-10-1965 को 1172 बंगलौर-बंगारपेट्टे सवारी गाड़ी का इंजन देवनहल्लि और अवतिहल्लि स्टेशनों के बीच खराब हो गया और इसलिए गाड़ी अवतिहल्लि के आगे नहीं जा सकी। उस समय गाड़ी को अवतिहल्लि स्टेशन से आगे ले जाने के लिये यलहंका इंजन शेड में कोई अतिरिक्त इंजन उपलब्ध नहीं था।

प्रतीक्षा करने वाले यात्रियों के खाने-पीने की व्यवस्था अबतिहल्लि के स्थानीय होटलों से कर दी गयी थी। अधिकतर यात्री घटना के कुछ ही देर बाद बस से चले गये और बाकी यात्रियों को इसके बाद उपलब्ध होने वाली 1182 बेंगलूर-चिंतामणि सवारी गाड़ी से आगे भेजने की व्यवस्था की गयी। यह गाड़ी अबतिहल्लि से लगभग 17.00 बजे शाम को छूटती है, इसलिए यानान्तरण का प्रश्न नहीं उठा।

दिल्ली में सीमेंट का दिया जाना

518. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1965 में पंजीकरण बन्द किये जाने के समय से ऐसे कितने आवेदन पत्र अनिर्णित पड़े हैं, जिनके अनुसार अभी तक दिल्ली में मकान बनाने के लिए सीमेंट नहीं दिया गया है;

(ख) नये मकान बनाने के लिये नये आवेदन पत्रों का पंजीकरण पुन: कब आरम्भ किया जायेगा; और

(ग) क्या सरकार पंजीकरण तथा सीमेंट देने के मालले में, अन्य श्रेणियों को प्राथमिकता देने के अतिरिक्त कम आय वर्ग के लोगों को प्राथमिकता देगी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) 1,441।

(ख) अनिर्णित आवेदन पत्रों के बारे में पर्याप्त रूप से सन्तुष्ट हो जाने के बाद।

(ग) नये आवेदन-पत्रों का पंजीकरण करना यदि पुन: आरम्भ किया गया तो दिल्ली प्रशासन का प्रस्ताव इस पहलू पर विचार करने का है।

बम्बई-कल्याण बड़ी लाइन के थाना स्टेशन पर गाड़ियों की टक्कर

519. श्री रामपुरे :

श्री कनकसबै :

श्री मोहम्मद कोया :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई कल्याण बड़ी लाइन के थाना स्टेशन पर 14 सितम्बर, 1965 को हुई स्थानीय गाड़ियों की टक्कर सम्बन्धी जांच पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो टक्कर के क्या कारण थे; और

(ग) क्या इससे सम्बन्धित व्यक्तियों की जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) : बम्बई स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया है।

मद्रास-विजयवाडा रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

520. श्री मि० सू० मूर्ति : क्या **रेलवे** मंत्री मद्रास-विजयवाडा रेलवे लाइन के विद्युतीकरण से सम्बन्धित 27 अगस्त 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 892 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : चौथी योजना में रेल पटरियों के बिजलीकरण के लिये जो अनन्तिम प्रस्ताव हैं उनमें मद्रास-विजयवाड़ा खण्ड के बिजलीकरण का काम भी शामिल है। इस खण्ड का विस्तृत सर्वेक्षण 1965-66 में करने का विचार है।

ड्रम शीटों का आयात

521. श्री दीनेन भट्टाचार्य :

डॉ० रानेन सेन :

श्री सुबोध हंसदा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय तेल निगम को 18 गेज की ड्रम शीटों का आयात करने के लिये आयात लाइसेंस दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ;

(ग) क्या ये शीटें देश में बनाई जा सकती हैं; और

(घ) यदि हां, तो यह लाइसेंस देने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : जी, हां। भारतीय तेल निगम को अक्तूबर 1963-मार्च 1964 की अनुज्ञापन अवधि में "रुपये में अदायगी" वाले क्षेत्र से 18 गेज की चादरों के लिए 25 लाख रुपये के मूल्य का आयात लाइसेंस दिया गया था। अप्रैल-सितम्बर, 1964 की अवधि में 21-24 गेज की चादरों के लिए 20·75 लाख रुपये का एक और लाइसेंस दिया गया था। इसमें बाद में अस्थायी संशोधन किया गया जिससे 18-24 गेज की चादरें भी इसके अन्तर्गत आ जायें शर्त यह थी कि सरकार की अनुमति प्राप्त की जाये। फिर भी सरकार ने यह अनुभव किया कि भारतीय तेल निगम की आवश्यकताओं की पूर्ति देशीय उत्पादन से हो सकती थी। लाइसेंस वापस किया जा रहा है और निगम राउरकेला इस्पात कारखाने को आर्डर दे रहा है।

(ग) और (घ) : यद्यपि 18 गेज की चादरों का देश में उत्पादन होता है इनका आयात करने की अनुमति दी गई थी क्योंकि देशीय उत्पादन से समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती थी।

सीमेंट निगम

522. **श्री काजरोलकर :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना में सीमेंट निगम के क्रैश प्रोग्राम के लिये निगम के आवंटन में कटौती की है ;

(ख) यदि हां, तो लक्ष्य क्या था और उसमें कितनी कटौती की गई है; और

(ग) क्या अब सीमेंट निगम अपना उत्पादन लक्ष्य पूरा कर सकेगा ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) : चौथी पंच वर्षीय योजना में सीमेंट के उत्पादन और उसकी क्षमता के लक्ष्य, जिसमें सीमेंट निगम भी शामिल है, पर अभी विचार किया जा रहा है।

तिरूनेलवेली-कन्याकुमारी-त्रिवेंद्रम रेलवे लाइन

523. **श्री मुथिया :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुनेलवेली से कन्याकुमारी और उससे आगे त्रिवेंद्रम तक नई रेलवे लाइन बनाने के लिये इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण पूरे हो गये हैं ;

(ख) क्या सर्वेक्षण रिपोर्ट और प्रक्कलन तैयार हो गये हैं ;

(ग) सरकार इस मामले में अन्तिम रूप से निर्णय कब करेगी ; और

(घ) क्या यह योजना चौथी पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित की जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) जी, हां।

(ख) दक्षिण रेलवे द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट और अनुमान को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) : सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्राप्त होने और सभी पहलुओं से रेलवे बोर्ड द्वारा उसकी जांच हो जाने के बाद ही कोई अन्तिम निर्णय लिया जा सकता है। चौथी योजना में नयी लाइनों के प्रस्तावों को योजना आयोग के सहयोग से अभी अन्तिम रूप देना बाकी है और इसलिए इस समय यह कहना असामयिक होगा कि इस योजना को चौथी योजना में क्रियान्वित किया जायेगा या नहीं।

सीमावर्ती क्षेत्रों में रेलवे सेवायें

524. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के प्रधान ने हाल में सीमावर्ती क्षेत्रों का मुख्य रूप से सामरिक महत्व के उन क्षेत्रों का जो पाकिस्तानी आक्रमण के शिकार हुए हैं, दौरा किया;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में रेल सेवायें बढ़ाने की कोई योजना बनायी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(1) भारी इंजीनियरी निगम में छंटनी

श्री प्र० कु० घोष (रांची-पूर्व) : मैं उद्योग तथा संभरण मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस सम्बन्ध में वे एक वक्तव्य दें :

"भारी इंजीनियरी निगम, रांची के निर्माण विभाग के सिविल इंजीनियरों को 1 नवम्बर, 1965 से छंटनी के सम्बन्ध में दिये गये नोटिस।"

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): भारी इंजीनियरी निगम, रांची में निर्माण कार्य धीरे-धीरे कम होता जा रहा है जिसके फलस्वरुप सिविल इंजीनियरी के कुछ कर्मचारी फालतू हो गये हैं। 1 जून, 1965 को विभिन्न श्रेणियों के कुल फालतू व्यक्तियों की संख्या का अनुमान 147 लगाया गया था। निगम में जिन कर्मचारियों के फालतू हो जाने की संभावना होती है उनके बारे में समय-समय पर पूरा ब्योरा भिन्न-भिन्न सरकारी परियोजनाओं को भेज दिया गया है जिनमें बोकारो इस्पात कारखाना भी शामिल है। इस प्रकार फालतू कर्मचारियों में से यथासम्भव अधिक से अधिक व्यक्तियों को उपयुक्त वैकल्पिक रोजगार दिलाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। इसी बीच निगम ने 1 नवम्बर, 1965 से 4 एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों को 3 महीने का छंटनी का नोटिस दे दिया है। ऐसा इसलिये किया गया है कि निकट भविष्य मे उन्हें काम दिलाने का कोई भी अवसर नहीं दिखाई दिया। इस

[श्री त्रि० ना० सिंह]

बात का ध्यान रखा गया है कि सारे एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों में से सबसे जूनियर इंजीनियरों को छंटनी का नोटिस दिया जाये। सभी ओर से खर्च में बचत करने पर इस समय दिये जाने वाले जोर को देखते हुए व्यवस्थापकों ने यह निश्चय किया कि जिन इंजीनियरों के लिये उनके पास काम नहीं है उन्हें अपने रजिस्टर पर रखना उचित नहीं होगा। जैसे-जैसे निर्माण कार्य कम होता जाता है वैसे-वसे सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में सिविल इंजीनियरों के कर्मचारी फालतू होते जाते हैं और इस प्रकार यथासम्भव कम से कम छंटनी करनी हो पड़ती है जिस पर हमारा वश नहीं चलता।

श्री प्र० कु० घोष : 19 मार्च, 1965 के प्रश्न संख्या 492 के उत्तर में, 3 सितम्बर, 1965 के प्रश्न संख्या 412 के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण में और आज भी मंत्री महोदय ने कहा है कि इन फालतू इंजीनियरों को बोकारो इस्पात कारखाने तथा अन्य सरकारी उपक्रमों में रोजगार दिलाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मंत्रालय की सहायता से इन इंजीनियरों में से किसी एक को भी सरकारी उपक्रमों में रोजगार दिलाया गया है मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस विषय पर मंत्रिमण्डल स्तर पर अथवा भारत के प्रधान मंत्री के साथ बातचीत करेंगे।

श्री त्रि० ना० सिंह : जब भी अवसर मिलता है मैं इन कर्मचारियों को रोजगार दिलाने के बारे में अपने साथियों से स्वयं बातचीत करता हूं। वास्तव में जैसे-जैसे सरकारी परियोजनाओं में निर्माण कार्य कम होता जाता है वैसे-वैसे हमें सरकारी उपक्रमों में सिविल निर्माण से संबंधित कर्मचारियों के फालतू हो जाने के लिये तैयार रहना चाहिए। प्राक्कलन समितिने सिफारिश की थी कि जितने भी फालतू कर्मचारी हों उन्हें निकाल देना चाहिए। सभा की प्राक्कलन समिति जैसी विशिष्ट समिति की महत्वपूर्ण सिफारिश के बावजूद भी हम सतर्कता से कार्यवाही कर रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : I want to know whether they will be paid any compensation ?

Mr. Speaker : How can they be paid any compensation ?

Shri T. N. Singh : They are temporary employees.

श्री ब० कु० दास (कंटाई) : जिन मामलों में रोजगार देने के लिये अन्य मंत्रालयों से सिफारिश की जाती है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या बाद में एसी कोई व्यवस्था है कि यह पता लगाया जाये कि उनपर प्राथमिकता के आधार पर समुचित रूप से विचार किया जाता है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : हमने कई कदम उठाये हैं। एक सरकारी एजेंसी इस बात का ध्यान रखती है कि इस प्रकार की अन्य परियोजनाओं में ऐसी कर्मचारियों की आवश्यकता होने पर पहले इन कर्मचारियों को लिया जाये। मुझे बताया गया है कि सरकारी उद्यम ब्यूरो भी इसका ध्यान रखता है। अत: इन कर्मचारियों को रोजगार दिलाने के लिये सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : यह ठीक है कि किसी बड़ी परियोजना में निर्माण-कार्य समाप्त हो जाने पर कर्मचारी फालतू हो जायेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अन्य निर्माण परियोजनायें आरम्भ की जा रही हैं—हिन्दुस्तान कंसट्रक्शन कम्पनी, मिश्रित इस्पात परियोजना तथा अन्य परियोजनायें हैं—फिरभी क्या कारण है कि एक भी इंजीनियर को वहां रोजगार नहीं मिला और जबकि हम ऐसे कुशल कर्मचारियों से कहते हैं कि वे विदेश न जायें और देश में ही काम करें तो उनके भविष्य का क्या होगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : स्थिति यह है कि न केवल रांची अपितु भिलाई और अन्य इस्पात कारखानों में जहां विस्तार योजनायें क्रियान्वित की गई हैं कुछ लोग फालतू हो गये हैं। अकेले भिलाइ कारखाने में ही 18,000 लोगों को निकाला जाना है, 5,000 जनवरी में और जुलाई में और 5,000। हमें इस समस्या का सामना करना है। ये सभी इंजीनियर नहीं हैं गैर-तकनीकी कर्मचारी भी हैं। हमने बोकारो तथा अन्य सभी इस्पात कारखानों को हिदायतें दी हैं कि इन लोगों को रोजगार दें और बाहर से तभी किसी को लें जबकि ऐसे कर्मचारी हमारे यहां न हों। लेकिन निर्माण कार्य करने वाले लोगों को ऐसे इस्पात कारखानों में, जहां उत्पादन होता है, काम नहीं दिया जा सकता है। इन सब समस्याओं को देखते हुए निर्माण कार्य करने वाले कुछ मजदुर तो बेकार होंगे ही। हमने एक नया स्टील वर्क्स कंसट्रक्शन कारपोरेशन स्थापित किया है जिसमें इनमें से कुछ लोगों को रोज़गार दिया जायेगा। हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि हिन्दुस्तान स्टील के निर्माण निगम ने सिविल इंजीनियरों के पदों के लिए विज्ञापन दिया है और पहले ही बाहर से इंजीनियर भर्ती कर रहे हैं तथा क्या यह सच नहीं है कि हेवी इलेक्ट्रीकल्स, भोपाल ने भी विज्ञापन दिया है और रांची के छंटनी किये गये इन सिविल इंजीनियरों को लेने पर विचार किये बिना ही बाहर से इंजीनियर भर्ती कर रहे हैं ?

श्री संजीव रेड्डी : मुझे हैवी इलेक्ट्रीकल्स, भोपाल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन में कुछ बड़े अधिकारी रेलवे से लिये गए हैं। मैं फिर से हिदायतें जारी करूंगा कि बाहर के लोगों को लेने से पहले रांची, भिलाई, दुर्गापुर और रूरकेला के फालतू लोगों को प्राथमिकता दी जाये।

श्री नरसिम्हा रेड्डी : किसी अन्य देश में इतने युवक इंजीनियरों की अचानक छंटनी एक शर्म की बात होती। क्या सरकार इसे एक राष्ट्रीय समस्या समझेगी और जब तक इन सब लोगों को रोज़गार नहीं दे दिया जाता सभी विज्ञापन और भर्ती बन्द कर देगी ?

श्री त्रि० ना० सिंह : अचानक छंटनी जैसी कोई बात नहीं है। पिछले सत्र में भी कुछ कार्यवाही की गई थी। जहां तक संभव है मैं इसे स्थगित करता रहा हूं। लेकिन उन्हें इस प्रकार अंधेरे में तो नहीं रखा जा सकता और अन्त में उनसे कहा जाय कि उनकी आवश्यकता नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण पूर्व) : क्या यह सच है कि सहयोग करने वाले रूसी सहयोगियों ने मूल कार्य ("टर्न की-जॉब्स"), जैसे डिजाइन तैयार करना आदि, रांची में ही करने के लिए केन्द्रीय निर्माण डिवीजन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? यदि हां, तो क्या यह डिवीज़न स्थापित किया जा रहा है और क्या उसमें इन सब सिविल इंजीनियरों को रोज़गार दे दिया जायेगा?

श्री त्रि० ना० सिंह : रांची उद्योग-समूह उत्पादन उद्योग समूह है न कि निर्माण उद्योग-समूह। जब हम मूल कार्य ("टर्न की-जॉब्स") करने की सोचें तब ही यह प्रश्न उत्पन्न होता है। माननीय सदस्य जानते हैं कि मूल कार्य करने पर यहां सब प्रकार की आलोचना होगी। हम एकदम से कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : क्या यह सच नहीं है कि जिन मंत्रालयों से इन फालतू हुए सिविल इंजिनियरों को रोज़गार देने के लिए कहा गया था, उन सभी ने इस मंत्रालय की प्रार्थना को ठुकरा दिया है और यदि हां, तो क्या इस मामले को मंत्रिमंडल में रखने का विचार है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : ऐसी स्थिति नहीं है। हम कुछ विभागों को राजी करा सके हैं और भोपाल में कुछ लोगों को रोजगार दिया गया है। जहां तक निम्न श्रेणी के इंजिनियरों का संबंध है अच्छा यह होगा कि वे कहीं और रोज़गार ढूढें और मैं समझता हूँ कि उन्हें रोज़गार मिल जायेगा।

Shri Gulshan (Bhatinda): Whether it is a fact that in the same department Officers have been employed at fat salaries, if so, why this injustice with these employees?

Shri T. N. Singh : I have not followed the hon. member.

Mr. Speaker : Probably he wants to know whether people discharged were drawing fat salaries.

Shri T. N. Singh : No, Sir. They were junior most young engineers.

श्री गौरीशंकर कक्कड़ : क्या यह सच है कि जिन पदों पर पहले सिविल इंजिनियर काम कर रहे थे अब उन पर मेकेनिकल और इलेक्ट्रीकल इंजीनियर काम कर रहे हैं जिससे सिविल इंजीनियर फालतू हो गये हैं।

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं ऐसा नहीं समझता। तथापि मैं पता करूंगा।

श्री बूटा सिंह : क्या यह सच है कि इस परियोजना में विभिन्न विभागों के व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। क्या सरकार का विचार उन्हें उनके मूल विभागों में वापस भेजने का है?

श्री त्रि० ना० सिंह : उन्हें वापस बुलाने से समस्या हल नहीं होगी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इंजीनियरों का एक केन्द्रीय 'पूल' बनाने का विचार कर रही है ताकि सभी फालतू इंजिनियरों को रोजगार दिया जा सके और उचित तालमेल हो सके?

श्री त्रि० ना० सिंह : स्थिति सुधारने के लिए अनेक तरीकों पर विचार किया जा रहा है। इस सुझाव पर मैं श्रम मंत्रालय के परामर्श से विचार करूंगा। अकेला संभरण मंत्रालय इसे नहीं कर सकता।

श्री वारियर (त्रिचूर) : जब तक इंजिनियरों को दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती क्या सरकार तब तक के लिए इन नोटिसों का पालन करना स्थगित कर देगी?

श्री त्रि० ना० सिंह : ये इंजीनियर 6 महीने पहले अर्थात् 1 जून, 1965 को फालतू हो गये थे। और जहां तक संभव हो सकता है हमने इस छंटनी को स्थगित किया है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मंत्री महोदय ने कहा कि भारी इंजीनियरी निगम, रांची में निर्माण कार्य कम हो रहा है। क्या कारण है कि 1962 में आपातकाल की घोषणा को तीन वर्ष हो गये हैं और जबकि भारत उत्तर, पूर्व और पश्चिम में दो शत्रुओं का सामना कर रहा है, निर्माण-कार्य कम हो रहा है? क्या भविष्य में हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जब हम निर्माण-कार्य नहीं बढ़ा सकेंगे?

श्री त्रि० ना० सिंह : यह निश्चित है कि जब भी हम कोई कार्य आरम्भ करते हैं तो उसे कभी तो पूरा होना ही है। परियोजना पूरी हो जाने पर निर्माण-कार्य कम हो जायेगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तालमेल के अन्तर्विभागीय तरीके स्पष्ट ही असफल हो चुके है और केन्द्रीय 'पूल' बनाने जैसे दीर्घ-कालीन हल में काफी समय लगेगा, मैं जानना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय ने कठिनाई का सामना करने के लिए छंटनी किये जाने वाले कर्मचारियों से मिलकर उनके विचार सुनें? इससे उन्हें सान्त्वना मिलेगी?

श्री वि० ना० सिंह : अपने इंजीनियरों से मिलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । जब भी वे मुझसे मिले हैं उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई है । मुझे याद नहीं पड़ता यदि उन्होंने हाल ही में इस प्रयोजन के लिए मुझे लिखा है । मैं निकट भविष्य में रांची जाने वाला हूँ और यदि वे चाहते हैं तो मैं उनसे अवश्य मिलूँगा ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : यह दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय करने से पहले क्या सरकार ने इस मामले में उचित रूप से और सहानुभूति के साथ मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया है? यदि नहीं, तो क्या इस दृष्टिकोण से इस मामले पर पुर्नविचार किया जायेगा ?

श्री वि० ना० सिंह : मैं माननीय सदस्य की बात को अच्छी तरह समझता हूँ । केवल मानवीय दृष्टिकोण के कारण ही हम इस कठोर निर्णय को स्थगित करते रहे हैं। अब भी हमने केवल चार इंजीनियरों के मामले में ही निर्णय किया है, उनके मामले में भी जहां कहीं भी संभव होगा हम उन्हें रोज़गार दिलाने के प्रयत्न करते रहेंगे । लेकिन यह याद रखना चाहिए कि प्राक्कलन समिति और इस का प्रत्येक व्यक्ति यह शिकायत करता रहा है कि सरकारी क्षेत्र में हमारी परियोजनाओं में अत्यधिक कर्मचारी हैं और बचत करनी चाहिए तथा लाभपूर्ण ढंग से उनका संचालन करने की चेतना होनी चाहिए। यदि हम इस सभा के निदेशों का पालन करने का प्रयत्न करें तो उसके लिए हमें दोष नहीं देना चाहिए।

श्री दाजी (इन्दौर) : मानवीय दृष्टिकोण के अतिरिक्त कुशलता की भी बात है । निर्माण-कार्य में कुछ लोगोंको काफी अनुभव प्राप्त हो चुका है जिनकी सेवायें अन्य निर्माण-कार्य में राष्ट्र के लिए अधिक उपयोगी होंगी । इस बात को ध्यान में रखते हुए 1958 में श्री नन्दा के सभापतित्व में मद्रास में हुई भारतीय श्रम सम्मेलन की बैठक में सर्वसम्मति से सरकार से यह सिफारिश की थी कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निर्माण-कार्य के लिए सिविल इंजिनियरों का एक पूल बनाया जाय । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि सात वर्ष व्यतीत हो चुके हैं फिर भी इस सिफारिश को क्रियान्वित नहीं किया गया है।

श्री वि० ना० सिंह : वास्तव में यह दृढ़ निश्चय किया गया है कि जब तक इन लोगों को रोज़गार नहीं दिलाया जाता तब तक कोई भी नया व्यक्ति नहीं रखा जायेगा और इस निर्णय का पालन किया जा रहा है। कुछ लोगों का फालतू हो जाना और उन्हें रोज़गार दिलाने की समस्या तो चलती रहेगी । लेकिन वांछनीय बात यह है कि सभा तथा अन्य प्रत्येक व्यक्ति को इन समस्याओं को सरलता से सुलझाने में हमारी सहायता करनी चाहिए। यदि हम मानवीय दृष्टिकोण न अपनाते तो हम सभी संबंधित 150 व्यक्तियों को नोटिस दे देते । इसी लिए हम धीरे धीरे ऐसा कर रहे है और अन्य परियोजनाओं में उन्हें रोज़गार देने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री दाजी : फिर विज्ञापन क्यों दिये गये हैं? विज्ञापन देना बन्द कीजिए।

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में निर्माण-कार्य के बारे में पूछा था । श्री दाजी ने इस बात को अपने ढंग से रखा है । सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में निर्माण को ध्यान में रखते हुए क्या इन इंजीनियरों को उन उपक्रमों में रोज़गार दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य से मेरा नम्र निवेदन है कि वे बैठ जायें।

---

(2) रोडेशिया द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :

"Unilateral declaration of independence by the Rhodesian white Minority Government and reaction of the Government thereon."

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : भारत सरकार को यह जानकर बड़ा आघात पहुँचा कि रोडेशिया में श्री इयान स्मिथ की गोरी अल्पसंख्याक सरकार ने 11 नवम्बर, 1965 को गैर कानूनी तौर पर स्वतंत्रता की एक पक्षीय घोषणा की और सत्ता सम्भाल ली। विश्व मत तथा सभा व्यवहार के स्वीकृत सिद्धान्तों को भंग करके यह जो कार्यवाही की गई है उसके दूरगामी तथा गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भारत सरकार इसकी बड़े शब्दों मे निन्दा करती है तथा रोडेशिया की अफ्रीकी जनता का समर्थन तथा उनसे पूर्ण सहमति प्रकट करती है।

रोडेशिया के बारे में हमारी हमेशा यह स्थिति रही है कि हमने उस देश में उत्पन्न स्थिति के लिए कानूनी, संविधानिक, राजनैतिक तथा नैतिक रुप से ब्रिटेन को जिम्मेदार ठहराया है। रोडेशिया के बारे में भूतकाल में ब्रिटेन ने जो कानूनी बातें बताई उनको संयुक्त राष्ट्र ने अस्वीकार कर दिया तथा रोडेशिया को ब्रिटिश उपनिवेश समझा। महा-सभा ने अपने 12 अक्तूबर तथा 5 नवम्बर, 1965 के संकल्प में ब्रिटेन सरकार से कहा है कि स्वतंत्रता की एक पक्षीय घोषणा न होने देने के लिए सभी संभव उपाय करें परन्तु यदि फिर भी ऐसी घोषणा हो सके तो सभी ऐसी आवश्यक कार्यवाही करे जिससे विद्रोह करनेवाले सरकार का तख्ता उलटा जा सके।

हमने इसीलिए बारबार कहा है कि रोडेशिया के बारे में ब्रिटेन को पूरी जिम्मेदारी अपने कंधो पर लेनी चाहिए जिससे निम्न बातें सुनिश्चित हो सकें।

एक व्यक्ति को एक मत का अधिकार के आधार पर रोडेशिया की जनता को पूर्ण लोकतंत्रीय अधिकार पहले दिए जायें तथा स्वतंत्रता बाद में दी जाये।

सभी शोषक तथा अन्याय वाली विधियों का निरंसन किया जाये तथा इस प्रकार का राजनीतिक दबाव डाला जाये सांविधानिक सम्मेलन के लिए वातावरण तैयार हो सके।

रोडेशिया की गोरी अल्पसंख्याक सरकार द्वारा स्वतंत्र होने के सभी कदम समाप्त किए जाने चाहिए। और

केवल अल्पसंख्याकों के दिल में स्थापित किसी भी प्राधिकार को ब्रिटेन को मान्यता नहीं देनी चाहिए।

ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता की एकपक्षीय घोषणा से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए अब कुछ कार्यवाही की है। परन्तु यह कार्यवाही कुछ देर से की गई है। यदि आरम्भ में ही कठोर क़दम उठाये जाते तो वर्तमान गंभीर स्थिति उत्पन्न नही होती। हमारा विचार है कि ब्रिटिश सरकार का कर्तव्य है कि श्री स्मिथ तथा उसकी तथाकथित सरकार द्वारा की गई इस कार्यवाही को रद्द करे तथा उसे रोके और ऐसे आवश्यक काम करे जिनको महासभा के 5 नवम्बर के संकल्प में दिया गया है। विद्रोही सरकार को रोडेशिया के 40 लाख लोगो पर अवैध रूप से शासन करने का अधिकार न दिया जाये।

माननीय सदस्य जानते है भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में तथा विश्व के अन्य मंचो पर इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है कि एक व्यक्ति एक मत के आधार पर रोडेशिया में स्वतंत्र लोकतंत्रीय सरकार बने। अपने वैध अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे अफ्रीकी लोगों के साथ अपनी एकता प्रदर्शित करने तथा अल्पसंख्याक सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों का विरोध करने के लिए हमने 7 मई 1965 को सालिस्बरी से अपने कूटनीतिक मिशन को वापस बुला लिया था।

भारत सरकार पहले भी बारबार घोषणा करती रही है कि गोरी अल्पसंख्याक सरकार द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा असंवैधानिक तथा अवैध काम है। अतः हम उस सरकार को मान्यता नहीं देंगे जिसने एकपक्षीय कार्यवाही करके शासन अपने हाथ में ले लिया हो। यदि रोडेशिया के लोगों का प्रतिनिधित्व करनेवाली तथा अफ्रीकी एकता संघ द्वारा मान्यता प्राप्त सरकार स्थापित होगी तो भारत सरकार भी उसको मान्यता देगी।

मैं इस समय यह भी घोषणा करना चाहता हूं की हमने रोडेशिया से सभी राजनैतिक संबंध तथा आर्थिक संबंध तब तक के लिए तोड़ दिए हैं जब तक वहां पर रोडेशिया की जनता की प्रतिनिधि सरकार स्थापित नहीं हो जाती है। हम आशा करते हैं कि अन्य सरकारें भी ऐसा करेंगी।

भारत सरकार इस संघर्ष के दौरान अपनी नीति पर दृढ रही है और उसने महा सभा तथा अफ्रीकी एकता संघ चौबीस राष्ट्रों की विशेष समिति, तटस्थ राष्ट्रों के संम्मेलन द्वारा पारित संकल्पों को पूर्णतया समर्थन दिया है । इस काम के लिए भारत सरकार अफ्रीका की मित्र सरकारों से संबंध बनाये हुए है।

रोडेशिया में स्वतंत्रता की एकपक्षीय घोषणा अन्तर्राष्ट्रीय शांति के लिए बड़ी भयानक है। वहां पर यह कोशिश की जा रही है कि अंगोला, मोज़ाम्बीक, दक्षिण अफ्रीका तथा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका सब को मिलाकर इकट्ठा रखा जाये। इसलिए भारत सरकार का विचार है कि रोडेशिया का भविष्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है और उपनिवेशवाद का अन्त करने के लिए रोडेशिया में एकपक्षीय स्वतंत्रता का विरोध वहां इसको नष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा उसका पूरे अफ्रीकी महाद्वीप और एशिया तथा संसार की शांति स्थिरता तथा प्रगति पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

Shri Madhu Limaye : Sir, Firstly you should have called me to call the attention of the minister and then would have asked the minister to give statement in regard to that. But you have allowed the minister to give statement prior to my calling attention.

Mr. Speaker : I have called you.

Shri Madhu Limaye : But Sir what is this procedure ?

Mr. Speaker : I am treating this as calling attention motion. If you want to ask a question please ask it.

Shri Madhu Limaye : In the days of Mahatma Gandhi, leaders of Africa and Asia used to come to India for guidance. But now they go to Peking for taking advice. In view of this, facts I want to know whether Government propose to call for a conference of African and Asian countries to settle the dispute as Britain have refused to take military action against the white minority Government of Rhodesia. Our Government should also consult Russia and other Asian countries regarding military or economic Assistants to be given to that country.

श्री स्वर्ण सिंह : मैं [स्पष्टतया बता चुका हूँ कि हम सभी प्रकार के प्रयत्न करेंगे तथा उन सभी प्रयत्नों का समर्थन करेंगे जो रोडेशिया की अफ्रीकी जनता की स्थिति ठीक करने के लिए करेंगी। मैं बता चुका हूँ कि हम सभी मित्र देशों से इस मामले पर बातचीत करते रहेंगे। मेरा पूर्वानुमान है कि अफ्रीका में कोई संघर्ष हो तथा मैं समझता हूँ कि अफ्रीकी एकता संगठन इस मामले में पहल करेगा। हमको उन्हें सभी प्रकार की सहायता देनी चाहिए।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : सच तो यह है कि श्री इयान स्मिथ जिसको स्वतंत्रता की एक पक्षीय घोषणा कहते हैं वह गुलाम बनाने की एकपक्षीय घोषणा है तथा हमारी सरकार ने ठीक ही क़दम उठाया है। यद्यपि यह क़दम थोड़ा देर से उठाया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि यदि अफ्रीकी एकता संगठन न सरकार से मांग की तो क्या सरकार अफ्रीकी जनता की सशस्त्र सहायता करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : संयुक्त राष्ट्र के संकल्प में पहले ही ब्रिटेन को सुझाव दिया गया है कि सैनिकों समेत सभी संभव उपाय उनको वहां पर करने चाहिए। इस संकल्प को पेश करनेवालों में हम भी एक थे।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : ब्रिटेन द्वारा आर्थिक तथा राजनैतिक सहायता रोक देने की धमकियां देने तथा राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा व्यक्त विचारों के बावजूद भी श्री इयान स्मिथ ने रोडेशिया की स्वतंत्रता की एकपक्षीय घोषणा कर दी है। इस संबंध में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार अन्य राष्ट्रमंडल देशों तथा ब्रिटेन से संबंध बनाये हुए हैं की वह क्या राजनैतिक और आर्थिक कार्यवाही कर रहे हैं तथा इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इस संबंध में हमारी सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो भी कुछ ब्रिटिश सरकार ने किया है हम उससे कहीं अधिक करेंगे। मैं यह कह चुका हूँ कि ब्रिटिश सरकार को पहले ही कठोर कदम उठाने चाहिये थे । यदि ऐसा हुआ होता तो जो स्थिति पैदा हो गई है वह पैदा नहीं हुई होती।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि चीन ने तिब्बत पर जो कब्जा कर लिया है उसको सरकार अवैध घोषित करे तथा दलाई लामा की सरकार को विदेश में तिब्बती सरकार माने।

अध्यक्ष महोदय : इसका इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या भारत द्वारा रोडेशिया में स्वतन्त्रता की एकपक्षीय घोषणा को मान्यता देने को अस्वीकार करने के कारण सरकार समझती है कि भारतीय नागरिकों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा तथा यदि हां, तो क्या उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : भारतीय वहां पर उन लोगों की सहायता कर रहे हैं जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं उनको कुछ समय के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता ही है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार का विचार ब्रिटेन के प्रधान मंत्री पर दबाव डालने का है कि वह रोडेशिया की अल्पसंख्यक सरकार के विरुद्ध कठोर क़दम उठाये।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने ब्रिटिश सरकार तथा अन्य राष्ट्रमंडल के देशों को बाध्य किया है कि श्री इयान स्मिथ के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करे।

श्री स्वर्ण सिंह : कुछ महीने पहले हुए राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन में हमारे प्रधान मंत्री ने जो सत्य अपनाया था वह बड़ा ही स्पष्ट तथा कठोर था । इस मामले में हमने ब्रिटिश सरकार को अपनी भावनायें बता दी हैं। ब्रिटिश सरकार हमें ऐसा महसूस कराती रही है कि वह कठोर कार्रवाही कर रही है।

सभा पटल पर रखा गया पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

रबड़ (दूसरा संशोधन) नियम 1965

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : मैं रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत रबड़ (दूसरा संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 25 सितम्बर, 1965 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1397 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5128/65।**]

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संचार तथा संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : आपकी अनुमति से, मैं यह बताना चाहता हूं कि 15 नवम्बर, 1965 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये इस सभा का सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :—

(1) विदेश मंत्री के प्रस्ताव पर वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा भारत सरकार की तत्संबंधी नीति पर चर्चा।

(2) आज के सरकारी कार्यक्रम की किसी अवशिष्ट मद पर विचार।

(3) भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति और भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति के विघटन की व्यवस्था करने वाले संकल्पों पर चर्चा।

(4) भारत का धातु निगम (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, 1965 पर विचार तथा पास करना।

(5) एकस्व विधेयक, 1965 को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने वाले प्रस्ताव पर विचार।

(6) डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी के प्रस्ताव पर 31 मार्च, 1964 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन पर गुरुवार 18 नवम्बर 1965 को 3 म० प० चर्चा।

अध्यक्ष महोदय : मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल उन विषयों का उल्लेख करें जिन पर वह चर्चा चाहते हैं। और भाषण करना आरंभ न करे

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्रीमनजी, मैं चाहता हूँ कि केन्द्रीय सतकता आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हो।

श्री रामनाथन चेट्टियार (करूर) : श्रीमन, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कार्य मन्त्रणा समिति में सभी दलों के सदस्य हैं। इस लिये संसद् कार्य मंत्री जब इस बारे में शुक्रवार को वक्तव्य देते है तो इस विषय पर इतने समय के लिये उन्हीं दलों के सदस्यों को चर्चा क्यों करने दी जाती है ?

अध्यक्ष महोदय : ये दो विभिन्न बाते हैं। कार्य मन्त्रणा समिति उन विषयों के लिये समय निर्धारित करती है। यहां पर इस समय मैंने केवल 10 मिनट दिये है ताकि उन विषयों का उल्लेख किया जा सके जिन पर माननीय सदस्य चर्चा चाहते हैं। यदि सभा चाहे तो हम ऐसा करना बन्द कर सकते हैं। संकल्प के बारे में मुझे दो सदस्यों से सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : 22 अक्तूबर के बुलेटिन में जो विधेयकों की सूची है उसके बारे में सरकार को शीघ्र ही निर्णय कर लेना चाहिये कि कौन कौन से विधेयक इस सत्र में लिये जायेंगे ताकि उन पर चर्चा के लिये पर्याप्त समय के बारे में निर्णय हो सके। अन्त में मैं यह चाहता हूँ कि जो माननीय मंत्री महोदय रूस गये थे उन्हें सभा में अपनी रूस यात्रा के बारे में वक्तव्य देने को कहा जाये और वह इस बारे में एक रिपोर्ट दें।

अध्यक्ष महोदय : यह समय माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा के बारे में विषयों का उल्लेख करने के लिये निर्धारित है।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) **:** I want that Indo-Pakistan conflict should be discussed thoroughly. Secondly the closure of textile mills in U.P. and Bombay should also be discussed. A foımer membeı of this House Shri Kirai Mushar has expired. No obituary reference has been made in this regard. It should be done.

Shri Hukum Chand Kachhavaiya (Dewas) **:** I want to raise the question of condition of Bidi workers.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) **:** A discussion was allowed in Rajya Sabha on Prime Minister's statement, I request that a discussion should be allowed in this House as well.

Shri Buta Singh (Moga)**:** The hon. Rehabilitation Minister should make a statement in regard to the assistance being given to people of border areas of Punjab, who have been uprooted as a result of Pakistani aggression.

Mr. Speaker : You contact him in this regard.

Shri A. P. Sharma : I want that the causes of fire at Ranchi should be discussed. I had given a notice in this regard during last session and I was assured. I request that some time should be allotted for this.

Mr. Speaker : The Business Advisory Committee looks into this.

श्री हेम बरुआ : मेरा अनुरोध है कि भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों पर 'अन्तर्राष्ट्रीय विषयों' की चर्चा से अलग रूप से चर्चा की जाये।

अध्यक्ष महोदय : अन्तर्राष्ट्रीय विषयों की चर्चा में सभी बातें आ जायेंगी।

Shri Nath Pai : Shri Yeshpal Singh had raised a discussion on Report relating to Backward classes. Discussion on that Report was incompleted. That should be done.

श्री सत्यनारायण सिंहा : इसे लिया जायेगा। केन्द्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा पर जैसे आप ने कहा है कि कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस बारे में एक उपसमिति चर्चा के लिये विषय चुनती है और $2\frac{1}{2}$ घंटे का समय देती है। एक प्रस्ताव को प्रत्येक सप्ताह लिया जाता है।

About Shri Praksh Vir Shastri's point regarding discussion on Indo-Pakistan conflict, I want to say that it was decided in the Business Advisory Committee that this subject could be discussed during the debate on foreign affairs. A bill is being brought in regard to working conditions of bidi workers. About delegations' report I want to say that no report is presented by such delegations.

करारोपण विधियां (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक

TAXATION LAWS (AMENDMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) BILL

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि आय-कर अधिनियम, 1961, सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम 1958 में अग्रेतर संशोधन करने वाले तथा राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980, में विनियोजित अप्रकट आय के कतिपय मामलों में कर से छूट देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्रीमानजी इस विधेयक का उद्देश्य करारोपण विधियां (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) अध्यादेश का स्थान लेता है जो राष्ट्रपति ने 19 अक्तूबर, 1965 को प्रख्यापित किया था। माननीय सदस्यों को जो विवरण भेजा गया है और जिसकी प्रति सभा पटल पर रखी गई है उसमें इस विधान बनाने के कारण बताये गये हैं। अत: मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मैं विधेयक के उपबन्धों के बारेमें ही कुछ कहूंगा।

इस विधेयक के उपबन्धों के अनुसार राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांडो, 1980 तथा दो राष्ट्रीय रक्षा ऋणों की सीरीज में धन लगाने वालों को करों में कुछ रियायतें दी जायेंगी। इन रियायतों को बहुत आवश्यक समझा गया है। इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि निवासी व्यक्तियों को राष्ट्रीय सुरक्षा ऋणों में लगाये धन के भुगतान करते समय स्रोत पर आयकर की कटौती किये बिना इन पर ब्याज लेने का अधिकार होगा। देश में न रहने वाले व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा ऋणों में लगाये गये धन पर आयकर पर ब्याज से पूरी छूट होगी। इस रियायत के बारे में उपबन्ध इस विधेयक मे नहीं है। यह कार्य सरकार आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी कर के करेगी। देश में न रहने वाले व्यक्तियों को यह रियायत इस लिये दी गई है ताकि अधिकाधिक धन विदेशों से विदेशी मुद्रा के रूप में यहां पर आये।

हाल के पाकिस्तानी आक्रमण और देश को निरन्तर चले आ रहे खतरे के कारण यह बहुत आवश्यक हो गया है कि हम प्रतिरक्षा तथा विकास के लिये आत्मनिर्भर बनें। ऐसी स्थिति में विदेशी मुद्रा के लिये सभी संसाधनों को प्रयोग में लाना बहुत ही आवश्यक है और देश में उपलब्ध सोने से पूरा पूरा लाभ उठाया जाये। दिये जाने वाले सोने के बदले में बांड दिये जायेंगे और 1980 में उन बांडों के बराबर मुल्य का सोना लौटा दिया जायेगा। बांड वालों को प्रति 10 ग्राम के लिये प्रति वर्ष 2 रुपये का भुगतान किया जायेगा। जिन लोगों ने अपनी छिपी आय से सोना खरीद लिया है उन्हें इस बात का अधिकारी बनाया जा रहा है कि वे इस सोने से स्वर्ण बांड खरीद लें और उन्हें आय-कर से छूट दी जायेगी।

इस विधेयक में उपबन्ध किया गया है कि इन बांडों में धन लगाने वाले व्यक्तियों के नाम गुप्त रखे जायेंगे और अदालतों को किसी सरकारी कर्मचारी को साक्ष्य के लिये बुलाने का अधिकार नहीं होगा। यह जानकारी केवल आयकर विभाग के अधिकारियों तथा लेखापरीक्षा विभाग के अधिकारियों के पास ही रहेगी। 'सरकारी कर्मचारी' में रिज़र्व बैंक, स्टेट बैंक तथा उस से सम्बद्ध बैंकों के कर्मचारी शामिल होंगे।

एक और रियायत यह है कि बांडों के उपहार करने वालों को सोने के पांच किलोग्राम तक की मात्रा तक उपहार-कर से छूट मिलेगी। इस के अतिरिक्त बांड रखने वाले की मृत्यु की स्थिति में 50 किलोग्राम तक सम्पदा शुल्क से छूट होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि आय-कर अधिनियम, 1961, सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953, धन-कर अधिनियम, 1957, दानकर अधिनियम 1958 में अग्रेतर संशोधन करने वाले तथा राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980, में विनियोजित अप्रकट आय के कतिपय मामलों में कर से छूट देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री त्रि० कु० चौधरी (बरहामपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जब तक भारत रक्षा नियमों में सोना रखने आदि के उपबन्धों में संशोधन न किया जाये तब तक इस विधेयक पर विचार नहीं हो सकता।

Shri Bishen Chander Seth (Etah) : I have met many leaders recently. All of them are of the opinion that Gold Bonds scheme is not proving successful. Government should consider this question seriously. Shri T.T. Krishnamachari is not here. I request that this Bill should be taken up only after his return from abroad.

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा ऐसे कानून जिन्हें यह उचित समझे पास कर सकती है। श्री त्रि० कु० चौधरी ने किसी ऐसे नियम का उल्लेख नहीं किया जिस का उल्लंघन हुआ हो। अतः इस में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : वर्तमान स्थिति में सभा सभी ऐसे विषयों पर ध्यान देगी जिनसे देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और लोगों का मनोबल ऊंचा हो।

इस स्वर्ण बांड योजना से दो बातें होंगी। एक तो स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को छूट दी जा रही है ता कि वे बांड ले सकें और 1980 में वे फिर से सोना ले सकें। दूसरे धन को छिपा कर रखने वालों को छूट दी जा रही है कि वे सोना खरीद कर उसके बदले बांड ले सकें। ऐसे लोगों के लिये बहुत से कानूनों को निष्प्रभावी बनाया जा रहा है।

जिन लोगों ने देश के कानूनों की परवाह नहीं की उनको विशेषाधिकार दिये जा रहे हैं। मुझे सन्देह है कि यह योजना सफल नहीं होगी। लोगों को इस सरकार पर विश्वास नहीं है। कौन जानता है कि 1980 में सोना वापिस किया जायेगा या नहीं।

इन बांडों में लगाये जाने वाले सोने से इतना लाभ नहीं होगा जितना यदि इसे अन्य प्रकार से लगाया जाये। वास्तव में इसमें आधी आय होगी। भारत में अधिकांश सोना आभूषणों के रूप में है। इस प्रकार के सोने पर जो प्रोत्साहन दिया गया है वह काफ़ी नहीं है। इस कारण यह योजना असफल होगी। सरकार ने इस सम्बन्ध में बहुत से अनुमान लगाये हैं। मेरे विचार में उपलब्धि अनुमानों से बहुत कम रहेगी।

5 नवम्बर को यह कहा गया था कि 60 लाख रुपये का सोना इकट्ठा हो चुका है। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। प्रधान मंत्री द्वारा निर्धारित 500 करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त करना बहुत कठिन है।

अब मैं इस कानून के नैतिक पहलू को लेता हूं। इस योजना के अनुसार उन लोगों को इनाम दिया जा रहा है जिन्हों ने स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम को तोड़ा है। समाज विरोधी तत्वों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार सामाजिक न्याय की बात करती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सामाजिक न्याय है? ईमानदार स्वर्णकारों को दण्ड दिया गया है। उनको बेरोज़गार कर दिया गया है परन्तु सोना छिपा कर रखने वालों को इनाम दिया जा रहा है। यह विधेयक देश के कानूनों के विरुद्ध है। इससे लोगों को कानूनों को तोड़ने के लिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मेरे विचार में इस विधेयक का नाम बदलकर 'कर अपवंचकों तथा सोना जमाखोरों को प्रोत्साहन' रख देना चाहिये।

यह कहा गया है कि सोना देश की रक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिये चाहिये। यह जो तरीका अपनाया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। सरकार को किसी सम्मानपूर्वक ढंग से सहायता लेनी चाहिये। एक बड़े अर्थ शास्त्री ने लिखा है कि हमारी सरकार अपनी गलतियों को गलत नीति से ठीक करना चाहती है। सरकार को स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम को निरसन कर देना चाहिये। हमने पहले भी कहा था कि यह कानून व्यावहारिक नहीं। इससे सोने के मूल्यों में कमी नहीं हुई है और नही सोने के तस्कर व्यापार में कमी हुई है। आज शायद सरकार को भी पता चल गया है कि यह कानून अनुचित है। सरकार को पहले यह कानून समाप्त करना चाहिये और उसके पश्चात यह रियायतें देनी चाहिये।

इन रियायतों से देश के देशभक्तों का अपमान किया जा रहा है। इस योजना से हमारी प्रतिरक्षा सम्बन्धी तयारी को कोई लाभ नहीं होगा। सरकार को आश्वासन देना चाहिये कि करों मे कमी की जायेगी मुझे खेद है कि प्रधान मंत्री ने पहले ही अधिक करों का संकेत दिया है।

कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक में बोलते समय इस प्रतिवेदन का खण्डन नहीं किया गया है—प्रधान मंत्री महोदय ने कहा है कि यदि स्वर्ण बांड योजना में आशानुकूल सफलता प्राप्त न हुई तो उस स्थिति में अधिक तथा भारी करारोपण की व्यवस्था करना अनिवार्य हो जायेगा। सरकार स्वर्ण-जमाखोरों, काले बाजार के व्यापारियों तथा कर-प्रवंचकों को आगे आने का अवसर प्रदान कर रही है, यदि वे इस अवसर की अवहेलना करें तो भी सरकार उन्हें कुछ नहीं कर सकतीं। सरकार तो केवल गरीब आदमी को धमकी देती है कि यदि वह अपनी इस योजना में सफल नहीं रही, तो इमानदार तथा गरीब व्यक्तियों को और भी अधिक कर देना पड़ेगा। सरकार का सामाजिक न्याय का यह सिद्धान्त है—यह अनैतिक उपाय है जिसका हम समर्थन नहीं कर सकते।

यह एक विचित्र रवैया है। सरकार अत्यधिक कराधान तथा स्वर्ण नियंत्रण योजनाओं पर निरन्तर जोर देते रहती है और इसके अतिरिक्त वह बदमाश लोगों को दण्ड देने की व्यवस्था नहीं करती है। इस प्रकार इमानदार आदमियों को सदैव कष्ट ही झेलने पड़ेंगे। यदि सरकार स्वर्ण नियंत्रण योजना तथा भारी करारोपण के सम्बन्ध में अपनी गलती मान लेती है और उन इमानदार नागरिकों से क्षमा-याचना करती है जिन्हें उसने गत वर्षों में परेशान किया है, तो हम धन इकट्ठा करने के लिए मार्गोपायों के सम्बन्ध में सरकार से सहयोग करेंगे। सरकार इमानदार व्यक्ति पर कर लगाकर बदमाश की सहायता नहीं कर सकती। सरकार बहुमत के बल पर प्रस्तुत विधेयक को पारित करवा सकती है किन्तु इसके उद्देश्यों की प्राप्ति मे सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि लोगों का सरकार से विश्वास उठ चुका है। इसलिए प्रस्तुत विधेयक इस देश में गणतंत्र राज्य के प्रति नितान्त हानिकर है। विधेयक में सर्वप्रथम आपतकाल का उल्लेख करके, उसकी आड़ में विधेयक प्रस्तुत करना नागरिकों की देश भक्ति की भावनाओं की अवहेलना करना है।

श्रीमन्, सामान्य काल में विरोधी दल प्रस्तुत विधेयक के विरुद्ध अपना मतदान देते किन्तु इस विचित्र परिस्थिति में जिससे हम गुजर रहे है, हम इस विधेयक पर सभा का मतदान करवाना उचित नहीं समझते। मुझे सन्देह है कि सरकार एक अथवा दो वर्ष बाद इसी प्रकार का कोई अन्य हानिकारक विधेयक यह कह कर प्रस्तुत करेगी कि पिछले विधेयक के उद्देश्यों की पूर्त्ति में सफलता प्राप्त नहीं हुई है अतः यह उपाय करना अनिवार्य हो गया है।

श्री दाजी (इन्दौर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक अत्यन्त घातक है, इसमें बदमाशी, भ्रष्टाचार, डाकूगिरी, लूट तथा ऐसी अन्य सभी जघन्य चीजों को महत्व दिया गया है। यह अत्याधिक क्रान्तिकारी है। सरकार केवल भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन ही नहीं अपितु भ्रष्टाचारियों के साथ साझेदारी भी कर रही है। स्वर्ण बांडों तथा राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रमाणपत्रों में पूंजी लगाने वालों को सरकार देशभक्तों की संज्ञा देती है और इसके अतिरिक्त, उनके नाम गुप्त रखे जायेंगे।

इस प्रकार की योजना के अन्तर्गत, मानसिंह डाकू जैसे व्यक्ति तो सर्वश्रेष्ठ देशभक्त बन जायेंगे क्योंकि वे कहीं भी जाकर किसी भी स्त्री के जवर आदि लूट कर उसे स्टेट बैंक में लाकर प्रतिरक्षा के लिये जमा कर सकते हैं और उनसे प्राप्तिस्त्रोत के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जायेगा और अन्त में व्याज सहित उन्हें शुद्ध सोना लौटा दिया जायेगा।

गणतंत्र राज्य की यह एक विचित्र लीला है। प्रस्तुत विधेयक में की गई व्यवस्था के अनुसार केवल कर-अपवंचक, ब्लैकमार्केटिंग तथा अन्य जघन्य कार्यों में लगे हुए लोग ही सर्वश्रेष्ठ देशभक्तों की सूचि में आ सकते हैं। प्रस्तुत विधेयक भ्रष्टाचार सम्बन्धी सरकार की पूर्ण नपुंसक नीति की खुली उद्घोषणा है। यह प्राधिकार का परित्याग है। इस विधेयक को यहां

[श्री दाजी]

लाना संसद का अवमान करना है । सरकार अन्य उपायों को काम में लाकर काले धन को बाहर निकलवा सकती है और अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकती है । वर्तमान सरकार, अपनी कार्यवाहियों, अपने विचारों, अपनी मनोवृत्ति में, बनिया सरकार है और, इसलिये उसने हमारी देशभक्ति का अवमान किया है । मेरे इस अभिव्यक्ति का आशय इस समुदाय के प्रति आक्षेप करना नहीं है । प्रत्येक दिन आकाशवाणी से यह घोषणा करना कि किसी पैराट्रूपर को पकड़ने पर 500 रुपये इनाम दिये जायेंगे, एक ऐसी बात है जो कभी किसी गणतंत्र राज्य में सुनी नहीं गई । यह बिल्कुल अलग बात है कि शौर्य प्रदर्शन किये जाने पर किसी को पारितोषिक दिया जाए । पैराट्रूपर्स को पकड़ना देश के प्रत्येक नागरिक का परम कर्त्तव्य है, अतः इनाम घोषित करने में सिवाय इसके और क्या तर्क है कि सरकार ने देशभक्ति का मूल्य 500 रुपये निर्धारित किया गया है ।

भ्रष्टाचार-देव को और अधिक आकर्षित तथा प्रसन्न करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिरक्षा बौन्डों की आड़ में उसे देशभक्त की संज्ञा दी जा रही है । वास्तव में यह अति निन्दनीय, शर्मनाक तथा पूर्णतः अनैतिक विधेयक है । सरकार नैतिकता का उपहास कर रही है । आज हम सम्पूर्ण विश्व में प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता और नैतिकता के नारे लगा रहे हैं । दूसरी ओर सरकार अनैतिकता को कानूनी रूप दे रही है और देशभक्ति बेच रही है । मुझे आश्चर्य है कि राष्ट्रपति जैसे महान दार्शनिक व्यक्ति ने इस अध्यादेश पर कैसे अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं । अतः मेरा यह अनुरोध है कि सरकार इसे वापस ले ले अथवा सभा इसे पारित न करे ।

सरकार का यह आत्मविश्वास हो गया है कि देश के इमानदार लोगों से उसे समर्थन प्राप्त नहीं हो सकता अतः उसने भ्रष्ट तथा बदमाश लोगों के समर्थन में विश्वास करना आरम्भ कर दिया है । राष्ट्र-रक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु है, उसके लिये जितनी भी आवश्यकता पड़े, हम जुटायेंगे । जब तक हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कार्य न करें तब तक व्यापार, उद्योग, वाणिज्य, संस्कृति, कला तथा अन्य कोई भी वस्तु देश में फल-फूल नहीं सकती ।

उदाहरण के रूप में 2 प्रतिशत, 3 1/2 प्रतिशत तथा 6 प्रतिशत-कर-मुक्त के सम्बन्ध में विचार करने पर भलीभांति यह मालूम हो जायेगा कि इन प्रस्तावों से गरीब व्यक्तियों को नहीं अपितु केवल धनी लोगों को ही लाभ पहुंचता है । क्या सरकार ने समस्या के इस पहलू पर भी कभी विचार किया है ?

मैं यह निवेदन करूंगा कि यह योजना छोटी-पूंजियों को बाहर निकालने के लिये नहीं अपितु काले बाजार के जेवरात बाहर निकालने के लिए एक योजना तैयार की गयी है । मेरा सुझाव यह है कि आय-कर न देने वालों को अधिक व्याज और आय-कर देने वालों को कम व्याज दिया जाना चाहिये और गरीब लोगों को निर्माण-व्यय के रूप में और अधिक धन दिया जाना चाहिये । इस सुविधा के दिये जाने पर देश की इमानदार आम जनता इस देशभक्ति के प्रयास में और भी अधिक हाथ बटायेगी ।

यदि सरकार सोना बाहर निकलवाना चाहती है, तो वह निर्धन ग्रामीणों तथा गृहणियों से नहीं निकाल सकती है; उसे काले बाजार के व्यापारियों, जमाखोरों तथा महाराजाओं तथा महारानियों के पास जाना पड़ेगा जहां कि सोना पड़ा हुआ है, किन्तु मैं जानता हूं कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वह अपराध में स्वतः उनकी साझीदार है ।

सरकार स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के स्थान पर अब यह भ्रष्टाचारी लोगों का पुनर्वास अधिनियम के द्वारा अपना उद्देश्य पूरा करना चाहती है ।

मेरा, इसलिये, यह निवेदन है कि प्रस्तुत विधेयक जिसका समर्थन नैतिकता, शिष्टाचार तथा प्रजातंत्रीय सिद्धान्तों के आधार पर किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता, वापस लिया जाना चाहिये ।

श्रीमती रेणुका राय (माल्दा) : देशभक्ति की भावना से हमारा देश ओतप्रोत है। श्री मी० रू० मसानी तथा श्री दाजी ने प्रस्तुत विधेयक के खण्ड 8 को लेकर उसकी आलोचना की है यदि कोई ऐसा तरीका निकल सकता जिससे कि काले बाजारियों, मुनाफाखोरों तथा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन करने वालों से सोना बाहर निकल आता, तो सरकार ने निश्चित ही वह तरीका अपना लिया होता। मैं इस बात को आज महसूस करती हूं कि भारत के सभी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में काफी संख्या में एसी महिलाए हैं जो इस संकट के निवारणार्थ सोना देने के लिए उत्सुक हैं। मुझे यकीन है इस सभा का प्रत्येक सदस्य इस संचय कार्य में सहयोग दान देगा। जहां तक इस योजना का सम्बन्ध है, वह सराहनीय है किन्तु यह हो सकता है कि योजना में कुछ त्रुटियाँ हो जिन्हें अनुभव के आधार पर दूर करना पड़ेगा। विधेयक के खण्ड 8 का समर्थन नहीं किया जा सकता। इसमें बिना लेखें के धन को बाहर निकालने के सम्बन्ध में दी जाने वाली राहत की व्यवस्था केवल नैतिकता के आधार पर गलत ही नहीं अपितु उसके कुछ परिणाम भी नहीं निकलेंगें। नैतिकता का प्रमुख स्थान देना आवश्यक है। अतः मैं मंत्री महोदय से सादर अनुरोध करती हूं कि वह विधेयक के खण्ड 8 को निकाल दें।

मेरे विचार से खण्ड 8 का निकाल दिया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें केवल छिपाये गये धन को रियायत देने की ही व्यवस्था नहीं की गई है अपितु उसी खण्ड में कुछ ऐसे भी उपबन्ध भी हैं जिनके आधार पर कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध गवाही तक नहीं दे सकता। इस लिए ऐसी किसी भी व्यवस्था का न तो समर्थन ही किया जा सकता है और न उसे उचित ही ठहराया जा सकता।

विधेयक के अन्य सभी खण्डों तथा उपबन्धों का मैं पूर्णतः समर्थन करती हूं। इस योजना को ऐसा आकर्षक बनाया जाना चाहिए जिससे कि धनी तथा कम धनी सभी व्यक्तियों का फालतू धन संचित किया जा सके।

प्रधान मंत्री महोदय ने कलकत्ता में हाल ही में महिलाओं से इस सम्बन्ध में अपील की जिसके परिणाम स्वरुप हमने दूसरे दिन पश्चिम बंगाल महिला संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई जिसमें हममें इस योजना में सहयोग देने का निश्चय किया, किन्तु जब उन्होंने प्रस्तुत विधेयक में अन्तर्विष्ट खण्ड 8 को गजट अधिसूचना के रुप में देखा तो उन्हें इससे आघात पहुँचा क्योंकि इस अच्छे प्रयोजन के लिये सरकार उन लोगों को, जिन्होंने केवल नैतिक उद्देश्यों के विरुद्ध ही अपराध नहीं किये हैं अपितु जिनमें देशभक्ति की कोई प्रेरणा विद्यमान नहीं है और जो राष्ट्र-रक्षा की दृष्टि से उतने ही महान अपराधी हैं जितने कि देश-द्रोही, अन्य लोगों के साथ कैसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जा सकता है। जिस धन को बाहर निकलने के लिए इतनी रियायतें दी जा रही हैं, वह कभी भी बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि उसे बाहर निकालने के लिए पहले भी रियायतें दी जा चुकी हैं जिसके परिणाम कुछ भी नहीं निकल पाये।

इसलिए, मैं प्रस्तुत विधेयक का, जिसमें स्वर्ण बाँड योजना की व्यवस्था की गई है और जिससे देश में बेकार पड़े हुए सोने के जेवरों को देश-सेवा के कार्य में लगाया जा सकता है, पूर्णतः समर्थन करती हूं——मैं जानती हूं कि विधेयक से खण्ड 8 को निकाले बिना इसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिलेंगी, अतः मैं एक बार फिर अपने अनुरोध को दुहराती हुं कि सरकार प्रस्तुत विधेयक से खण्ड 8 को निकाल दे।

श्री श० ना० चतुर्वेदी (फिरोजाबाद) : हम इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कितनी मजबूर आवश्यकता से विवश होकर सरकार ने देश में छिपे हुये सोने को बाहर निकालने के लिए यह तरीका निकाला है। अपने सिद्धान्तों की रक्षा के लिए हमने कहीं अधिक कष्ट सहन किये हैं और त्याग किया है और अब भी हम उन पर डटे हुए हैं। किन्तु प्रस्तुत विधेयक द्वारा हमारे नैतिक स्तर का पूर्णतः पतन हो जाता है।

स्वर्ण नियंत्रण विधेयक को कानूनी रुप देने के परिणाम हजारों लोग बेरोजगार हो गये, उन्हें बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। किन्तु आज स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम का अस्तित्व क्या है ?

क्या प्रस्तुत विधेयक के द्वारा हम बेईमानी को अधिक महत्व नहीं दे रहे हैं ? हम यह सब कुछ उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिन्होंने कर अपवंचन किये हैं, और काले बाजार तथा अन्य कदाचरणों से लाभ उठाकर धन कमाया है। जिन व्यक्तियों पर कर की देय राशियां बांकी हैं, उन्हें वसूल तो अवश्य ही किय जाना चाहिए। देश के बेईमान लोगों को पूरी छूट कैसे दी जा सकती है ? जिन लोगों के पास ईमानदारी से अर्जित सोना है, उन्हें किसी भी प्रकार प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। इस योजना में सोने का योगदान करने वाला प्रत्येक इमानदार व्यक्ति यही सोचेगा कि उसका योगदान को भी इस अवसर पर कदाचरण के जरिए अर्जित धन समझा जायेगा, यह केवल मेरी ही नहीं अपितु हजारों लोगों की प्रतिक्रिया होगी। मैं नहीं समझता कि सरकार को इस योजना से कोई लाभ होगा। अतः मैं सरकार से यह अनुरोध करुंगा कि वह प्रस्तुत विधेयक को या तो वापस ले ले अथवा उसमें इस तरीके से संशोधन करे कि ईमानदार व्यक्ति को यह महसूस हो जाय कि उस की ईमानदारी पर शक नहीं किया जा रहा है और उसे उन लोगों के बीच में स्थान नहीं दिया जा रहा है जिन्होंने देश को धोका दिया है।

मेरी अपील का एक कारण यह भी है कि प्रस्तुत विधेयक देश में विद्यमान भावना के प्रतिकूल है। अवश्य ही देश में जनता में त्याग की भावना उत्पन्न हुई है किन्तु इस विधेयक के कारण वह भावना नष्ट हो जायेगी, इसलिए मेरा यह पुनः निवेदन है कि यह विधेयक वापस लें लिया जाय या उसें रद्द कर दिया जाय अथवा उसमें संशोधन किया जाए।

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, The Bill has been very strongly criticised by some hon. Members and it has been said that Government have brought the most pernicious measure which puts a premium on dishonestly, corruption and other malpractices. There was a lot of opposition to the Gold Control Bill also.

As regards the prurity of gold, it was reduced to 14 carats after the Gold Control Bill was enacted and it is still on the Statute-Book. The pure gold is now available only with the gold hoarders, dishonest men and tax-dodgers because the people who evaded taxes and indulged in blackmarketing amassed blackmoney and converted it into gold so that they could escape the provisions of the law.

So far as the aspect of the scheme is concerned, it is good, but it is not attractive to the honest man and as such it is very difficult for him to respond for he can get much better returns by way of interest on fixed deposits in a bank. He will, therefore, not deposit his gold with the Government.

It is apparent that the purpose of the Bill is to tap the hidden gold in the country, but the steps taken by Government in respect of gold from time to time after the passing of the Gold Control Order were only meant to relax the provisions of the Law instead of strengthening them. The tax-evaders always took advantage of these relaxations and concessions and Government could not achieve success in its objectives. The present measure is also a step of an identical nature. The present concessions are also doomed to failure and the purpose of the Bill will be defeated. The only way to tap the hidden gold in the country is that Government should nationalise gold. But I know that Government cannot do it far it always gives protection to tax-evaders, blackmarketeers and other profiteers and could not realise the taxes that are leviable.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad) : You have supported us.

Shri Sinhasan Singh : If names of such persons are known, I am prepared to support. It will not be possible to tap the names confidential. That is why many people have not given gold because they think that honest persons would also be mixed with dishonest ones. The measure should be such that names of such persons are kept separate. The people should not be encouraged to get award for evading income-tax.

This Bill needs to be reconsidered. The Government should see that premium is not given to such persons who were earning a lot here by unlawful means. They should not be allowed to become big personalities.

With these words I do not support the Bill.

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को सब का समर्थन प्राप्त नहीं है। इस विधेयक की मुख्य बात इसमें दिये गये आश्वासन है। क्या जनता को सरकार के आश्वासनों में कोई विश्वास है? अब तक सरकार ने अनेक वायदे किये और उनको तोड दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण अगले दिन जारी रखें।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

बहत्तरवां प्रतिवेदन

श्री हेम राज (कांगडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी के बहत्तरवें प्रतिवेदन से, जो सभा में 10 नवम्बर, 1965 को उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है..................

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा) : प्रो० हीरेन मुकर्जी के संकल्प के लिये केवल दो घंटे रखे गये हैं। इस पर चर्चा का समय दो घंटे से बढा कर पांच घंटे कर दिया जाय।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खाद्यान्न के आयात के बारे में श्री ही० ना० मुकर्जी के संकल्प पर चर्चा के लिए नियत समय को बढा कर पांच घंटे कर दिया जाय।"

श्री हेम राज (कांगड़ा) : मुझे अपना संकल्प प्रस्तुत करने के लिए कम से कम एक मिनिट तो दिया जाए ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I support the Time allotted for Shri Mukerjee's resolution. Besides I want the time allotted for Shri Bhagwat Jha Azad's resolution be extended by two hours more.

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : मेरा एक सुझाव है। अभी तो इस पर थोड़े समय तक विचार कर लिया जाय। जब खाद्य स्थिति पर चर्चा होगी, जिसके लिये सात घंटे का समय रखा गया है, तब इस बारे में और बातें भी उठायी जा सकती हैं।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : इस पर समय को बढ़ाया न जाये क्योंकि इस बात को देखते हुए कि गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए समय बड़ा सीमित रहता है, यदि स्वीकृत संकल्पों पर समय बढ़ा दिया गया तो अन्य सदस्यों को तो इस सत्र में अवसर ही नहीं मिलेगा। दूसरे खाद्य स्थिति पर चर्चा होने ही वाली है तब सब बातों को उठाया जा सकता है ।

श्री रंगा (चित्तूर) : खाद्य समस्या पर प्रस्ताव पर समय को बढ़ा कर 10 घंटे कर दिया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में तो सभा ही निर्णय करेगी। अब मैं श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी का संशोधन मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खाद्यान्न के आयात के बारे में श्री ही० ना० मुकर्जी के संकल्प पर चर्चा के लिए नियत समय को बढ़ाकर पांच घंटे कर दिया जाय ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।/*The motion was negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरा संशोधन श्री मधु लिमये का है जो श्री भागवत झा आज़ाद के राष्ट्रमण्डल से सम्बन्ध विच्छेद के बारे में संकल्पपर चर्चा के लिए आवंटित $1\frac{1}{2}$ घंटे के समय में 2 घंटे बढ़ाकर $3\frac{1}{2}$ घंटे करने के बारे में है। अब मैं यह संशोधन सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि श्री भागवत झा आजाद के राष्ट्रमण्डल से सम्बन्ध विच्छेद करने के बारे में संकल्प-पर अग्रेतर चर्चा के लिये नियत समय को बढ़ाकर साढ़ेतीन घंटे कर दिया जाय ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।/*The Lok-Sabha divided.*

पक्ष में 29, विपक्ष में 70; / Ayes 29, Noes 70

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।/*The motion was negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बहत्तरवें प्रतिवेदन से, जो सभा में 10 नवम्बर, 1965 को उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । *The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री द्वा० ना० तिवारी और कई अन्य सदस्यों ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना है । श्री द्वा० ना० तिवारी प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

भारत द्वारा राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध विच्छेद करने के बारे में संकल्प—जारी

RESOLUTION RE : INDIA QUITTING THE COMMONWEALTH—*Contd.*

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपाल गंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री भागवत झा आजाद द्वारा 24 सितम्बर, 1965 को प्रस्तुत किये गये भारत द्वारा राष्ट्र मण्डल से सम्बन्ध विच्छेद कर लेने सम्बन्धी संकल्प पर वाद-विवाद गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिये नियत आगामी दिन के लिये स्थगित किया जाये।"

Mr. Deputy Speaker : Sir, this is not a new thing in this House. There are precedents where rule was suspended and resolution was held over till the next day. On 12th March this year Shri Chatterjee moved the motion on the spot and it was passed but I have already given notice of this motion. There are two reasons for bringing this motion. Firstly the mover of the resolutuion who has to reply to the debate on the resolution is not present here. He is out of station. Secondly we shall have some time and the reaction of the country will be known and certain opinions will be crystalised. By that time we shall also come to know the attitude of the British Government.

Shri Sheo Narain (Bansi) : I second this proposal.

उपाध्यक्ष महोदय : मूल संकल्प के बारे में संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं। श्री मधु लिमये का संशोधन अवैध है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक घंटा वाद-विवाद के बाद इसको स्थगित किया जाय। या तो बिल्कुल स्थगित हो या स्थगित न हो।

Shri Madhu Limaye : I wanted that it should be debated for one hour today and then it is adjourned and Shri Bhagwat Jha Azad might reply on the next day.

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाए अर्थात :—

"कि श्री भागवत झा आझाद द्वारा 24 सितम्बर, 1965 को प्रस्तुत किये गये भारत द्वारा राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध विच्छेद कर लेने सम्बन्धी संकल्प पर वाद-विवाद स्थगित किया जाए।"

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। प्रक्रिया नियमों में ऐसा नियम तो है कि प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के बाद एक सदस्य प्रस्ताव पर वाद-विवाद स्थगित किये जाने क प्रस्ताव कर सकता है। लेकिन इस प्रकार का कोई नियम नहीं है कि किसी वाद-विवाद विशेष को किसी तारीख तक अथवा एक दिन, दो दिन, एक सप्ताह या तीन सप्ताह बाद तक के लिए स्थगित किया जाए। एक अगले दिन ही जब केरल के राज्यपाल के प्रतिवेदन पर बहस के समय श्री मुकर्जी ने प्रस्ताव किया कि बहस को प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखे जाने तक के लिए स्थगित किया जाय तो अध्यक्ष महोदय ने स्वयं कहा था कि ऐसा कोई नियम नहीं है और फिर अध्यक्ष ने केवल यह कहा कि वाद-विवाद स्थगित किया जाय। अतः मेरी आपत्ति यह है कि श्री द्वा० ना० तिवारी और उनके सहयोगीयों द्वारा इसको 15 दिन बाद, 26 नवम्बर, 1965 तक के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव अवैध है। श्री श्री नारायण दास का स्थानापन्न प्रस्ताव वैध है क्योंकि इसमें कोई तिथि नहीं दी गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर नियम 340 लागू होता है जिसमें यह व्यवस्था है कि प्रस्ताव किये जाने के बाद किसी भी समय एक सदस्य वाद-विवाद स्थगित किये जाने का प्रस्ताव कर सकता है। इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है।

अब मैं श्री श्रीनारायण दास के संशोधन को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाए, अर्थात् :—

"श्री भागवत झा आज़ाद द्वारा 24 सितम्बर, 1965 को प्रस्तुत किये गये भारत द्वारा राष्ट्र-मंण्डल से सम्बन्ध विच्छेद कर लेने सम्बन्धी संकल्प पर वाद-विवद स्थगित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। श्री तिवारी का प्रस्ताव निष्फल है। दूसरा संशोधन भी निष्फल है। वाद-विवाद स्थगित किया जाता है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : स्थानापन्न प्रस्ताव तभी पेश किया जाता है जब मूल प्रस्ताव वैध हो। यदि मूल प्रस्ताव ही कानून सम्मत न हो तो स्थानापन्न प्रस्ताव का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। हमें कानूनी तरीके से काम करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने विनिर्णय दिया है कि यह नियम 340 के अन्तर्गत वैध है।

श्री हरि विष्णु कामत : अध्यक्षपीठ को भी नियमों का उतना ही पालन करना चाहिए जितना हमें।

श्री ही० ना० मुकर्जी : हम आपके विनिर्णय को चुनौती नहीं दे सकते। हमें इस सभा के कार्य सम्बन्धी नियमों के बारे में निश्चित होना चाहिये। स्थानापन्न प्रस्ताव का प्रश्न तभी उठता है जब सभा ने मूल प्रस्ताव को मान लिया हो। यदि मूल प्रस्ताव रद्द हो जाता है तो स्थानापन्न प्रस्ताव स्वयं ही रद्द हो जाता है। आप अपने विनिर्णय को स्थगित कर सकते हैं क्योंकि यह बड़ा गंभीर मामला है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : जब यह बताया गया था कि श्री द्वा० ना० तिवारी का प्रस्ताव वैध नहीं है तो आपने कहा था कि मैं श्री तिवारी का प्रस्ताव नहीं रख रहा हूं अर्थात् आपने भी यह मान लिया ताकि यह वैध नहीं है। यदि हां, तो अन्य बातें उठायी ही नहीं जा सकती हैं।

Shri Madhu Limaye : On a point of order, Sir, I want to invite your attention to rule 389. Under this rule you are empowered to save this resolution and take up the motion moved by Shri D. N. Tiwary because we want that India must quit Commonwealth.

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : नियम में केवल यह व्यवस्था है कि एक सदस्य स्थगन प्रस्ताव पेश कर सकता है। जहां तक स्थगन का प्रश्न है, इसमें कोई प्रति-बंध नहीं है। यह अनिश्चित स्थगन भी हो सकता है और किसी तिथि विशेष तक भी स्थगन एक बडा व्यापक शब्द है और इससे किसी तिथि विशेष तक स्थगन शामिल है।

श्री हरि विष्णु कामत : केरल के राज्यपाल के प्रतिवेदन के बारे में अध्यक्ष महोदय ने यह नियम हमारे विरुद्ध माना।

श्रीमती रेणुका चक्रवर्ती (बैरकपुर) : यदि श्री तिवारी का प्रस्ताव वैध है तो पहले उसी को सभा में मतदान के लिए रखना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी का प्रस्ताव वैध है क्योंकि इसमें कोई तिथि निर्धारित नहीं की गयी है। उस दिन भी श्री चटर्जी के प्रस्ताव पर अध्यक्ष महोदय ने विनिर्णय दिया था कि यदि सभा सहमत हो तो उन्हें चर्चा स्थगित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसको अगले नियत दिन नहीं लिया जा सकता है। इसका बैलट द्वारा निर्णय करना होगा।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं इस प्रस्ताव पर चर्चा किये जाने के विरुद्ध नहीं हूं। लेकिन हम इस सभा द्वारा बनाये गये नियमों की अवहेलना नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा नियमों को विलम्बित करना चाहे तो मुझे कोई आपित्ति नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रस्तावक महोदय का आज सभा में उपस्थित न होना इसके स्थगन का कोई वैध और उचित कारण नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा चाहे तो इस प्रस्ताव को नामंजूर कर सकती है।

श्री हरि विष्णु कामत : सभा को इस प्रस्ताव के बारे में पता है और वह आज के लिये रखा गया है। इस प्रस्ताव में अगले दिन अगले सप्ताह आदि न रखकर केवल "स्थगीत" शब्द ही रखे जायें।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : जब संशोधन स्वीकृत हो गया है और संकल्प पर चर्चा स्थगित हो गई है, तो फिर यह विवाद क्यों चल रहा है।

श्री हरि विष्णु कामत : यह औचित्य प्रश्न पर चर्चा हो रही है। जब कोई वाद-विवाद के स्थगन का प्रस्ताव सभा में पेश किया जाता है तो यह प्रक्रिया नियमों के अनुसरण में होना चाहिये न कि इस प्रकार कि भविष्य के लिये कोई गलत, अनुचित परम्परा चल जाये।

श्री द्वा० ना० तिवारी : मुझे भी इन बातों का उत्तर देने का अवसर दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है। मैं इस पर और चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा। इस में कोई औचित्य प्रश्न नहीं है। संशोधन सभा में स्वीकृत हो गया है और वाद-विवाद स्थगित किया जाता है। अब हम अगला संकल्प लेते हैं।

श्रीमती रेणुका चक्रवर्ती : इसका मतलब है कि अब यह संकल्प समाप्त हो गया है और इसका फिर से बैलट होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर नियमों के अनुसार यदि दुबारा बैलट होना तो बैलट जरूर होगा।

Shri Madhu Limaye : I also rise on a point of order. It is not understood how you finished this. You are violating rules.

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नो के आयात के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : IMPORTS OF FOODGRAINS UNDER P. L. 480

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "इस सभा की राय है कि संयुक्त राज्य अमरिका के साथ पी० एल० 480 करारों के अन्तर्गत खाद्यान्न के आयात पर निरन्तर निर्भरता हमारे लिये अनादरपूर्ण और हमारी अर्थ व्यवस्था के लिये हानिकारक है।"

भारत-पाकिस्तान के काश्मीर के मामले में विवाद पर संयुक्त राज्य अमरीका के रवैये का तथा उसकी सहायता पर निर्भर करने के परिणामों का पता चल गया है। यह सहायता अमरीका अपनी विदेश नीति सफल बनाने के लिये दे रहा है और इसका अन्तर्राष्ट्रीय कल्याण से कोई सम्बन्ध नहीं है। केवल इतना ही नहीं कि विनोबा भावे जैसे सन्त पुरुष ने विदेशी खाद्य और पी० एल० 480 पर हमारे निर्भर रहने की आलोचना की हो बल्कि "योजना" के विशेषांक में कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर दांतेवाला ने एक लेख लिखा है कि हम "अपने यहां पैदा किये गये खाद्यान्न से निर्वाह कर सकते हैं। योजना आयोग के सदस्य डा० वी० के० आर० वी० राव ने भी उसी अंक में लिखा है।

> "यह किसी राष्ट्र के लिये, जिसमें लगभग 3900 लाख एकड भूमि में फसल होती है और 700 लाख एकड भूमि में सिंचाई होती हो, खाद्यान्न आयात करना उसके गौरव अथवा आत्मसम्मान को शोभा नहीं देता।"

उन्होंने आगे लिखा है कि अब समय आ गया है जब कि कृषि उत्पादन बढाने के लिये भरसक प्रयत्न किये जायें। मेरा विचार है कि यह प्रथा, जो हमारे आत्म सम्मान के विरुद्ध है और हमारी अर्थव्यवस्था के लिये हानिकारक, बहुत शीघ्र समाप्त करनी चाहिये। प्रोफेसर गाडगिल, डा० ज्ञानचन्द और अन्य अर्थशास्त्रियों का विचार है कि पी० एल० 480 ने हमारे खाद्यान्नों सम्बन्धी आत्म-निर्भरता के बारे मे दृढ निश्चय और आत्म-निर्भरता की भावना को कुंठित किया है।

हमें अपने हृदय से यह बात निकाल देनी चाहिये कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात करने वाले खाद्यान्न अमरिका की एक उदारतापूर्ण देन है। सभी मामलों में इस समझौते के अन्तर्गत हमें बची जाने वाली वस्तुएं "प्रतियोगित विश्व दरों" पर बेची जाती है। इसका

अर्थ यह है कि अमरीका सरकार कोई परित्याग नहीं करती लेकिन जैसा वहां के वित्त मंत्री, मिस्टर डगलस ढिलमन ने कहा है कि वे तो ऐसा उस फालतू अनाज से, जो अमरीकी जनता को नहीं बेचा जा सकता है, छुटकारा पाने के लिये और मूल्यों को गिरने न देने के लिये करते हैं ताकि अमरीका प्रशासन को किसानों के वोट मिल सके। यदि उनका उद्देश्य कल्याण करना ही था तो इस फालतू अनाज को उन देशों को देने के लिये, खाद्य तथा कृषि संगठन को दिया जा सकता था, जिनको इसकी आवश्यकता थी और इसका उपयोग सहायता तथा विकास के लिये किया जा सकता था। अमरीका अनाज की सहायता के नामपर संकीर्णता पर आधारित अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रयत्न करता है।

राष्ट्रपति जानसन ने कहा है : अपनी विदेश नीति के कार्यक्रमों के एक अभिन्न अंग के रूप में शांति कार्यों के लिये खाद्य स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिये अतिरिक्त कदम उठाये जा रहे हैं। अमरिका के कृषि मंत्री, मि० आरवेल फीमैन ने 23 मार्च, 1961 को कहा था कि 'अनाज कूटनीति का हथियार है: अनाज प्रेरणा है, अनाज शक्ति है।' एक और व्यक्ति ने 1961 में अमरिका में कहा था कि "यदि फालतू अनाज का अक्लमंदी से उपयोग किया जाये तो यह हमारे देश के लिये और सारे स्वतंत्र संसार के उद्देश्यों की पूर्ति का महत्वपूर्ण साधन होगा।"

पी० एल० 480 की यह पृष्ठभूमि है और] हमें यह देखना है कि यह समझौता करके हमें कहां तक लाभ हुआ है या नहीं हुआ है।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत हम अमरिका से जो सहायता प्राप्त करते हैं वह देखने में तो सहायता लगती है परन्तु वास्तव में वह ऋण से किसी तरह भी कम नहीं। 1951 म हमे 105 डालर प्रति टन के हिसाब से अनाज खरीदना पड़ा था जबकि वहां की मंडी में 93.33 डालर प्रति टन का भाव था। 19 करोड़ डालर के गेहूं के कारण में से जिसका भुगतान करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं अब तक केवल 3 या 4 करोड़ रुपये मूल रकम की अदायगी में दिये गये हैं जब कि 25 करोड़ रुपये व्याज के रुप में दिये जा चके हैं।

हमारी खाद्य समस्या का मूल कारण पी० एल० 480 ही है और हम यह समझते है कि इस कारण से हमें अपनी खाद्य समस्यायों के समाधान करने से सहायता मिल रही है। सरकार पी० एल० 480 के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के बाद सो जाती है और देश में अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिये कोई कारगर कदम नहीं उठाती है। जब हमें विदेशी सहायता आसानी से मिल जाती है तो हम अनाज की बेकार खपत को भी नहीं बचा पाते हैं। पी० एल० 480 के अन्तर्गत हमें सहायता बहुत महंगी पड़ती है और अब इस प्रश्न पर पुन: विचार करने की आवश्यकता हैं। हम जानते हैं काश्मीर के मामले में अमरीकाने हमारे साथ कैसा सलूक किया। उन्होंने हमें धमकी दी और और काश्मीर के मामले पर हमें झुकने के लिये दबाव डाला।

अपनी राष्ट्रीय नीतियों को क्रियान्वित करने की बजाये हम पी० एल० 480 का बहुत उदारता से प्रयोग कर रहे हैं और इस प्रकार अनाज का भंडार नहीं बना पाये हैं। पी० एल० 480 से चोर बाजारी को बढ़ावा मिला है और जो अनाज हम प्राप्त करते हैं उसको बिस्कुट, हलवा, केक, सूजी आदि में खराब कर देते हैं।

1956 से अब तक हमने 9 करार किये हैं और हमे 1,386.4 करोड़ रुपये देने हैं। 1961 से 1964 तक अमरीकी जहाजों ने 70 करोड़ से अधिक रुपये मालभाड़े के रूप में कमाये हैं। 1963 में अमरीका में एक अधिनियम पास किया गया जिसके अन्तर्गत यह मालभाड़ा हमें डालर में देना पड़ेगा। इसको भी अब $7\frac{1}{2}$ से 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जा रहा है। 1,386.4 करोड़ रुपये जो हमें अमरीका के देने हैं उसमें से 740 करोड़ रुपये भारत

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

सरकार को ऋण देने के लिये नियत किये गये हैं। फिर इन निधियों में से गैर-सरकारी क्षेत्र को ऋण दिये जाते हैं। और यहां भी हम अमरीका की स्वीकृति के बिना किसी गैर-सरकारी उपक्रम को ऋण नहीं दे सकते। इस बात का निर्णय अमरीका को करना होता है कि किसको ऋण दिया जाये और किसको नहीं।

[श्री खाडिलकर पीठासीन हुए
SHRI KHADILKAR *in the Chair*]

पी० एल० 480 हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को समाप्त करना चाहता है। हम देखेंगे कि कुछ समय में हमारे देश में अमरीका समर्थक लोग पैदा हो जायेंगे और इस देश में एक स्वतंत्र सरकार को चलाना कठिन हो जायेगा। अमरीकी नीतियां हमारी आर्थिक नीतियों से मेल नहीं खातीं। दिल्ली के डा० पी० एन० धर और डा० एस० सी० गुप्त ने सरकार को चेतावनी दी थी कि देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने के लिये आयात करना गलत चीज़ है।

सरकार कीमतों पर नियन्त्रण रखने और अनाज के वितरण के मामले में बुरी तरह नाकाम रही है। उत्पादन में वृद्धि के बावजूद भी खाद्य स्थिति बहुत चिंताजनक है। हम भूमि संबंधी सुधारों को क्रियान्वित नही कर रहे हैं और पी० एल० 480 के अन्तर्गत हम जो कुछ आयात करते हैं उसका बड़ी लापरवाही से नष्ट कर देते हैं।

सरकार हांकती तो बहुत लम्बी चौड़ी है परन्तु वास्तव में कुछ भी नहीं किया जाता है। देश के लोगों की अब यही राय है कि हमें पी० एल० 480 के अन्तर्गत सहायता नहीं चाहिये। क्या हम कृषि उत्पादन की समस्या को पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात द्वारा हल कर सकते हैं? देश के अर्थशास्त्रियों ने मांग की है कि पी० एल० 480 पर, हमारी निर्भरता के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाये।

सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस सहायता के साथ कुछ शर्तें तो लगी हुई नहीं हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अमरीका काश्मीर के मामले में हम पर दबाव डाल रहा है कि हम पाकिस्तान से समझौता कर लें। देश के अन्दर जो नई शान्ति का संचार हुआ है हमें उसको खाद्य उत्पादन में जुटाना चाहिए।

योजना मंत्री श्री भगत के शब्दों में हम 60 से 70 लाख टन अनाज आयात करते हैं जब कि हमारी कुल आवश्यकता 870 लाख टन है। उत्पादन में सीमान्त वृद्धि और वितरण में सुधार करके आत्मनिर्भर होना कोई कठिन नही है।

देश में उत्पादन बढ़ाने का जितना अनुकूल वातावरण इस समय है इतना अनुकूल कभी नहीं हो सकता।

मैंने जो कुछ कहा है एक साम्यवादी के नाते से नहीं कहा है अपितु देश की एकता को बनाये रखने के लिये कहा है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री ब० कु० दास (कंटाई) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं।

श्री क० ना० तिवारी (बगहा) : मैं अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मधु लिमये (मोंघिर) : मैं अपना संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 8 प्रस्तुत करता हूं।

श्री दे० शि० पाटिल (यवतमाल) : मैं अपना संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मलाइछामी (पेरियाकुलम) : मैं अपना संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूं।

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या (अडोनी) : मैं अपना संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करता हूं।

महारानी गायत्री देवी (जयपुर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 13 प्रस्तुत करती हूं।

श्री टे० सुब्रह्मण्य (बल्लारी) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 14 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिवाजीराव शां० देशमुख (परभणी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात् :--

"इस सभा की राय है कि देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिये और पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात को उत्तरोत्तर कम करके अन्त में बन्द कर देने की दृष्टि से कृषि के समेकित विकास का एक कार्यक्रम चौथी योजना के एक अंग के रूप में कार्यान्वित करने के हेतु, भारत सरकार किसान को लाभप्रद तथा उचित मूल्य दिलाना सुनिश्चित करे; किसान को सस्ती दर पर ऋण तथा उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां, अच्छे बीज, पानी तथा कृषि-यंत्र जैसी महत्वपूर्ण साधन-सामग्री देने की व्यवस्था को उच्चतम प्राथमिकता दे; और कृषि अनुसंधान को एक नया रूप देने और उसे अधिक प्रभावी बनाने के निमित्त पर्याप्त साधन उपलब्ध करे जिससे कि अनुसंधान द्वारा उन समस्याओं को, जिन से कृषि उत्पादन में बाधा पड़ती है, हल किया जा सके।"

शेष स्थानापन्न प्रस्ताव और संशोधन अवरुद्ध हुए। (15)

श्रीमती गायत्री देवी (जयपुर) : मेरे स्थानापन्न प्रस्ताव का उद्देश्य देश को खाद्य संकट से निकाल कर आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है। माननीय सदस्य श्री मुकर्जी ने जो मूल प्रस्ताव सभा के सामने रखा है वह राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित हो कर रखा है। यदि इसको स्वीकार कर लिया गया तो देश भूखा मर जायगा और केवल उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचेगा जो शक्ति ग्रहण करना चाहते हैं।

इस संकल्प के प्रस्तावक सभा पर यह प्रभाव डालना चाहते हैं कि पी० एल० 480 की सहायता को स्वीकार नहीं किया जाये क्योंकि अमरीका काश्मीर के मामले में भारत पर राजनीतिक दबाव डालने का प्रयत्न कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यहां की जनता की भी यही राय है कि सहायता को स्वीकार न किया जाये। परन्तु मैं बताती हूं कि ऐसा क्यों है। इस विषय पर गलत बयान दिये जाते हैं और लोगों को बताया जाता है कि हम पी० एल० 480 की सहायता के बिना काम चला सकते हैं और चलाना चाहिये।

जब तक लोगों को वास्तविक स्थिति के बारे में नहीं बताया जायेगा हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। हमारी सरकार जानकारी को छिपाती है।

जहां तक इस सहायता पर राजनीतिक बन्धन लगाने का प्रश्न है वैदेशिक-कार्य मंत्री और हमारे खाद्य मंत्री ने कई बार यह बयान दिया है कि इसके साथ ऐसी कोई शर्तें नहीं लगाई गई हैं। इस देश की जनता को पहले ही जरूरत की चीजें पूरी नहीं मिल रही हैं और यदि सरकार ने समय पर खाद्य का प्रबन्ध नहीं किया तो हालत और खराब हो जायेगी और केवल राष्ट्रविरोधी तत्वों को ही इससे

[श्रीमती गायत्री देवी]

बढ़ावा मिलेगा। इसलिये इस समय पी० एल० 480 के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करना आवश्यक है। परन्तु हमें हमेशा के लिये इस पर निर्भर नहीं करना चाहिये और कृषि को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये। सरकार को यह कहना शोभा नहीं देता कि मौसम की खराबी से उत्पादन में कमी हुई है। एक कृषि प्रधान देश का इन सब बातों के विरुद्ध कदम उठाना सरकार का कर्त्तव्य है। यह एक मोटी बात है कि कृषि पानी पर आधारित है और यदि वर्षा का पानी अपर्याप्त होता है तो सरकार को इसके लिये उपाय करने चाहिये। बिजली के बिना नलकूपों को नहीं चलाया जा सकता। इसकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। राजस्थान में बिजली और पानी की कमी के कारण फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। इन कार्यों के लिये जिम्मेदार मंत्रियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाती है और वे ताकत के नशे में रहते हैं और देश को नुकसान उठाना पड़ता है।

सरकार की गलत नीतियों के कारण लोगों ने अनाज को छिपा रखा है। यदि सरकार ने अधिकतम मूल्य निर्धारित न किये होते तो किसान सारे गल्ले को मंडी में ले आता। इस देश की सरकार ने अभी तक यह महसूस नहीं किया है कि किसान देश की जान है और उसके संबंध में सहानुभूति की नीति अपनानी चाहिये।

सरकार को देश का कोई ख्याल नहीं है वह तो केवल अपनी सत्ता बनाये रखने में ही दिलचस्पी रखती है। मंत्री लोग सारे देश का दौरा करते रहते हैं जब केन्द्र में विभिन्न मंत्रालयों के कार्य में समन्वय के लिये उनकी आवश्यकता होती है और और वे हमारी सेना की सफलता का सेहरा अपने सर पर बांधने की कोशिश में लगे हुए हैं।

मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगी कि जब तक अन्न के मामले में देश स्वावलम्बी न हो जाये वे यह सहायता न ठुकरायें क्योंकि ऐसा करना ही देश के सर्वाधिक हित में है।

मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि वह सदस्य भी इस संकल्प का समर्थन कर रहे हैं जो के चावल अभाव के कारण इसी विदेशी गेहूं पर निर्भर हैं। उन्हें ऐसा करने से पूर्व उन लाखों व्यक्तियों की कठिनाइयों की ओर देखना चाहिये जो गेहूं के आयात न करने से उन्हें होगी। यद्यपि मैं इस संकल्प से सिद्धान्तरूप से सहमत हूं परन्तु इसका समर्थन तब में तक नहीं कर सकती जबतक देश स्वावलम्बी नहीं हो जाता।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा के बारे में

RE: DISCUSSION ON INTERNATIONAL SITUATION

सभापति महोदय : जैसा संसदीय कार्यों के मंत्री ने आज सभा को बताया था कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और उससे संबंधित भारत सरकार की नीति के बारे में चर्चा सोमवार और मंगलवार अर्थात् 15 और 16 नवम्बर, 1965 को होगी। जो सदस्य संशोधनों की सूचनायें देना चाहें वे आज 5—30 बजे सायं तक दे सकते हैं क्योंकि सचिवालय कल बन्द रहेगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह अवधि सोमवार तक बढ़ायी जानी चाहिये क्योंकि हम तो यहां बैठे हुए हैं, फिर संशोधन किस प्रकार रखे जायेंगे।

श्री रंगा (चित्तूर) : क्योंकि आज सूचनायें दे सकना संभव नहीं है, इसलिये इन्हें सोमवार को भी दिये जाने की छूट होनी चाहिये।

सभापति महोदय : अच्छा तो पहले की गई घोषणा में यह संशोधन कर लिया जाये कि संशोधनों की सूचनायें सोमवार 10 बजे तक दी जा सकेंगी।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न के आयात सम्बन्धी संकल्प—(जारी)

RESOLUTION RE : IMPORT OF FOODGRAINS UNDER P. L. 480—*Contd.*

Shri Sheo Narain (Bansi) **:** The day I saw American Patton Tanks in their grave yards, I decided in my mind that the Government should no longer import Foodgrains from America. I would say that if need be, we may observe fast twice a weak in order to obviate the necessity of importing food supplies. I would also request the hon. Food Minister to seriously reconsider the Zonal system and the encourgement being given to the cultivation of sugarcane at the expense of foodgrain crops. My hon. friend Shri Mukerjee referred to the point of view held by people from all walks of life against continunace of the policy to import foodgrains under PL. 480 but he has failed to give an assurance to the Government that in the event of stopping all such imports, they would whole-heartedly support the Government. I suggest all the Members of Parliaments, irrespective of party affiliation, should go to the masses and tell them the need to become self-sufficient and self-dependent and also suggest effective measures to bring this about. USA should be told that we cannot be made to eat a humble pie. This is the greatest need of the hour. We cannot tolerate politicial game behind food supplies.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

I am sure, the youth of the country, our agriculturists and the Government should together, put their shoulders to the wheel. Let the Government ensure the timely supply of essential time, power, water fertilizers etc. Then we could cover the deficit of 10% from Punjab alone.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा) : यही समय है जबकि हमें खाद्य के पहलू से समस्त विकास की ओर ध्यान देना है। आयात न केवल हमारे विकास के लिये हानिकारक है परन्तु हमें खाद्य में स्वावलम्बी होने की समय सीमा भी बांधनी होगी। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिये।

वर्तमान खाद्य एवं आर्थिक संकट के लिए स्वयं सरकार ही दोषी है। 1954 से 1964 तक हमने 3.3 करोड़ टन अनाज का आयात किया है जिसमें से 2.4 करोड़ अमरीका से प्राप्त हुआ है। उस समय जब हमारी खाद्य स्थिति सामान्य थी, हम यह आयात 'बफर स्टाक' का निर्माण करने के लिये करते रहे, परन्तु 1960 से यह स्थिति बिघडने लगी और आज हम अपने आप को इतना असहाय समझ रहे है कि यदि अमरिका से अन्न न मिला तो हम भूखें मर जायेंगे। हम जितना पैसा अन्न के आयात पर खर्च करते है, यदि वही हमने अपने कृषकों को दिया होता तो इसकी सहायता से वे इतने धन से कहीं अधिक मूल्य का अन्न अपने ही देश में पैदा कर के दिखा देते। हमें पिछले कुछ मास के कटु अनुभव ने खाद्य में स्वावलम्बी होने पर बाध्य कर दिया है, परन्तु अबतक केवल भाषण और बातें ही सुनने को मिली है। इसके लिये हमें दो काम करने होंगे एक यह कि किसानों को लाभदायक मूल्य मिले और दूसरे उन्हें पानी मुफ्त मिले ताकि उन्हें अन्न के उत्पादन के लिये प्रोत्साहित किया जा सके। इस प्रकार किसानों की सहायता करने पर ही हम 'जय किसान' के नारे को अर्थपूर्ण सिद्ध कर सकते हैं। यदि केन्द्र सरकार यह सब करे तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम शीघ्र ही खाद्यान्न का आयात बिलकुल बन्द कर सकते हैं।

7—49 Lok Sabha/66.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : यद्यपि श्री मुकर्जी और उनका दल लगभग हर वर्ष अमरिका से आयात होने वाले अन्न का विरोध करता रहा है और सभा ने ठीक ही इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है परन्तु अब जब कि अमरिका ने इस संबंध में अनुचित दृष्टिकोण अपनाया है, यही उचित होगा कि हम इस पर गंभीरता से ध्यान दें। इसी रवैये से देश भर में रोष भर गया है। अमरिका के हित में यही अच्छा हो यदि वे सहायता को शुद्ध सहायता ही समझे और इसी भावना से उसे दे। यद्यपि आज भी अमरीका के सरकारी प्रवक्ता का दावा है कि इस सहायता के साथ कोई शर्त नहीं जोड़ी जायेगी परन्तु हमारी स्थिति की गंभीरता ने हमारी आंखे खोल दी हैं इसलिए हम शीघ्र से शीघ्र अपने पांव पर खडे होने का प्रयत्न करना चाहिये। सहायता को नैतिकता के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। आज के विश्व में सभी राष्ट्र, चाहे वे लोकतंत्र के अनुयायी हो अथवा साम्यवाद के, एक दूसरे पर निर्भर हैं। सहायता का प्रश्न आर्थिक दृढता से जुडा हुआ है, इसलिये इस पर पृथक रूप से विचार नहीं किया जा सकता। खेद है कि 18 वर्ष के पश्चात भी खाद्य के मामले में स्वावलम्बी होने के लिये, हम ने केवल बातें ही की हैं —इस प्रकार भी कहीं समस्यायें हल होती हैं। देश के एक भाग में खाद्य संकट पैदा होता है और दूसरे भाग में, जैसे पंजाब में, 15,000 टन गेहूं बेकार सड़ रहा होता है, यह समाचार-पत्रों में छपा था और मेरे पूछने पर मंत्री महोदय ने कहा था कि उन्हें इस बात की कोई सूचना नहीं मिली। सरकार को उस समाचार-पत्र के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए थी यदि वे इस समाचार को गलत समझती थी। आज भी कहा जा रहा है कि हमारे यहां 30 प्रतिशत अन्न का अभाव है। यदि यह ठीक नहीं है तो सरकार को, जनता में ऐसे समाचारों से जो मनोवैज्ञानिक भय फैलता है, उसे दूर करने के लिये तुरन्त प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए। आशा है यह चर्चा सरकार को उचित पाठ पढाने मे सफल होगी और वे वास्तव में स्थिति सुधारने के लिये प्रयत्नशील होगी।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I support Shri Mukerjee's resolution with my amendment. My support to the resolution is not motivated by any opposition to America on my part. It would not be fair to expect U.S.A. or any other country for that matter, to come to our help with a sense of pure selflessness or devoid of any motive, political or otherwise. I emphasise the plea to become self sufficient in such a vital matter as foodgrains for a vast country like ours. Because our foreign as well as Defence policies cannot raise itself to independence and beyond bias without this self sufficiency.

About a decade back, a controversy was raised as to what should get preference--Agriculture or Industry. In fact both are inter-dependent and equally vital to a country's progress. Dependence on P.L. 480 aid and Government's inefficiency are responsible for the present crisis. We should now be firm in our resolve not to depend on imports. It is a matter of regret and great shame, that we, 70 per cent of whose population is dependent on agriculture should continously depend on imports and this dependence should increase year after year. In order to attain self sufficiency, we have to strike a balance between prices of agricultural commodities and other finished products, *i.e.* industrial goods etc. While we are facing a food crisis, Maharashtra is investing Rs. 15,000 per acre on the cultivation of Grapes. These things should be stopped and every one, both in the states and the centre, should seriously make efforts in this direction. It is strange that Government is thinking of increasing the levy on farmers. This should be completely abolished in the circumstances particularly for petty farmers. Irrigation facilities should also free and fertilisers should be available in abundance, only then would we be able to make some headway. The Government should extract huge stores of foodgrains from traders and big landlords, which they are hoarding to sell it off in the black market, they should take courage in both the hands in doing so and only then rationing would be a success.

श्री टे० सुब्रह्मण्यम (बेल्लारी) : हम काफी पिछड़े हुए है और देश में गरीबी बहुत अधिक है। हम विकसित देशों की स्थिति में आने का प्रयास कर रहे हैं। हमें अन्य देशों से सहायता प्राप्त हो रही हैं। मेरा निवेदन यह है कि इस दिशा में हमें यह सुनिश्चित करने में सावधानी का प्रयोग करना चाहिए कि जो सहायता हमें विदेशों से प्राप्त हो रही है, उस पर कोई शर्त न लगाई जाय। इस दृष्टिकोण से प्रभावित होकर ही हमने आरम्भ से ही गुटनिपक्षता की नीति का अनुसारण किया था। यह ठीक है और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हमने बिजली के कारखाने तथा अन्य उद्योग स्थापित करने के लिए संयुक्त राज्य अमरिका, रूस तथा अन्य देशों से हमने सहायता प्राप्त की है। आज जो स्थिति देश में चल रही है उसे देखते हुए यह आवश्यक है कि हम अमरिका से पी० एल० 480 के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करे।

आज देश की सीमाओं पर स्थिति बड़ी भयंकर हो रही है। हमें उस संकट का सामना करना है। हमें अपनी सेनाओं को सामान और खाद्यान्न पहूंचाने में पूर्ण रूप से जागरुक रहना है। आप जानते ही है कि इस क्षेत्र में सूखा पड़ा था और मौसम असफल हो गया है। मौनसून बहुत देर से आयी। इस स्थिति में गेहूं का आयात न करना उचित नहीं है। हमें पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयातों को बन्द नहीं करना चाहिए। उसके लिए यह समय उचित नहीं है। यह बात तो स्वीकार भी कर लेनी चाहिए कि हमें थोड़े ही समय में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेनी चाहिए। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि गत 18 वर्षों में इस दिशा कोई पर्याप्त प्रयास नहीं किये गये है। हमें इस बात पर बल देना होगा कि देश में जो भी क्षमता उपलब्ध है उसका अधिक से अधिक प्रयोग हो जाना चाहिए।

यह भी प्रयास किया जाना चाहिए कि हमारे अनुसन्धान केन्द्रों में और अधिक शीघ्रता से कार्य किया जाय। सभी स्थानों पर प्रदर्शन फार्म स्थापित किये जाने चाहिए। इन फार्मों पर यह व्यवस्था करनी चाहिए कि यहां से किसान यह देख सके कि कृषि के विकसित साधनों, अच्छे बीजों, सिचाई सुविधाओं तथा उर्वरकों का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। और ऐसा उपयोग कर के उत्पादन में किस तरह वृद्धि हो सकती है। इसी ढंग से ही आत्मनिर्भर हो सकेंगे जिसके लिए कि हमारे खाद्य तथा कृषि मंत्री इतने चिन्तित हो रहे हैं।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं श्री मुकर्जी का आभारी हूं जिन्होंने यह प्रस्ताव ला कर सरकार का ध्यान इस विषय पर आकृष्ट किया है। इस बारे में मुझे केवल इतना ही कहना है कि यह संकल्प इतना सरल नहीं है, जितना कि यह दिखाई देता है। इसमें कुछ राजनीतिक कठिनाइयां है। मैं इस बातको स्वीकार करता हूं कि भूमि सुधारों को लागू करने की दिशा में हमारा उत्साह काफी कम रहा है। हम इसके लिए गम्भीर और सच्चे नहीं रहे हैं। जितना उत्साह इस सम्बन्ध में होना चाहिए था उतना दिखाई दिया नहीं। मेरा निवेदन यह है कि जब हम खाद्य नीति पर चर्चा करेंगे तो मैं इस बात को बताऊंगा कि हमें खाद्य के बारे मे क्यों असफल रहना पड़ा है। हमें सभी दिशाओं को दृष्टि में रख कर मामले पर विचार किया जायेगा। इस तथ्य से हम इन्कार नहीं कर सकते कि हमारे यहां इतना उत्पादन नहीं हो रहा, जितना कि हमारे लिए अपेक्षित है। हमारे लाखों लोगों के लिए हमारे पास खाद्यान्न नहीं है। परन्तु एसी स्थिति केवल हमारे ही देश में नहीं है, अन्य देशों में भी ऐसी स्थिति है। काफी प्रयास करने वाले देश भी अभी आत्मनिर्भर नहीं हो पाये हैं। केवल क्रांतिकारी दृष्टिकोणों से काम नहीं होगा हमें अपनी कृषि का स्वरूप भी बदलना होगा। तब ही हमारा उत्पादन बढ़ सकता है। हमें इस दिशा में विज्ञान और तकनीकी ज्ञान का सहारा लेना होगा। सभी देशों में आज ऐसा हो रहा है। हमें एक बात यह समझनी चाहिए कि विज्ञान का प्रयोग समाजवादी देशों में भी हो रहा है।

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

आज का सबसे बडा तथ्य यह है कि हम घाटे की अर्थव्यवस्था से निकल रहे हैं। और यह घाटे की अर्थव्यवस्था खाद्यान्नों पर भी लागू होती है । यदि हमारे माननीय मित्र यह संकल्प अप्रैल में प्रस्तुत करते, जब कि देश में खाद्यान्न का अधिकतम उत्पादन 885 लाख टन का था, तो इस संकल्प की बहुत अधिक सराहना की जाती। आज स्थिति मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल दूसरी है। मानसून आई नहीं, अनाज की कमी है और रबी की फसल भी ठीक नजर नहीं आती, इस स्थिति में संकल्प का महत्व काफी कम हो जाता है। इस कारण से सन्देह भी होता है। आज की स्थिति में जब कि उत्पादन की कमी है, हमें यह सलाह दी जा रही है कि हमें पी० एल० 480 प्रोग्राम तुरन्त छोड़ देने चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। एकदम आत्मनिर्भर कैसे बना जा सकता है? यह बात बड़ी स्पष्ट है कि हम निश्चय ही यह बात नहीं मान सकते।

हमारी सरकार ने हमेशा यह माना है कि भारत जैसा विशाल देश के लिए बहुत ही खतरनाक बात है कि वह हमेशा ही विदेशों से अनाज मंगाते रहे। 12000 मील की दूरी से आने वाले अनाज पर निर्भर रहना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि यदि कोई एसी घटना हो जाये जिसके परिणामस्वरूप इतनी दूरी से अनाज न आ सके तो भारत में स्थिति बहुत ही शोचनीय हो सकती है। और आज जो दशा हुई है, वह लगभग वैसी ही है। हमारी नीति सभी राष्ट्रों से मित्रता करने की है। और मित्र-राष्ट्रों से सहायता लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, परन्तु यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सहायता तो हम सभी देशों से ले रहे हैं, परन्तु हमने कोई शर्त इसके लिए स्वीकार नहीं की है। यह बात सब को स्पष्ट समझ लेनी चाहिए।

हमें यह मानना होगा कि आज हम कठिनाई में हैं और आने वाले वर्ष में और कठिनाई में रहेंगे। इस कठिनाई को दूर करने के लिए हमें केवल अमरिका पर ही नहीं, प्राप्त विभिन्न देशों से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग लेना होगा। अतः मेरा निवेदन यह है कि इस बिकट स्थिति में यह कहना बड़ी भारी भूल होगी कि हम कोई सहायता प्राप्त नहीं करेंगे। हमें अभी हाल तो विदेशी सहायता पर निर्भर करना ही हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम सभी सम्भव उपाय करेंगे कि यथाशीघ्र आत्मनिर्भर हो जाय और शीघ्र ही आयात किये हुए अनाज से छुटकारा प्राप्त कर ले। खाद्य नीति की चर्चा करते हुए मैं अपने ठोस सुझाव रखूंगा जिससे कि हम आत्मनिर्भर होने का प्रयास करना चाहते है। अतः मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री हो० बा० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : आप मुझे क्षमा करेंगे कि खाद्य मंत्री का भाषण सुनते सुनते मै तंग पड गया हूं। मेरा कहना यह है कि उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने इस बारे में कोई तर्कसंगत बात नहीं की है। यह कहना कि पी० एल० 480 पर निर्भर रहने से हमारे स्वाभिमान को हानि नहीं होती, बड़ी गलत बात है। उन्होंने बड़े भाग्य से कई एक बातें की हैं। उनके दल के बहुत से सदस्यों ने 'पी० एल० 480' को विश्वास की दृष्टि से देखा है। अतः मेरा कहना है कि इस संदर्भ में साम्यवादी दल पर आक्षेप करना कोई अच्छी लोकतंत्रीय परम्परा नहीं है। हम पर यह आरोप लगाना कि हम कठिन समय तथा देश की अभाव की स्थिति का अनुचित लाभ उठाना चाहते है। यह तो नितान्त अनुचित बात है। वास्तविकता यह है कि जब हमारे देश में खाद्यान्नों का बहुत ही काफी उत्पादन किया था, तब भी मंत्रालय की कुव्यवस्था से स्थिति अभाव वाली बन गयी थी। उस समय ध्यान इधर नहीं गया कि वसूली और विवरण में कुछ दोष है, क्योंकि पी० एल० 480 विद्यमान था। इसके पश्चात भी स्थिति ठीक नहीं हुई और 'बफर स्टाक' का निर्माण करने में नितान्त असफल रहे। हालांकि कि देश में इतनी बड़ी मात्रा में आयात हुआ है। इस संकल्प को लाने का उद्देश्य ही यह था कि देश की खाद्य स्थिति और न बिगड़े।

मेरा निवेदन यह है कि जो कुछ हुआ है वह पी० एल० 480 आयातों का प्रवाह शुरू कर देने से हमारे प्रशासन तथा कार्यक्षमता में बड़ी हीन भावना सी बन गयी है। मेरे विचार में हमने जो राष्ट्रीय रूप से कृषि नीतियां स्वीकार की है, यह उनका खण्डन है। अमरीका ने खुराक का एक शक्ति के हथियार के रूप में प्रयोग किया है। देशभक्ति की भावना से भरा वर्तमान अवसर नहीं खो देना चाहिए जबकि हमारे रोक अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सभी प्रकार की कठोरताओं को सहन करते हुए उन लोगों को उचित उत्तर देना चाहते हैं जो हमारी बदनामी करते हैं। इस बारे में मैं श्री श्रीनारायण दास का संशोधन स्वीकार करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री श्रीनारायण दास का स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 8 मतदान के लिए रखा गया।

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ। /*Lok Sabha divided.*

पक्ष 10, विपक्ष 62; /Ayes 10, Noes 62

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। /*The motion was negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री शिवाजीराव देशमुख का संशोधन सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं, वह स्थानापन्न प्रस्ताव है :

प्रश्न यह है :—

"कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय:—

"इस सभा की राय हैं कि देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए और पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात को उत्तरोत्तर कम करके अन्त में बन्द कर देने की दृष्टि से कृषि के समेकित विकास का एक कार्यक्रम चौथी योजना के एक अंग के रूप में कार्यान्वित करने के हेतु भारत सरकार किसान को लाभप्रद तथा उचित मूल्य दिलाना सुनिश्चित करे; किसान को सस्ती दर पर ऋण तथा उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों, अच्छे बीज, पानी तथा कृषि यन्त्र जैसी महत्वपूर्ण साधन-सामग्री देने की व्यवस्था को उच्चतम प्राथमिकता दे; और कृषि अनुसंधान को एक नया रूप देने और उसे अधिक प्रभावी बनाने के निमित्त पर्याप्त साधन उपलब्ध करे जिससे कि अनुसंधान द्वारा उन समस्याओं को, जिनसे कृषि उत्पादन में बाधा पड़ती हैं, हल किया जा सके।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। /*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : शेष स्थानापन्न प्रस्ताव और संशोधन अवरुद्ध हुए।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

इकतालीसवां प्रतिवेदन

श्री राने (बुलडाना) : मैं कार्यमंत्रणा समिति का इकतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 15 नवम्बर 1965/24 कार्तिक, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, November 15, 1965/Kartika 24, 1887 (Saka).

भा० स० मु० ना०—वि० २—४६ लोक सभा/६५—२२-८-६६—६००